Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 36 वां दिवस संख्या 9

बृहस्पतिवार

दिनांक 22 फरवरी, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री दीनदयाल उपाध्याय के निधन पर सदन द्वारा शोक प्रगट।

श्री गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्वर्गवास जिन परिस्थितियों में हुआ, आज वह प्रश्न सारे देश के राजनैतिक दलों के लिए एक समस्या बन कर उपस्थित हो गया है।

पंडितजी अपने अध्ययन काल के पश्चात् से ही सारा जीवन अपने ही राष्ट्र को समर्पित कर चुके थे। अध्ययन काल के पश्चात् से उन्होंने सन् 1951 तक अपना जीवन भारत माता की सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से लगाया और उसके पश्चात् भारतीय जनसंघ की स्थापना होने पर जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डाक्टर मुखर्जी के महासचिव के रूप में वह जनसंघ का कार्य करते रहे और अभी अभी केरल अधिवेशन में वह सर्वप्रथम जनसंघ के अध्यक्ष के नेता निर्वाचित हुए थे। इस काल के अन्दर उन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी। आर्थिक दृष्टकोण से जो देश के अन्दर विषमताएं चल रहीं हैं उनमें जनसंघ का एक नया दृष्टिकोण है, जो किसी भी अन्य दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं, वह नया दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक दिशा में इस देश को दिया। देश के भिन्न भिन्न पहलुओं, जैसे देश के अन्दर आज अराजकता की स्थिति है, के ऊपर वह चिन्तित थे और उस दृष्टि से उनकी मान्यतायें भी थीं। आज देश के अन्दर जो लोकतांत्रिक ढांचा है और उस ढांचे को बिगाड़ने के लिए जो शक्तियां देश के अन्दर सक्रिय हैं—उनके प्रति भी जागरूक रहकर इस लोकतांत्रिक ढांचे की उन्होंने साक्षात् रूप से पूजा की और जीवन भर उन्होंने प्रयास किया कि इस लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जाय। विशेषकर अध्यक्ष के नाते उन्होंने केरल के अन्दर जो जीवन दिया, जो जीवन को नई दिशा दी वह आज सारे देश के सामने है। भाषा के प्रश्न पर जिस प्रकार के विचार उन्होंने देश के सामने रखे थे उनसे सारा देश एक आश्चर्यजनक स्थिति के अन्दर आया और सबको ऐसा लगा कि मानो जनसंघ एक नई बात कर रहा है, यद्यपि वह कोई नई बात नहीं थी, वह जनसंघ के सिद्धान्त ही थे और उस आधार पर भाषा नीति के ऊपर उन्होंने अपना नया दृष्टिकोण दिया, मैं सोचता हूं, सारे देश ने उसको सराहा है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
विशेष कर उनकी आर्थिक नीति के प्रश्न पर तो टीका टिप्पणी की जाती है। स्वयं लोहियाजी ने कहा था कि जनसंघ का आर्थिक दृष्टिकोण देश के लिए अलग है मार्ग निर्देशक है और उस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

आज पंडितजी के स्वर्गवास से जहां जनसंघ को क्षति हुई है, वहां निश्चित रूप से उनके स्वर्गवास के कारण आज समूचे देश को जो धक्का लगा है, मैं सोचता हूं, इस दृष्टि से उनके अभाव को पूर्ण करना बहुत असम्भव है। मैं अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री दुर्गालाल ठाकुर (हवामहल, जयपुर) : स्वर्गीय दीनदयाल जी उपाध्याय हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। हमारी संस्कृति के अनुसार जब कभी भी किसी भी प्रकार का संस्कृति पर, साहित्य पर या समाज पर आघात हुआ या उसके प्रति कोई बुरा व्यवहार हुआ, तो गीता का उपदेश है कि स्वयं ब्रह्म इस संसार में पार्थिव शरीर धारण कर प्रज्वलित आत्मा के रूप में पदार्पण करते हैं और इस प्रकार ये आत्मायें विशेषण लगने के पश्चात् महात्मा और परम विशेषण लगजाने के बाद परमात्मा का भी रूप धारण कर लेती हैं। ब्रह्म के अनेक स्वरूप होने के कारण इस लोक कल्याण की भावना को लेकर जो भी व्यक्तियों का पदार्पण इस संसार में होता है, वह महान है। अपने निजी सुख का विचार न करते हुए बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय जो व्यक्ति अपने इस पार्थिव शरीर में विद्यमान आत्मा का सहारा लेकर लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं उन्हीं के निधन पर संसार व्याकुल हो उठता है। उपाध्यायजी भी उन महान विभूतियों में से एक थे। वह मौलिक विचारक थे। उन्होंने अपने जीवन को अपने लिए न मानकर समाज के लिए अपने जीवन को माना। निस्सन्देह रूप में यह कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम उपलब्ध होते हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जिस समय अभी हमें उनकी सेवाओं की और आवश्यकता थी, उनके द्वारा हमारे देश को मार्ग निर्देशन और मिलता इसकी अपेक्षा करके हम चल रहे थे कि इस बीच विधि की अजीब विडम्बना है कि जिसके कारण उपाध्यायजी आज हमारे बीच में नहीं हैं—इसका हमें दुःख है।

अपने दल की ओर से पूर्ण रूप से सम्वेदना प्रकट करते हुए यह कामना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को पूर्ण शांति मिले। साथ ही साथ में यह भी अपेक्षा करता हूं कि ऐसी महान आत्मायें बार-बार आती रहती हैं। उनके अपूर्ण कार्य हैं, उनको पूर्ण करने के लिए निश्चयात्मक रूप से कोई न कोई व्यक्ति होगा। इस कल्पना के साथ मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि—

जीवन को अर्पित किया जन सेवा प्रतिपाल
भगवन् फिर से और दो ऐसा दीनदयाल !!

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : माननीय अध्यक्षजी, जिस वक्त हमको यह इत्तला मिली कि श्री दीनदयालजी उपाध्याय का कत्ल हुआ, उसका हमें बहुत दुःख हुआ और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देश के नागरिक की हैसियत से देश में हर तबके के आदमी को इससे बड़ा

(श्री अमीनुद्दीन)

दुःख है कि जिन हालात में उनकी मृत्यु हुई है वह बड़ी रहस्यजनक और शोकजनक बात थी और इसका अभी तक नतीजा नहीं निकला है कि वह किस तरीके से अमल में आया, लेकि इसने सारे देश के इन्सानों को हिला दिया है, रंज से और गुस्से से। आज देश के हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि हम इन्सानियत के नाते को किसी हालत में नहीं तोड़ें, विधान के नाते को नहीं तोड़ें, किसी की तरफ से इस प्रकार के काम न होने पायें जो सनसनी पैदा कर दें। हमारा ध्यान इसलिए इस तरफ जाता है कि हमारे देश में राजनैतिक बवाल, फसाद होते जा रहे हैं, इससे हम निराश न होकर हर इन्सान के साथ इन्सान के नाते को कायम रखें, विधान के नाते को कायम रखें और उसी तरीके से सोचें, समझें। मैं जाती तौर पर और अपने और साथियों की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि यह एक ऐसी दुख-दायक घटना है कि इससे हमारे दिलों को, हमारे देश को बहुत बड़ा दुःख पहुंचा है। एक बड़ी हस्ती उभर कर एक पार्टी की लीडर बन कर आई थी, उसके इस प्रकार के निधन से उस पार्टी को तो नुकसान हुआ ही है, पर सारे देश को नुकसान हुआ है, उससे यह उम्मीद थी कि उस पार्टी में और देश में भी, नये ख्याल आकर एक नई चीज देश में पैदा होगी, वह हस्ती इस तरह आनन फानन में खत्म हो जाय, यह बड़े दुःख की बात है। इस सम्बन्ध में अपने दुख का इजहार करता हूं और स्वर्गीय श्री दीनदयालजी उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री दीनदयालजी की मृत्यु से हमारा देश राजनैतिक व्यक्तित्व से गरीब हुआ है। इस तरह की मृत्यु से हमारा देश राजनैतिक व्यक्तित्व से गरीब होता जा रहा है यह इस शताब्दि का दुर्भाग्य है कि इस तरह के व्यक्तित्व लुप्त होते जा रहे हैं चाहे वे किसी दल के हों। इसके साथ ही बड़े दुख की बात है कि हालांकि यह जांच के परिणामों से पता चलेगा, और कहीं इस तरह राजनैतिक हत्या की बू आई तो यह हमारे मुल्क और सारी दुनियां के लिए खतरनाक बात होगी क्योंकि इस तरह की राजनैतिक हत्याओं का कहीं अन्त नहीं हो सकता और इससे देश में, दुनिया में लोकतन्त्र के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि इसके पीछे राजनीति नहीं होगी, अगर इसके पीछे राजनीति होती है तो यह देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा। स्वर्गीय दीनदयालजी उपाध्याय के जीवन और उनकी विचारधाराओं आदि से मेरी पूरी तरह जानकारी नहीं थी, पर अभी जब राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव चल रहे थे तो वे शायद कोटा आ रहे थे और मैं भी कोटा जा रहा था, उस वक्त उनसे मेरी बातचीत हुई तो पता चला कि जनसंघ पहले संकुचित राष्ट्रीय दृष्टिकोण की पार्टी थी, स्वर्गीय दीनदयालजी उपाध्याय ने जनसंघ को विशाल राजनैतिक दृष्टिकोण प्रदान किया। इस दृष्टि से ऐसे नेतृत्व के अभाव में यह केवल जनसंघ के लिए ही दुःख की बात नहीं अपितु सारे देश के लिए दुखद घटना हुई है। जब देश के अन्दर एक संकुचित दृष्टिकोण बढ़ रहा था उस समय एक नेतृत्व आया जिसने विशाल दृष्टिकोण प्रदान किया और वह व्यक्तित्व इस तरह से लुप्त हो गया। उनके साथ बातचात से मुझे यह पता चला था कि जनसंघ जिस तरह देश में

Page No.4

(श्री रामकिशन)
धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है वह देश के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा।

मैं आशा करता हूं कि जो स्वर्गीय श्री दीनदयालजी ने नीतियां निर्धारित की थीं उन नीतियों का पूरी तरह से पालन किया जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करते हुए उनकी जो नीतियां वाजिब नजर आती हैं उनके पालन की प्रतिज्ञा करता हूं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री दीनदयालजी उपाध्याय के निधन से हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति पहुँची है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको इनके मरने का दुःख नहीं हुआ हो। ऐसे होनहार, तपस्वी और देश भक्त व्यक्ति बहुत ही कम नजर आते हैं। स्वर्गीय दीनदयालजी जब एस. डी. एम. कालेज, कानपुर में पढ़ते थे उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन भर अविवाहित रह कर अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में लगाऊंगा। ऐसे व्यक्ति जो कि अपने सारे जीवन को राष्ट्र की सेवा के लिए अर्पण कर दें आज के जमाने में बहुत कम नजर आते हैं। उनमें आत्मनिष्ठा थी राष्ट्र की सेवा के लिए, उनका कोई कुटुम्ब परिवार नहीं था, उनके लिए देश की सेवा के सिवा और कोई ध्यान नहीं था, ऐसे व्यक्ति बहुत कम नजर आते हैं जो अपने जीवन में प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभा सकें, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम हैं। श्री दीनदयालजी की मृत्यु से देश को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। आज इस तरह के निःस्वार्थ सेवाभावी, कर्मयोगी, गीता में कर्मयोग के रूप में जो शब्द कहे गए हैं, वे सब उनमें मौजूद थे, ऐसे व्यक्ति का मरना देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनके मरने से मुझे बहुत दुःख हुआ है, और मैं समझता हूं, यह हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, श्री दीनदयालजी उपाध्याय का निधन हमारे सबके लिए ही एक बहुत बड़े शोक का विषय है, विशेष तौर से जिन हालात में उनकी मृत्यु हुई है वह ऐसा था कि जो हम सबके लिए विचारणीय, सोचनीय विषय बन जाता है कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग तत्पर होकर आगे बढ़कर काम करें, उसे कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार से इस संसार से विदाई दे दें, यह एक बहुत ही गम्भीर बात है और जिसका मैं समझता हूं समय में उचित समाधान हो सकेगा। जो कुछ हो रहा है उसमें ठीक प्रकार से उसकी जानकारी मिल पायेगी ताकि आज देश में जो एक वातावरण है संदेह का जानकारी नहीं होने का, वह वातावरण समाप्त होकर सही स्थिति देश के सामने आ सकेगी।

मैं स्वर्गीय श्री दीनदयालजी उपाध्याय के प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) अध्यक्ष महोदय, डाक्टर लोहिया जैसे दीनदयाल के बाद दूसरा दीनदयाल और चला गया। दीनदयालजी में कर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत ढंग से समन्वय था। ऐसे आदमी में एक खराबी जरूर थी और वह एक

(श्री मोहनसिंह मेहता)
बहुत बड़ी खराबी थी कि वे अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वैसे तो भारतीय संस्कृति रही है कि हमेशा आदमी राष्ट्र के लिए, दीन दुखियों के लिए ध्यान देते थे, वे अपने आप पर ध्यान नहीं देते थे, पर आज कल ऐसे हालात बन गये हैं कि हर आदमी अपने लिए सोचता है, दीन दुखियों के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ नहीं सोचता है। वे केवल दीन दुखियों के लिए और राष्ट्र के लिए ही सोचते थे, अपने लिए कुछ नहीं सोचते थे, यह उनमें एक बहुत बड़ी खराबी थी। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते समय यही निवेदन कर सकता हूं कि भगवान हमें वह ताकत दे कि हम अपने आपको भूल कर राष्ट्र के लिए, दीन-दुखियों के लिए कुछ कर सकें तो यह सच्चे माने में उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में जनसंघ के नेता श्री दीनदयाल उपाध्याय का निधन हुआ है। उससे सारे देश को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। जिस समय हमारा देश विषम राजनैतिक परिस्थितियों के अन्दर से गुजर रहा है, जिस समय सीमा आदि की कई उलझनें हमारे देश के सामने आ रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, उस समय देश के एक ऐसे सपूत का हमारे से बिछुड़ना बहुत ही दुखद है।

अब किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है उसका अभी निर्णय नहीं हो पाया लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, देश के चौमुखी विकास और संगठन के लिए अथवा देश की व विदेशी नीतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए जिन महान आत्माओं ने इस देश के लिए काफी अध्ययन करके कुछ रास्ता निकाला है और निकालते जा रहे हैं, ऐसे आदमियों के लिए राज्य सरकारें व केन्द्रीय सरकार, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्रबंध करें जिससे कि ऐसे किसी गंदे तत्वों के द्वारा या राष्ट्र विरोधियों के द्वारा समय समय पर ऐसी अशोभनीय घटनायें न घटें। उपाध्यायजी एक बहुत ही असाधारण और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे। एक बार उनको अजमेर में आने का मौका मिला। अजमेर में जब आए तो हम लोग फूल मालायें लेकर स्टेशन पर गए। वह गाड़ी से उतरे हाथ में थैला था और कंबल कंधे पर रखकर जब वे क्लाक टावर पर पहुँच गये तब हमें स्टेशन पर पता लगा कि वह तो निकल गए। जब हम लोग जाकर उनसे मिले तो उन्होंने मीठे शब्दों में कहा मैं तो जनसंघ का आफिस जानता था। ऐसे सरल स्वभाव के आदमी, जो हरेक राजनैतिक कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने वाले हों, उनका इस देश से चले जाना बहुत ही दुखदपूर्ण है। सरकार को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय उपाध्यायजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, उपाध्यायजी की दुःखद मृत्यु पर सारे देश को दुःख हुआ है। वह बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ और सच्चे देश भक्त थे और उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारधारा द्वारा जो देश और अपनी पार्टी को नई दिशा बताई वह सबको मालूम है। उनके लिए देश और राष्ट्र सर्वोपरि था और राष्ट्रीय एकता को और देश की भलाई को सबसे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऊंचा समझा। उनकी दु:खद मृत्यु पर सारा देश दु:खी है और देश को उनकी मृत्यु से जो हानि हुई है उसकी पूर्ति होना कठिन है। मैं अपनी ओरसे व अपने दल की ओर से स्वर्गीय उपाध्यायजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेताओं और माननीय सदस्यों ने श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के निधन पर जो भावपूर्ण उद्‌गार प्रकट किए हैं, उन भावनाओं के साथ स्वयं की सवेदनाएं सम्मिलित करता हूं।

उपाध्यायजी का जन्म मध्यवर्गी परिवार में हुआ था। बचपन में ही मां बाप की छाया आप पर से उठ गई थी। लेकिन उपाध्याय जी संघर्षों से चूर न हुए, टूटे नहीं, बल्कि उनसे आपके व्यक्तित्व में चमक पैदा हुई और निखार आया था।

आज देश नाना विषमताओं में से गुजर रहा है, ऐसे समय राष्ट्र के एक मार्ग प्रदर्शक का निधन, राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति पर झकझोर देने वाला आघात है। आप में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीयता का विशद् रूप, एक साथ हमें देखने को मिलता था। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न आपका व्यक्तित्व था। एक ओर जहां आप कुशल राजनीतिज्ञ थे वहां दूसरी ओर हिन्दी अंग्रेजी के ख्यात साहित्यकार भी थे।

जाज्वल्यमान इस नक्षत्र के असमय में ही, एकाएक राष्ट्रीय गगन से विलुप्त होने से सभी को कष्ट है, सभी को यह हानि है और सभी को यह दर्द है।

उपाध्यायजी का राजस्थान से निकट का संपर्क था। आपने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा, भरतपुर-कनकपुर और पिलानी में प्राप्त की थी : इससे राजस्थान को आपके विछोह से विशेष आघात लगना स्वाभाविक है।

इस अवसर पर अधिक न कहूं मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट के लिए मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(सदन ने खड़े होकर दो मिनट के लिए मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

राज्यपाल महोदय का संदेश

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय से धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में जो संदेश प्राप्त हुआ है, वह इस प्रकार है:-

राजभवन,
जयपुर, 30 जनवरी, 1968

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 29 जनवरी का पत्रांक 1673/वि.स./68 मिला। इस कृतज्ञता संदेश के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरी कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवदीय,
हुकमसिंह।

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पशुपालन, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, गृह, सहकारी, कृषि, यातायात, आयुर्वेद, वन स्वास्थ्य एवं नियुक्ति विभाग]

कैटल ब्रीडिंग फार्म नागौर

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर कैटल ब्रीडिंग फार्म पर जो व्यय हो रहा है क्या वह उस फार्म की होने वाली आय से अधिक है ? यदि हां तो पिछले 10 वर्षों में हुई हानि की राशि वर्ष वार बताने की कृपा करें ?

(2) क्या नागौर कैटल ब्रीडिंग फार्म में स्थापना मद में अधिक व्यय होता है एवं जानवरों के चारा बांटा व अन्य खिलाने पिलाने में कम व्यय होता है ? कृपया अलग अलग मदों में व्यय के पिछले दस वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(3) असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेंट के ग्रेड को उन्नत किये जाने के प्रभाव से इस फार्म में जो जो प्रगतियां हुई हैं उनका भी विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री पशुपालन (श्री हरिसिंह बेंगू): (1) जी हां। यह फार्म नागौरी वंश के वृषभों को पालन कर बड़े होजाने पर वितरित करने के लिए है न कि यह फार्म व्यवसायिक आधार पर चलाया जा रहा है। अतः इससे लाभ हानि का मूल्यांकन रुपये पैसों से नहीं हो सकता। इसका फायदा लांग रन में विस्तृत रूप से किसानों को मिलता है, फिर भी विगत दस वर्षों के आय एवं व्यय के आंकड़े संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। अलग अलग मदों में विगत दस वर्षों में किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न है।

(3) असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट के ग्रेड को उन्नत नहीं किया गया है। अतः इसके प्रभाव से फार्म पर किसी प्रकार की प्रगति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

प्रश्न संख्या 206

श्री अध्यक्ष: श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

नगरपालिका पाली द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

207. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान नगरपालिका पाली ने अपने अवधिकाल में कितने निर्माण के कार्य कराए ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखें और साथ-साथ यह भी बतावें कि कितनी कितनी धनराशि उन निर्माण कार्यों पर खर्च हुई ?

(2) क्या यह सच है कि किसी निर्माण कार्य के लिए टेन्डर नहीं मांगे गए ? यदि मांगे गए तो उनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि टेन्डर मांगने पर भी जिसने लो रेट दी उसको काम नहीं दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या इन कामों का निर्माण करने के पहले नगरपालिका पाली ने स्वीकृति प्राप्त करली थी ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

Page No.8

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से।

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। 53 कार्यों में से 36 कार्यों के लिए टेंडर नहीं मांगे गए। 36 कार्यों में से 9 कार्यों में 200) रुपये से कम राशि होने के कारण टेन्डर मांगा जाना जरूरी नहीं है। जिन निर्माण कार्यों के लिए टेन्डर मांगे गये थे उनकी सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(3) केवल दो निर्माण कार्यों के संबंध में ऐसा किया गया चूंकि जिन व्यक्तियों के जो रेट आये उनको नगरपालिका ने अनुपयुक्त समझा।

(4) जिन दो कार्यों की स्वीकृति आवश्यक थी उनके लिए नगरपालिका ने जिलाधीश से स्वीकृति प्राप्त करली थी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : आपने टेन्डर्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट नहीं किया। मैंने मांग की है कि ये सदन की मेज पर रखी जायं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है कि ये नहीं पेश हुई हों लेकिन जो टेन्डर मांगे गए थे उनका विवरण मैंने दे दिया है नियमावली में। मैं दे सकता हूं, शायद ये लेट पेश हुई होंगी।

श्री मूलचन्द डागा : आपने प्रश्न 2 के उत्तर में कहा है कि जो नहीं। 53 कार्यों में से 36 कार्मों के लिए टेंडर नहीं मांगे गए। लेकिन नगरपालिका ने तो एक भी काम टेन्डर से नहीं करवाया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेन्डर की प्रतिलिपि सदन को मेज पर नही रखी है।

श्री मूलचन्द डागा : तथ्यों को छिपाया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : छिपाने की कोई बात नहीं हैं। 36 काम में टेन्डर नहीं मांगे गये। 9 काम में मंगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 200 रु० से कम थे और 27 काम ऐसे थे जिनके टेन्डर मांगने चाहिये थे लेकिन नहीं मांगे गये और उन्होंने इस काम को डिपार्टमेन्टली करवाया।

श्री मूलचन्द डागा : काम शुरू कराने से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेना आवश्यक है। इन कामों को नहीं छिपाने के लिए किसी भी काम की अप्रूवल पहले करनी चाहिये थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 200 रु० से अधिक का काम हो तो उसका टेन्डर मंगाना चाहिये। उन्होंने टेन्डर नहीं मंगा और स्वीकृति नहीं ली और इसको डिपार्टमेन्टली ही करवाया।

श्री मूलचन्द डागा : इससे यह मालूम होता है कि जो काम टेन्डर से कम पैसे में हो सकता था वह टेन्डर न मांगकर कानून की अवहेलना की। कानून को अलग रखकर मन चाहा काम बिना सरकार की अप्रूवल के कर सकते हैं क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जांच करवाई जा सकती है।

Page No.9

श्री मू. चन्द डागा : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह !

सालेरी–लवान रोड निर्माण-कार्य

208. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सालेरी–लवान रोड का कुछ हिस्सा प्रीतमसिंह ठेकेदार को दिया गया था ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या यह सही है कि उस कार्य को उसने पूरा नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इस कार्य को किसके द्वारा सम्पन्न कराया गया ?

उप मंत्री यातायात (श्री माधोसिंह) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या 209

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हंसराज आर्य।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

टूरिज्म कार्पोरेशन

210. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि होटल तथा लघु उद्योग को मिलाकर एक कॉर्पोरेशन बना दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो इसके साथ टूरिज्म को क्यों नहीं मिलाया गया ?

(3) क्या टूरिज्म कॉर्पोरेशन बनाने का सरकार का विचार है ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। इस दिशा में प्राथमिक कार्यवाही की जा रही है।

(2) यह प्रश्न विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

(4) सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती है।

मेजर श्री फतेसिंह (ब्यावर) : इसको किसको ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चण्डावत : अध्यक्ष महोदय, यह कॉर्पोरेशन किस मकसद से बनाया गया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): कौल साहब को खपाने के लिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): इन दोनों पर अलग-अलग खर्चा होती है, और इन दोनों की एक्टीविटीज एक दूसरे से मिलती हैं इसलिए जोड़ दिया गया है।

Page No.10

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि होटल कॉर्पोरेशन में घाटा जा रहा है, इसलिए इन्कम टैक्स बचाया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सही है कि होटल कॉर्पोरेशन के अन्दर घाटा जा रहा है और इसीलिए इसको स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के साथ जोड़ दिया गया है ताकि मुनाफा हो लेकिन इन्कमटेक्स बचाने का कोई सवाल नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इस समय कितनी होटल चल रही है और कितनों में घाटा चल रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका विस्तार से उत्तर तो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन उदयपुर में आनन्द भवन और जयपुर में राजस्थान स्टेट होटल और एक सिरिस्का में है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : टूरिस्ट के कौन-कौन से हैं जिनको मिलाया जा रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टूरिस्ट होटल्स प्रमोशनल एक्टीविटी और पब्लिसिटी से ज्यादा ताल्लुक रखता है इसलिए इसको मिलाने का सवाल नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि टूरिस्ट होटलों का एक कॉर्पोरेशन बना दिया जाय तो राज्य सरकार को ज्यादा आमदनी हो सकती है ? क्योंकि सारे राज्यों के लोग यहां आते....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न विचाराधीन है, लेकिन टूरिस्ट होटलों का एक अलग कॉर्पोरेशन बनाया जाय इस प्रकार की बात पर विचार नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि टूरिस्ट होटल और होटल कार्पोरेशन के लिए एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति के श्री बी. के. कौल भावी चेयरमैन होंगे ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कौन व्यक्ति चेयरमैन होता है और कौन व्यक्ति नहीं होता है यह नीति का प्रश्न है, यह मुझे नहीं चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (मार्सीद) : यह नीति से सम्बन्धित प्रश्न अलग से पूछा जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : होटल कॉर्पोरेशन में साढे तीन लाख का घाटा हो रहा है। कॉर्पोरेशन बनने से इनका प्रबन्ध ठीक से होगा, उन्नति होगी यह सही है, लेकिन कॉर्पोरेशन बनने की वजह से होटल नहीं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी कोई जानकारी नहीं है लेकिन वह ठीक तरह से चले। पहले इसके अन्दर जोधपुर का सर्किट हाऊस व बीकानेर का सर्किट हाऊस भी था इनमें ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते थे। जहां ज्यादा टूरिस्ट आते है वहां बनाया गया है। केवल दो जगह ले है।

Page No.11

श्री ...ंद्र कु ार चू० ा– : मैं फिर पूछना चाहती हूँ कि इसमें किस प्रकार का नुकसान होता है टूरिस्ट होटल्स को कॉर्पोरेशन न बनने की वजह से ?

एक माननीय सदस्य : और उसका चेयरमैन माननीय सदस्या को क्यों नहीं बनाया जाता ?

श्री भैरोंसिंह : फिर टूरिस्ट बहुत आयेंगे, यह मैं गारन्टी देता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टूरिस्ट डिपार्टमेंट इसमें खर्चा करता है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर कोई ... नहीं होती है इसलिये ... ला ... नहीं चलता है. उसको कॉर्पोरेशन बनाना उचित नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए एक कमेटी बनाई है और उसके चेयरमैन कौल साहब हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस समिति के चेयरमैन को जो होटल कॉर्पोरेशन और टूरिस्ट होटल्स है, उन्हीं व्यक्ति को भविष्य में चेयरमैन नियुक्त करने वाले हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह विचार नहीं है। होटल कार्पोरेशन और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन है उन दोनों को एक करके चेयरमैन बनाने की बात है।

श्री ... (न... ...द) : क्या यह सही है कि इस सदन में उनके बारे में कोई एन्क्वायरी चल रही है ?

श्री ...: यह सही है। मेरे पास है। Question does not arise. आर्डर, आर्डर ! श्री रामानन्द अग्रवाल।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, अकबरपुर में गबन का मामला

211. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, ग्राम अकबरपुर, तहसील अलवर के कोषाध्यक्ष श्री मजीलाल के विरुद्ध म...री समिति ... सदस्यों ने करीब 5,00 रु. गबन करने ... आरोप में लगाये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई लिखित दरख्वास्त माह मार्च, 1967 में प्राप्त हुई है ?

(2) क्या उक्त दरख्वास्त पर इस सेवा सहकारी समिति की कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

(3) क्या उक्त सेवा सहकारी समिति के हिसाब-किताब का कोई ऑडिट हुआ है ? सबसे आखिर का ऑडिट कब हुआ? कृपया ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

( ) क्या यह सही है कि कोषाध्यक्ष उप नियमों से अधिक रोकड़ बाकी रकम अपने ... रखता था, और क्या यह भी सही है कि सहायक रजिस्ट्रार अलवर ने 28–2–67 को यह रकम बैंक में जमा कर

Page No.12

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो कोषाध्यक्ष के पास कितनी रोकड़ बाकी निकलती थी ? क्या वह रकम कोषाध्यक्ष द्वारा बैंक में जमा करा दी गई ? यदि नहीं, तो कोषाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि व सहकार मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) जी हां।

(2) इस आवेदन-पत्र पर कोई जांच नहीं करवाई गई क्योंकि इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने से पूर्व ही समिति का इन्वेस्टीगेशन ऑडिट करवा चुके थे और उसकी रिपोर्ट उन्हें 29-3-67 को ही प्राप्त हो चुकी थी।

(3) जी हां, सबसे आखिरी का ऑडिट माह मार्च, 1967 में हुआ। ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, लेकिन दिनांक 28-2-67 को सहायक रजिस्ट्रार, अलवर द्वारा कोषाध्यक्ष को कोई रकम समिति को बैंक में जमा करवाने का आदेश नहीं दिया। कोषाध्यक्ष के पास इन्वेस्टीगेशन ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 5775 रुपये 20 नये पैसे बकाया निकलते थे। इस रकम में से 2140 रु० बैंक में दिनांक 18-5-67 को जमा करवाये गये। शेष राशि 3635 रु० 20 नये पैसे में से 2960 रु० 87 नये पैसे जमा करवाने के आदेश दिनांक 29-3-67 को ही दिये जा चुके थे और 665 रु० 33 पैसे के लिए दिनांक 9-8-67 को जमा करवाने के आदेश दिये। इस रकम की वसूली के लिए सहकारी अधिनियम की धारा 118 के तहत जरिये वारन्ट कुर्की के बकाया रकम वसूली के आदेश हो चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बहुत सा खर्चा और बहुत सी आमदनी जब ऑडिट हुआ तो वह रेकार्ड में इन्दराज नहीं मिला ?

श्री शोभाराम : ऑडिट रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी ऑडिट रिपोर्ट से प्राप्त करें। जो रकम निकली वह 5,475 रु० थी। मैं आपको बता दूं उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही हो रही है उस सम्बन्ध में 20-8-67 को जिला अधिकारी द्वारा इंजन कुर्क किया गया। दिनांक 23-9-67 को इस इंजन के विक्रय हेतु नोटिस नीलामी जारी किया गया और 16-10-67 को निलाम की तारीख रखी गई उस दिन किसी ने बोली नहीं लगाई। इस कारण 15-11-67 को सहायक रजिस्ट्रार और सहायक प्रचार अधिकारी ने इंजन को अपने कब्जे में लेने के आदेश दिये। इस इंजन का वेल्युएशन करवाकर आगे की कार्यवाही कराई जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक आरोप इस समिति के विरुद्ध यह था कि इसको जो खाद दिया गया वह ब्लेक मार्केट में इधर-उधर बेच दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट मुझे जो दी है पृष्ठ चार पर देखने से यह साबित होता है जिसमें यह कहा गया है कि 1.55 लाख की खाद और 63 हजार का सुपर फोस्फेट बिना परमिट के वितरित किया गया उनके खाते में विक्रेताओं के हस्ताक्षर उप-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बाध नहीं है। क्या इस प्रकार से उस खाद को ब्लैक में बेचने का आरोप लगाया गया है यह सिद्ध होजाने पर भी उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री शोभाराम : ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार दो मुद्दे हैं एक तो रकम जो बकाया निकलती है वह उससे वसूल की जाय और जमा कराई जाय।

अब रहा सवाल खाद को बेचने का—मैं इसकी स्वयं जानकारी करना चाहता हूं कि इसमें कोषाध्यक्ष का कितना कसूर है अगर उनका दूसरे तरीके से बेचना पाया जाता है या ब्लैक मार्केट या उसके दुरुपयोग के करने की कार्यवाही पायी जाएगी तो मैं समझता हूं इसकी पूरी जानकारी करने के बाद जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जाएगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गांव वालों ने सामूहिक तौर से आरोप पत्र दिया है उस पर क्यों नहीं जांच की गई ?

श्री शोभाराम : जो शिकायत की गई थी उसमें तीस-चालीस हजार की रकम संबंधित थी। उसकी इन्वेस्टीगेशन ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वह केवल 5,775 रुपये तक रह गई। उनसे सिर्फ ऑडिट के बाद 5,775 रुपया निकला चालीस हजार के मुकाबले। यह जो पौने छः हजार रुपये के करीब बकाया निकली है उसके अन्दर, और आगे इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, ऑडिट हो रहा है। अतः जब ऑडिट चालू है और उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक शिकायत पर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं माना जा सकता। इन्वेस्टीगेशन ऑडिट के परिणाम आजाने के बाद जो रकम निकली है वह करीब तीन हजार से कुछ ज्यादा है इसके लिए उनका इंजन कुर्क कर लिया गया। बाकी और जो मुद्दे हैं उसके बारे में खुद जानकारी करना चाहता हूं आया कौनसी तारीख को खाद आया, कितना रुपया उससे वसूल हुआ उसके बाद यदि आगे और कार्यवाई करने की आवश्यकता हुई तो अवश्य की जाएगी, पहले मैं इस बारे में स्वयं जानकारी कर लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधनदास सोनी !

नेहरू फंड की रकम

212 श्री गोरधनदास सोनी (मेड़ता) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुखदेव आर्य भूतपूर्व एस० डी० ओ० ने नेहरू फण्ड के लिए काफी रकम इकट्ठी की थी ?

(2) क्या यह सही है कि वह रकम जमा नहीं कराई गई ?

(3) क्या यह सही है कि उस रकम का गबन होगया ? यदि नहीं, तो उसका क्या हुआ ?

(4) कितनी रकम एकत्रित की गई थी ?

उप मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी नहीं। वह रकम कलेक्टर कार्यालय में जमा करा दी।

Page No.14

(श्री खेतसिंह)

(4) कुल रकम 4010 रु० एकत्रित की गई।

श्री गोरधनदास सोनी : वह रकम कब इकट्ठी की गई ?

श्री खेतसिंह : अलग अलग तारीखें हैं। बाकायदा उनकी रसीद बुक्स हैं।

श्री गोरधनदास सोनी : किस तारीख से किस तारीख तक की गई ?

श्री खेतसिंह : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गोरधनदास सोनी : यह जमा कब कराई गई ?

श्री खेतसिंह : इसके बारे में कलेक्टर नागौर का 13 जनवरी का पत्र है उसमें कहा गया है कि सारी रकम और काउन्टर फोलिओज जमा हो गये हैं।

श्री गोरधनदास सोनी : यह रकम पहले इकट्ठी की गई उसको गबन कर दिया गया उसके बाद जब मेड़ता में यह सवाल उठा उसके बाद में उसको जमा कराया गया। मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूं यह रकम कब इकट्ठी की गई ?

श्री अध्यक्ष : यह रकम इकट्ठी होने के कितने दिन बाद जमा कराई गई ?

श्री खेतसिंह : काफी अर्से के बाद कराई गई उसका कारण यह है कि वे म्यु० एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे थे उन्होंने गवर्नमेंट को यह लिखा था कि मेड़ता के अन्दर नेहरू पार्क में चिल्ड्रन कॉर्नर बनवाना चाहते हैं। उसमें कुछ रुपया गवर्नमेंट दे तो वह काम हो सकता है इसलिये वह रकम रोक कर रखी गई थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उनको यह रकम अपने पास रखने का अधिकार था ?

श्री खेतसिंह : एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रखने का अधिकार था।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई भी सरकारी अधिकारी रकम को अपने पास रख सकता है ?

श्री गोरधनदास सोनी : उस रकम को हजम करने का प्रयत्न किया गया। जब यह सवाल मेड़ता में उठा कि एस० डी० ओ० रकम हजम करना चाहते हैं, उसके बाद सवाल पूछे गये इसलिये यह रकम जमा हो गई।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकारी अधिकारी को रकम रखने की इजाजत है तो यह परम्परा गिर जायगी। मैं समझता हूं किसी भी सरकारी अधिकारी को रकम रखने का अधिकार नहीं है ?

श्री गोरधनदास सोनी : एस डी. ओ. ने कब इजाजत मांगी नेहरू फण्ड के लिये पैसा इकट्ठा करने की ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नेहरू फण्ड कलेक्शन कमेटी के कुछ नियम हैं उसमें यह लिखा हुआ है कि किस प्रकार से रुपया जमा कराया जाय और किस प्रकार से निकाला जाय। उसके अनुसार ज्योंही रकम वसूल होती है तुरन्त ट्रेजरी में जमा होनी चाहिये ?

Page No.15

श्री खेतसिंह : हां यह सही है कि इसके लिये नियम बने हुए हैं। नियमों के अनुसार ही रकम निकाली व खर्च की जा सकती है। इसी लिये रकम जो उनके पास थी उसके लिये उन्होंने सरकार को लिखा कि इससे यहां नेहरू पार्क में चिल्ड्रन कार्नर बनाना चाहते हैं, सरकार की तरफ से उस अनुपात में रुपया मिल जाता है तो वह काम हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रुपये को अपने पास में रखने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है? किसी व्यक्ति को इस फण्ड के लिए एकत्र किए हुए पैसे को अपने पास रखने का नियम नहीं है?

श्री खेतसिंह : यह एक विशेष परिस्थिति थी। उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा था कि इतनी लम्बी रकम मेरे पास है, अगर उसी अनुपात में सरकार रकम देती है तो उसको युटिलाइज किया जा सकता है। यह उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से लिखा था।

श्री भैरोंसिंह : इन विशेष परिस्थितियों में अपने पास पैसा रखने की उन्होंने अनुमति नहीं ली थी?

श्री खेतसिंह : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : विशेष परिस्थिति तो यही थी कि श्री नाथूराम मिर्धा को जिताना था। उस भ्रष्टाचारी को एस. डी. ओ. से बढ़ाकर ए. डी. एम. बना दिया गया। वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भ्रष्ट है जिसको इस सरकार ने तरक्की दी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर!

श्री गोरधनदास सोनी : क्या उन्होंने यह फन्ड एस. डी. ओ. की हैसियत से कलेक्ट किया था?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार कोई भी सहकारी अधिकारी नेहरू फण्ड के लिये पैसा एकत्र नहीं कर सकता?

श्री खेतसिंह : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री गोरधनदास सोनी : किस तारीख को परमिशन मांगी और आपने उनको किस तारीख को पैसा इकट्ठा करने की इजाजत दी?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम बिल्कुल साफ है। मैं भी उस समिति का सदस्य हूं और यहां पर भी यह आश्वासन दिया गया है कि इस प्रकार के फन्ड के लिये रुपया सरकारी अधिकारी के माध्यम से वसूल नहीं किया जा सकता, तो ऐसी हालत में क्या आप एस. डी. ओ. द्वारा रकम वसूल करना उचित समझते हैं?

श्री खेतसिंह : म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वसूल किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इस प्रकार फण्ड इकट्ठा करने के बारे में सरकारी अधिकारी इकट्ठा करें, इसकी रोक नहीं। राजनैतिक पार्टियों के लिए वे पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। नेहरू फण्ड चिल्ड्रन पार्क आदि के लिए इकट्ठा करने के बारे में रोक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रोक है। यहां सदन में भी इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था आप मुझे एक घन्टे का समय दें तो वह बाकर बता सकता हूं जिसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों के मार्फत कलेक्शन न किया जाय। नेहरू फण्ड के लिये जितनी भी रकम एकत्र की गई है वह सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसका जवाब ? अध्यक्ष महोदय, यह तो विवाद का सवाल खड़ा हो गया। मैटर बड़ा सीरियस है। फण्ड कलेक्ट किया जावे, और वह सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जावे जो स्वयं में नियम विरुद्ध है, फिर वह भी समय पर जमा नहीं कराया जावे। ये दो बड़ी गम्भीर बातें इसमें हैं। और इसका भी सरकार की ओर से सन्तोषजनक उत्तर नहीं आवे तो इस का सन्तोषजनक उत्तर दिलाये जाने तक इसे पोस्टपोन किया जावे। जनता के धन को इस तरह से इकट्ठा करके एडमिनिस्ट्रेटर होने की आड़ में उसको रोक रक्खा जावे अपनी जेब में और काफी देर बाद सरकारी खजाने में जमा कराया जावे और फिर अधिकारी होने के आड़ में उत्तर दिया जावे तो यह सही एटीच्यूड नहीं है। सरकारी अधिकारी गलती करें तो मन्त्रीगण अपने जवाब में उसे बचाने की कोशिश न करें।

श्री भैरोंसिंह : इसके अलावा एक सवाल और है। सरकारी नियम बने हुए हैं कि कोई सरकारी अधिकारी किसी प्रकार का कलेक्शन नहीं कर सकता और अगर वह करना चाहता है और सरकार भी उसके माध्यम से कराना चाहती है तो परटीकूलर परपज के लिये उसको कलेक्शन करने की आज्ञा देने के पहले सम्बन्धित रूल को रिलैक्स करना पड़ता है, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है, तो क्या इसमें किसी प्रकार का नोटिफिकेशन इश्यू किया है सरकार ने ?

श्री खेतसिंह : सार्वजनिक हित के कार्य में इकट्ठा किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : फिर तो सार्वजनिक हित में चोरी करना भी गुनाह नहीं है।

श्री गोरधनदास सोनी : समय पर जमा नहीं कराया। यह तो गबन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : न मंत्री महोदय को नियमों की जानकारी है, न यह जानकारी है कि ये वसूल करने के अधिकारी थे या नहीं। मूल मुद्दा यह है कि नियमानुसार ये कलेक्शन करने के अधिकारी थे या नहीं ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : इसको पोस्टपोन किया जावे।

श्री खेतसिंह : जमा करा दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कौनसी तारीख को कराया ?

श्री खेतसिंह : कौनसी तारीख को कराया इसमें कौनसी तथ्य की बात रह गई ?

(शोरगुल कई सदस्य एक साथ बोलने लगे इस कारण अश्रव्य)

श्री गोरधनदास सोनी : भविष्य में इस तरह करते रहेंगे। हुक्म कर आवेंगे।

Page No.17

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह जो किया गया है, मन्त्री महोदय उसको उचित समझते हैं क्या ?

श्री रोतसिंह : आप अगर देखें तो इसमें उन्होंने अपने परिश्रम से यह सारा पैसा कलेक्ट किया जब तक वे पोस्ट पर रहे और जब ट्रान्सफर हो गई तो पैसा ले जाकर कलेक्टर के पास जमा करा दिया। अब इसमें क्या गबन है ?

श्री अध्यक्ष : बहुत से प्रश्न अभी बाकी हैं। नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसे पूरी जानकारी के लिये स्थगित कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : जो तथ्य इस बारे में सदन में रक्खे गये हैं उनको एसरटेन करके मैं निर्णय लूंगा कि इसे स्थगित किया जावे या नहीं। मैं माननीय सदस्यों को अपने चैम्बर में बुला कर यह बता दूंगा ...

कई माननीय सदस्य : इसे पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। जो तथ्य माननीय सदस्यों ने रक्खे हैं उनका एक्सप्लेनेशन मन्त्री महोदय दे पाये हैं या नहीं, स्पष्टीकरण पूरा दे पाये हैं या नहीं, इस स्थिति को देखकर जो माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उनको देखकर इसको स्थगित करने के प्रश्न पर अपना निर्णय बाद में दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप इसको पोस्टपोन कर दीजिये फिर अगर और बात नहीं पाई जावे तो सदन में स्पष्टीकरण हो जावेगा। जो बोलने वाले हैं उनका भ्रम भी दूर हो जावेगा आपको जानकारी जो होगी, उसकी जानकारी सदस्यों को इसके बिना कैसे हो पावेगी जो हाउस में जानकारी रहनी चाहिये। कलेक्शन के बारे में जिस प्रकार के नियमों का पालन होना चाहिये वैसा इसमें हुआ या नहीं, वह पैसा सरकारी खजाने में जमा होना चाहिये या या अपनी पोकेट में रहना चाहिये, इसको जानकारी जनता को या सदन के माननीय सदस्यों को नहीं होगी तब तक उनके मन में भ्रान्ति ही पैदा होगी।

श्री अध्यक्ष : भ्रान्ति अब पैदा नहीं हो सकेगी।

राजवी श्री रूपसिंह : प्रश्न संख्या 213।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर। बार बार सदन में हम लोगों ने चेयर से यह अपेक्षा की है कि जो प्रश्न समय होता है उसके अन्दर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अन्दर चेयर की तरफ से सदस्यों को सहयोग मिले।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : व्यवस्था का प्रश्न यह आ रहा है कि श्री गोरधन सोनी ने प्रश्न पूछा। वह साबित हो चुका कि गृह मन्त्री या मन्त्री••

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था के प्रश्न की व्याख्या अपने रूल्स में है। मेरे

Page No.18

(श्री अध्यक्ष)
खयाल में उससे सभी माननीय सदस्य पूर्ण रूप से परिचित हैं। उन्ही के अन्तर्गत··

श्री मदनसिंह : फण्ड इकट्ठा करने के भी नियम हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यह व्यवस्था के प्रश्न तो नहीं आता। पर माननीय सदस्यों की भावनाओं को मैंने समझ लिया है। स्थगन करने के बारे में इतना उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। साधारण प्रश्न है।

श्री विजयसिंह रावत : मन्त्री जानकारी नहीं रखें और गलत, नियमों के खिलाफ जवाब दें यह साधारण प्रश्न कैसे है ?

श्री गोरधन सोनी : लाखों रुपयों के गबन का सवाल है यह।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की उद्विग्नता को समझ रहा हूं।

नेक्स्ट 213। राजवी श्री रूपसिंह।

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन

213. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार विभागानुसार मन्त्रियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों या शक की जांच के लिए किसी कमेटी का गठन करने का विचार रखती है जो जांच करवाकर दोषियों को दंडित करे ?

उप मन्त्री, गृह (श्री खेतसिंह) : राज्य में सभी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों या शक की जांच करने व दण्ड दिलाने हेतु सतर्कता आयोग पहले से ही विद्यमान है, जो प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है। मंत्रियों के विषय में ऐसी व्यवस्था किये जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि यह भ्रष्टाचार एक एपेडेमिक फार्म में सारे राज्य में रेम्पेन्ट है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बिलकुल सही है।

राजवी श्री रूपसिंह : आम जनता की यह धारणा होती जा रही है कि एक दिन Corruption will be a measure industry of Rajasthan

श्री अध्यक्ष : हाईपोथेटिकल प्रश्न है।

श्री जयनारायण खारोदिया (निवाई) : आपको बहुत देर में समझ आई है।

श्री रामकिशन (डेग) : ठीक है साहब यह तो। अभी तो व्याख्या ही शुरू हुई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में व्याख्या नहीं होती है। स्टेट मवेश्चन होता है।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार है वह एक एपेडेमिक फार्म में रेम्पेन्ट है और इसलिये जनता यह कहने लग गई है कि Corruption is measure industry of Rajasthan.. और इसको कन्टीन्यूट करने वाले जो एलीमेन्ट्स हैं उनको रूट आउट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामकिशन : यह अलग से कैसे है?

राजवी श्री रूपसिंह : क्या सरकार इसके लिये कोई हाई पावर कमेटी मुकर्रर कर रही है?

श्री खेतसिंह : सरकार ने दूसरे राज्यों से भी पता लगाया है कि मन्त्रियों एवं उच्च अधिकारियों के खिलाफ ऐसे मामलों में वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं। उनके यहां से रूल्स वगैरह मंगाये हैं। आने पर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राज्य सरकार को मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी ने इस बारे में अपनी रिकमण्डेशन की हैं उनको राज्य सरकार ने किस सीमा तक माना है?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इससे सम्बन्धित एक अलग प्रश्न और है। दोनों को साथ ही ले लिया जावे तो ज्यादा ठीक हो जावेगा।

श्री शंकरलाल (बेतारण) : केवल सरकारी अधिकारियों की ही जांच सतर्कता आयोग द्वारा कराई जाती है या दूसरे मन्त्रियों की भी कराई जा सकती है?

श्री विजयसिंह : मिनिस्टरों के पीछे भी कोई डंडा लगे तो ठीक रहे।

बीकानेर व जैसलमेर में जिला कृषि अधिकारियों की नियुक्ति

214. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर व जैसलमेर जिले में जिला कृषि अधिकारी की नियुक्ति करने के बारे में राज्य सरकार ने क्या विचार किया है?

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए उक्त जिलों में भी कृषि के समुचित विकास की समस्याओं को हल करने के लिए क्या राज्य सरकार इन जिलों में जिला कृषि अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझती?

(3) क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती कि कृषि विकास अधिकारी के अभाव में इन जिलों में राज्य सरकार द्वारा कृषि के विकास के मद में न्यूनतम खर्च ही किया गया है?

(4) क्या चूरू बीकानेर दोनों जिलों के एक ही कृषि अधिकारी चूरू के हैं? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में इन जिलों के लिए मुकर्रर कृषि के बजट की धनराशि में से कितना प्रतिशत रुपया चूरू में खर्च हुआ है व कितना प्रतिशत बीकानेर में खर्च हुआ है?

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) इन जिलों में अलग जिला कृषि अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। चूरू और बीकानेर के लिए एक जिला कृषि अधिकारी है, तथा जोधपुर और जैसलमेर के लिए एक जिला कृषि अधिकारी है।

(2) प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में जवाब दिया जा चुका है।

(3) इन जिलों में कृषि विकास अधिकारी के अभाव में विकास के मद में न्यूनतम खर्च नहीं किया गया।

Page No.20

(श्री हरिसिंह)

(4) जी हां। कृषि अधिकारी चूरू में रहते हैं तथा एक कृषि सहायक बीकानेर में नियुक्त हैं। कृषि बजट की धनराशि का खर्चा दोनों जिलों में इस प्रकार है:

	1965-66	1966-67
चूरू	78.8 प्रतिशत	47 प्रतिशत
बीकानेर	21.2 प्रतिशत	53 प्रतिशत

प्रश्न संख्या 215

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रेमसिंह

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह

(12 मध्याह्न)

नये रूट्स के लिए निगम द्वारा दरख्वास्तें

216. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 1965 से 1967 तक नये रूट्स के लिए कितनी दरख्वास्तें दी गई हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन दरख्वास्तों में से आर. टी. ओज. द्वारा कितनी मंजूर की गई हैं और कितनी खारिज? और खारिज करने के क्या कारण हैं? अभी कितनी पेंडिंग चल रही हैं?

(3) क्या यह सही है कि निगम के पास गाड़ियां बेकार पड़ी हुई हैं? यदि हां, तो कितनी?

(4) निगम इन गाड़ियों को, जो कि काम में नहीं आ रही हैं, काम में लेने का क्या उपाय सोच रही है? क्या निगम को इनके पड़े रहने से नुकसान होता है? यदि हां, तो कितना?

उप मंत्री, यातायात (श्री शिवचरणसिंह) : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। सन् 65 में कोई रूट्स के लिए दरख्वास्त नहीं दी।

(2) पेंडिंग दरख्वास्तों की सूची संलग्न है। निम्न 5 रूट्स पर अस्थायी परमिट मिले थे। इन सभी का स्टे उच्च न्यायालय से हो गया है। आर. टी. ओ. ने कोई दरख्वास्त खारिज नहीं की है।

1. उदयपुर–कोटा
2. उदयपुर–ब्यावर–जयपुर
3. उदयपुर–भीलवाड़ा–जयपुर।
4. उदयपुर–सांडेराव–फालना–जोधपुर
5. उदयपुर–रतनपुर–अहमदाबाद

(3) जी हां, यह सही है कि निगम के पास गाड़ियां सेन्ट्रल वर्कशाप में रिजर्व रखी हैं। ऐसी कुल गाड़ियां 44 हैं।

(4) बसों को रिजर्व में इसलिए रखा है कि आबू में गर्मी का सीजन चलने पर, प्रसिद्ध मेलों के अवसर पर एवं विशेष व्यक्तियों द्वारा विवाहादि अवसरों पर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। रिजर्व रखने से कोई नुकसान नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री दिग्विजयसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किन रूट्स पर स्टे ग्रॉडर ग्राया हुग्रा है ?

श्री शिवचरण सिंह : जो ग्रस्थाई 5 परमिट्स हैं वह मैंने ग्रर्ज किए हैं :

(1) उदयपुर–कोटा
(2) उदयपुर-ब्यावर-जयपुर
(3) उदयपुर-भीलवाड़ा-जयपुर
(4) उदयपुर–सांडेराव–फालना-जोधपुर, ग्रौर
(5) उदयपुर–रतनपुर–ग्रहमदाबाद

ग्रौर जो एप्लीकेशन्स हैं उनकी लिस्ट पीछे दी हुई है। 37 रूट्स की एप्लीकेशन्स हैं उनमें से कुछ के रूट्स का स्टे ग्रार्डर है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि जितनी बसेज हैं उनमें से ग्राधी से ज्यादा खराब पड़ी हुई हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : यह ग्रलग से प्रश्न है।

श्री ग्रध्यक्ष : याद हो तो कह दें।

श्री शिवचरण सिंह : नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : स्टे ग्रार्डर हुग्रा है इसके खिलाफ विभाग द्वारा कार्यवाही हुई है ?

श्री शिवचरणसिंह : निगम की तरफ से पैरवी की जा रही है।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि जितनी टोटल बसेज हैं उनके बारे में स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने जो स्टेटमेंट निकाला है उसमें बतलाया है कि 216 बसेज बेकार हैं ग्रौर उनको कण्डम करके बेचने की योजना बनाई है ?

श्री शिवचरण सिंह : बसेज चलेंगी तो खराब भी होंगी ग्रौर उनको ठीक भी कराया जावेगा।

श्री विजयसिंह रावत : ग्रान रोड़ ग्रौर ग्राफ-रोड़ कितनी हैं ?

श्री शिवचरणसिंह : इसकी सूचना भविष्य में दे दूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री दौलतराम ग्रागरी।

तहसील पाली व देसूरी की कृषि सहकारी समितियों को भूमि का ग्रावंटन

217. श्री दौलतराम (देसूरी-सु) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पाली व देसूरी में कितनी कृषि सहकारी समितियां हैं ? उनकी सूची मय सदस्यों के नाम, पते व जो ग्राराजी समितियों को ग्रलॉट की गई हैं उनके खसरा नम्बर व क्षेत्र की सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त कृषि सहकारी समितियों को भूमि सुधार हेतु ग्रनुदान व ऋण दिया है ? यदि हां; तो किस किस कृषि सहकारी समितियों को ग्रौर नहीं दिया तो क्यों नहीं ?

(3) उक्त कृषि सहकारी समितियों की दशा सुधारने हेतु कृषि विभाग द्वारा ग्राधुनिक

(श्री दौलतराम)
कृषि यंत्र किस किस सहकारी समिति में वितरित किये गये हैं ? यदि नहीं किये गये तो क्यों ?

(4) क्या उक्त कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों को कृषि प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो किस किस सदस्य को कहां कहां व कब कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त कृषि सहकारी समितियों को सदस्यों की संख्या देखते हुए जो भूमि आवंटन की गई है वह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो पर्याप्त भूमि एलॉट क्यों नहीं की गई है ?

सहकारिता मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) तहसील पाली व देसूरी में 44 सहकारी कृषि समितियां हैं । इन समितियों की सूची मय सदस्यों के नाम व पते व जो आराजी समितियों को एलॉट की गई उनके खसरा नम्बर मय क्षेत्र के परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है ।

(2) राज्य सरकार ने कृषि यंत्र, बैल व भूमि सुधार हेतु भारत सरकार के पैटर्न के अनुसार ऋण दिया उनकी सूचना संलग्न 'ख' पर उपलब्ध है । यह ऋण केवल उन्हीं समितियों को दिया गया जो लक्ष्य के अन्तर्गत चुनी गई थीं, पैटर्न के अनुसार भूमि सुधार के लिये अनुदान की व्यवस्था नहीं है ।

(3) किसी भी सहकारी कृषि समिति को आधुनिक यंत्र नहीं दिये । एक सहकारी समिति आगरिया एक्स सोल्जर्स सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० को कृषि विभाग द्वारा ट्रेक्टर खरीदने हेतु 10,000) रु. की वर्ष 65 में आर्थिक सहायता दी गई है अन्य समितियों की मांग न होने के कारण कोई यंत्र आदि नहीं दिये । चूंकि कृषि यंत्र सघन कृषि योजना के अन्तर्गत समितियों को उपलब्ध हो जाते हैं ।

(4) जी हां, एक सहकारी कृषि समिति रामदेव कृषि सहकारी समिति लि० के सदस्य श्री जगताराम को प्रशिक्षण हेतु स्टेडी टूर पर रांची व मेरठ वर्ष 65 में भेजा गया था । चूंकि प्रायः अन्य सभी सदस्य प्रशिक्षित हैं ।

(5) उक्त कृषि सहकारी समितियों को भूमि अलॉट की गई है वह कुछ समितियों के लिए पर्याप्त है तथा जिन 34 समितियों के पास भूमि अपर्याप्त है उनकी सूचना परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है । भूमि का अलॉटमेन्ट रेवेन्यू विभाग द्वारा उनके पास उपलब्ध भूमि के आधार पर होता है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

लोकपाल की नियुक्ति के लिए राय

218. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावित विधेयक के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से राय मांगी थी ? यदि हां, तो कब और राज्य-सरकार ने उस संबंध में क्या राय भेजी और अगर नहीं भेजी तो क्यों नहीं भेजी ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(ख) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के अतिरिक्त लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में भी सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उस संबंध में की गई व्यवस्था की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है या राज्य सरकार पर और यदि राज्य सरकार पर है तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) हां. लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावित विधेयक के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से 1-11-67 को राय मांगी थी । राज्य-सरकार ने अपनी राय भेजने से पूर्व अन्य राज्यों से कुछ सूचना मांगी थी जिसके प्राप्त होने पर राज्य सरकार अपनी राय भेजेगी ।

(2) जी हां, प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के अतिरिक्त लोक आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में भी सिफारिश की थी । इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है । राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से उनके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना मांगी है वह प्राप्त होने प इस राज्य में भी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रशासनिक सुधार आयोग की जो सिफारिशें हैं राज्य-सरकार ने उनको किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था उसकी जानकारी दे सकते हैं। बाकी के लिये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हों तो जानकारी करके जवाब दिया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अभी तक राज्य सरकार को, किसी भी अन्य राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पूरी जानकारी इस संबंध में प्राप्त नहीं हुई । यू० पी० में एक कानून इस संबंध में बनाया गया है और दूसरी स्टेट्स के अन्दर जो सिफारिशें की गई थीं रिफार्म्स कमेटी के जरिये उसमें कार्यवाही की गई हो ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाये कि यू० पी० के अलावा वह भी आपने गजट में पढ़ा होगा बाकी आपने जो पत्र लिखा है उसके रेस्पान्स में कोई जानकारी नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी जानकारी नहीं आई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार ने समाचार पत्रों के माध्यम से इस सम्बन्ध में जानकारी की कि केरल सरकार ने और आपके कांग्रेस ने अध्यक्ष और मैसूर सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावित विधेयक पेश करने के संबंध में अभी हाल ही में विधान सभा में आश्वासन दिया है कि इसी सत्र में यह विधेयक पेश कर दिया जायेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसकी डिटेल योजना क्या है वह नहीं है। वह डिटेल प्राप्त होने पर ही आगे विचार किया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मानकर चला जाये कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी

Page No.24

(श्री भैरोंसिंह)
की सिफारिश इस बात के ऊपर आधारित है कि दूसरी स्टेट्स क्या डिसीजन लेती हैं और उसी के ऊपर अपनी राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह इस पर आधारित नहीं है लेकिन हम कोई कदम उठायें उसके पहले जानकारी करना चाहते हैं कि और स्टेट्स में क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है कि उनको राय भेजी जाये या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : केन्द्रीय सरकार स्वयं इस बारे में सक्षम है यह भी माननीय सदस्य की जानकारी में है।

श्री भैरोंसिंह : फिर राजस्थान सरकार के ऊपर दायित्व कैसे है कि आप बाकी की स्टेट्स के बिना कदम नहीं उठाना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अपनी जानकारी के लिए और एक सी कार्यवाही हो सके मामले में उसके लिए हमने जानकारी चाही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या आप इस सम्बन्ध में यह जानना चाहते हैं की कानून को डिटेल्स क्या है ? आप क्या यह निश्चय कर चुके हैं कि आप लोकपाल की नियुक्ति तो करेंगे, आप कानून तो लायेंगे और कानून के आधार क्या क्या हो यह जानकारी करना चाहते हैं या यह निर्णय हो नहीं किया है कि लोकपाल की नियुक्ति करेंगे या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किया जाये तो किस आधार पर किया जाये यह सारी जानकारी करने के बाद किया जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने लोकपाल विधेयक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया जा रहा है उसके संबंध में राज्य सरकार से जो केन्द्रीय सरकार ने राय मांगी है वह राय राज्य सरकार ने प्रेषित कर दी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसका उत्तर 1 में आ गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह राज्य सरकार को अपनी राय केन्द्रीय सरकार को लोकपाल विधेयक के संबंध में भेजने के संबंध में अन्य सरकार से मांगने की क्या आवश्यकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह हमने बता दिया कि हमने जानकारी की है और जो केन्द्रीय सरकार उस बिल को ला रही है उस पर पार्लियामेन्ट जो डिसाइड करेगी वह करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जानकारी किस संबंध में की ? लोकपाल विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित है। 1967 के अधिवेशन में संसद में यह पेश किया जाने वाला था लेकिन राज्य सरकारों ने असहयोग किया। केन्द्रीय सरकार के द्वारा मन्त्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की व्यवस्था करने का एक माध्यम था और उस सारे विधेयक को इस लिए खटाई में डाल दिया क्योंकि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ असहयोग किया और अपनी राय केन्द्रीय सरकार के पास नहीं भेजी। राजस्थान सरकार ने इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
संबंध में राय नहीं भेजी इसका मतलब यह है कि जो लोकपाल विधेयक प्रस्तावित है उसको यह सरकार नहीं मानना चाहती है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 219।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कोई असहयोग का प्रश्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न और है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में यह कहा था कि मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए केन्द्रीय सरकार जो व्यवस्था करेगी वह व्यवस्था हम स्वीकार करेंगे। केन्द्रीय सरकार व्यवस्था करना चाहती है और लोकपाल विधेयक को लाना चाहते हैं और सदन से पास कराना चाहते हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है। आपको अपनी राय भेजनी चाहिये। वह राय आप नहीं भेज रहे हैं इसका मतलब साफ है कि राजस्थान के मन्त्रियों के भ्रष्टाचार के मामलों को आप दबाना चाहते हैं और उसकी जांच हो इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि भारत सरकार जो कुछ कार्यवाही करेगी इस बारे में उससे हम भी सहमत हैं। राय नहीं भेजी गई वह एक अलग बात है। लोकपाल आयोग के लिए वह स्वयं सक्षम है कार्यवाही करने के लिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय भारत सरकार यह कहती है कि चालू अधिवेशन में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत लोकपाल विधेयक राज्यों के असहयोग के कारण प्रस्तुत नहीं कर सके। आपका असहयोग है केन्द्रीय सरकार के साथ इसलिए आपने राय नहीं भेजी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई असहयोग नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति से सिद्धान्ततः सहमत है? यह निर्णय कर लिया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार की · · ·

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति को सिद्धान्ततः नहीं मानती है यह माना जाय?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : न हमने यह कहा है कि हम नहीं मानते हैं और न यह कहा कि फैसला किया जाय इस बारे में। यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार जो निर्णय करेगी उससे हम भी सहमत होंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बात सही है कि राजस्थान सरकार ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि मन्त्रियों के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय?

एक माननीय सदस्य : नहीं किया है। विचार चल रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : राजस्थान के मंत्रियों में भ्रष्टाचार है नहीं जिसको समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 219, गृह मंत्री।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से यादव साहब के पैर जमीन छोड़ रहे हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आपका मंत्री-मंडल तो मेजर इन्डस्ट्री आफ करप्शन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, 219

अजमेर जिले में अपहरण के मामले

219. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी लड़कियों एवं कितने युवकों का अपहरण हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लड़के व लड़कियां किस-किस पंचायत समिति क्षेत्र, किस-किस कस्बे एवं शहर के निवासी थे? इनके अपहरण होने के क्या-क्या कारण थे?

(3) पुलिस ने अब तक कितनी लड़कियों का पता लगा लिया है और कितने दोषी लोगों पर मुकदमें दर्ज किये हैं?

(4) अन्य बाकी युवक-युवतियों का पता लगाने में पुलिस क्यों असमर्थ रही है? कारणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह): (1) अजमेर जिले में 1963 में 3 लड़के, 23 लड़कियां; सन् 1964 में एक लड़का 30 लड़कियां, सन् 1965 में 1 लड़का, 36 लड़कियां, सन् 1966 में 34 लड़कियां, और सन् 1967 में 6 लड़के, 34 लड़कियों का क्रमशः अपहरण हुआ। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त लड़के व लड़कियां जिस पंचायत समिति क्षेत्र, कस्बा व शहर के निवासी थे-की सूची प्रत्येक वर्ष के अनुसार सदन की मेज पर रख दी है। इनके अपहरण के कारण इनसे शादी करने के लिए, नाता बैठाने के लिए, बेचने के लिए, प्रेम होने के कारण बुरा काम कराने के लिए तथा मां-बाप द्वारा न भेजने पर जबरदस्ती ससुराल वालों द्वारा ले जाना। इत्यादि हैं।

(3) पुलिस ने अब तक 7 लड़के तथा 139 लड़कियों का पता लगा लिया है और 105 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किये हैं।

(4) शेष 4 लड़के तथा 18 लड़कियां पुलिस के अथक प्रयत्नों के पश्चात् भी बरामद नहीं हो सके।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय के रखी गई)

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि अपहरण के मामले उन गांवों में अधिकतर हुए हैं जिनकी जनसंख्या 400 और 500 के बीच है?

श्री खेतसिंह : मेरे पास गांवों की जनसंख्या नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि जो अपहरण की गई लड़कियां बरामद हुई हैं उनके द्वारा वापिस पुलिस में यह बयान दिये गये हैं कि उन लोगों को एक गैंग यहां से भगाकर ले गया है और वह इस नियत से लेकर गया है कि कलकत्ता और बम्बई के वेश्यालयों में उनसे वेश्यावृत्ति करावे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इसी से।.......

श्री अध्यक्ष : डिटेल्स नहीं दे सकते। जो प्रश्न के सम्बन्ध में आप स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि उन लड़कियों के ऐसे बयान हुए हैं, यह मुमकिन नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): मंत्री महोदय ने कहा कि प्यार में गई या किसी को भगाया गया तो पुलिस वालों ने कितनी लड़कियों को भगाया ? आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो बताइये कि कितनी लड़कियों को पुलिस के कान्स्टेबलों ने भगाया है और उनके साथ बलात्कार किया है ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार किसी पुलिस वाले ने नहीं भगाया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : सबूत हैं क्या आप जांच करायेंगे ?

श्री खेतसिंह : अलग से लिखकर दे दें तो जांच करा दूंगा।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि जो अपहरण हुए हैं लड़कियों के उनके अन्दर से अधिकतर लड़कियों ने यह कहा है कि एक ऐसा गैंग है जो कि हमको भगाकर ले गया है, तो क्या वह पकड़ा गया ?

श्री खेतसिंह : मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो लड़कियां गई हैं उनके कारण भी मैंने बतलाए हैं कि ये कारण हैं जिनके कारण से लड़कियां गई हैं। जहां तक गैंग का सवाल है मेरे पास की सूचना के अनुसार कोई गैंग भगाकर नहीं ले गया है। अलग अलग लड़की अलग-अलग तरीके से गई है।

श्री विजयसिंह रावत : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि वे जांच करायेंगे और जांच करके इसकी जानकारी करेंगे।

श्री खेतसिंह : कौन से केस के लिए आप कह रहे हैं जिसकी मैं जांच कराऊं।

श्री अध्यक्ष : आप यह फर्मा रहे हैं कि कोई गैंग है जो कि यह वर्क करता रहा है, ऐसा है कोई गैंग ?

श्री खेतसिंह : ऐसा कोई गैंग नहीं है। मैंने जवाब में कहा है कि लड़कियां विभिन्न कारणों से गई हैं। किसी को कोई प्रेमी ले गया है, कोई अपनी मर्जी से गई है, क्या बताऊं हुकुम, कोई गैंग नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह इनका उत्तर सही नहीं है ..

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करें।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि ये अपहरण के जितने मामले हुए हैं उनके अन्दर ऐसा एक गैंग है जो सुनियोजित तरीके से पुलिस के अधिकारियों को साथ लेकर उन लड़कियों का अपहरण करके दूसरी जगह बेचने का कार्य कर रहा है ? आपको पुलिस ने जो जानकारी दी है, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह जानकारी बिल्कुल गलत है और असत्य चीज दी गई है। इसके अन्दर एक बहुत बड़ा गैंग है जैसा कि पिछले महीने एक स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी ने कहा और डा० अम्बालालजी ने उसका भंडाफोड़ किया था, वह एक गैंग है जो लड़कियों को ले जाता है और उसके एवज में या तो रुपये मांगता है।······

श्री अध्यक्ष : प्रश्न खत्म हो गये।

श्री विजयसिंह रावत : इसकी आप जांच करावें।

श्री अध्यक्ष : जांच कराने के लिए तैयार हैं।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से आपकी मारफत बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि कौन सा गैंग है उसका विवरण दें और ऐसा कौन सा केस है ? अगर वे बतायें तो जानकारी की जा सकती है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मंत्री महोदय हमसे अपेक्षा करते हैं कि गैंग का नाम देदें तो आप यह चाहते हैं कि यह श्री विजयसिंह रावत भी चला जाय ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : लड़की थोड़े ही है।

श्री भगवानदास शास्त्री : लड़कों को भी चुरा ले जाते हैं। आप क्या विवरण मांगते हैं आप उनको कीजिए। मामूली से केस में मंत्री महोदय के कहने पर उनको छोड़ देंगे। मैं कहता हूं कि यह आप कैसे समझते हैं कि नाम व विवरण देने के बाद कैसे सुरक्षित हैं जब कि आज चारों ओर अराजकता फैली हुई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री बदनसिंह (दांता) : सवाल तो यह था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इतना मैं आपके द्वारा सहयोग चाहता हूं मंत्री महोदय से कि कई गम्भीर मामले हैं। वहां पर पेशेवर लोग सक्रिय हैं इसकी जांच करायें कम से कम इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि वह गैंग पकड़ा जाय और अपहरण के मामले कम हों। मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं और मैं आपको सहयोग दूंगा।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें केवल 5 साल के केसेज हैं उसमें कुल 157 लड़कियों के केस फरारी के है, उसके कारण अलग अलग बतलाये गये हैं, जैसा कि अभी उप-मंत्रीजी ने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बताया था सदन को। आप बार बार इस बात का इकरार करते हैं कि कोई गैंग काम कर रहा है जो ऐसे काम कर रहा है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई केस आपकी जानकारी में हो कि फलां लड़की को फलां गैंग या किसी गैंग ने उड़ाया है तो उसका सवाल पूछें। आप इसके बारे में पर्टिकुलर सवाल पूछिये। आपने इस प्रश्न के अंदर पिछले 5 साल के उत्तर में पूछे उसके उत्तर में 175 केसेज होना बतलाया। हमारी जानकारी में एक भी केस ऐसे गैंग द्वारा किया हुआ नहीं आया। यदि आप वास्तव में किसी गैंग के होने की जानकारी देना चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई ऐसा गैंग होना है और उसके बारे में एक्शन चाहते हैं तो पर्टिकुलर केस के बारे में पूछिये पूरी जानकारी करके उत्तर देंगे।

श्री विजयसिंह रावत : आप जांच कराने के लिये तैयार हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसी जांच ?

श्री विजयसिंह रावत : हमारे पास पॉवर्स नहीं हैं कि हम आपको जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न समाप्त हुए। स्थगित प्रश्न संख्या 25

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, पिछले प्रश्न के बारे में मैं चाहूंगा कि सरकार आश्वासन दे कि मैं जो जानकारी दूंगा उसके बाद सही ढंग से अधिकारियों के खिलाफ या जो जो इसमें इन्वोल्व्ड हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि जानकारी देंगे तो सही जानकारी की जायगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न संख्या 25 सहकारी मंत्री महोदय।

स्थगित प्रश्न

(19-1-68)

'जिला जालोर में भूमि बंधक बैंक की शाखा

25. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में भूमि बंधक बैंक की शाखा काफी अर्से पहले स्थापित हो चुकी है ? अगर हां, तो कब हुई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि भूमि बंधक बैंक शाखा जालोर द्वारा अभी तक ऋण देने का कार्य संतोषजनक नहीं है ? अगर हां, तो उसके क्या कारण हैं ? और अगर नहीं, तो इसके द्वारा पिछले पांच वर्षों में किस किस वर्ष में कितना कितना ऋण किन किन काश्तकारों को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह सत्य है कि ऋण देने की प्रक्रिया लम्बी होने से भूमि बंधक बैंक से काश्तकारों को ऋण देने में बहुत समय लगता है ? अगर हां, तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है।

(4) तहसील सांचोर के भूमि बंधक बैंक से काश्तकारों को ऋण देने के कितने प्रार्थना-पत्र बैंक के विचाराधीन हैं ? कितने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
दरख्वास्तें किस किस समय से जेर तजवीज है ? तथा इतना समय लगने के क्या कारण है ? अब कब तक सब काश्तकारों को ऋण दिला दिया जायेगा ?

सहकारी मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) जालोर जिले में भूमि बन्धक बैंक की शाखा स्थापित नहीं हुई है बल्कि जिले में स्वतन्त्र रूप से जालोर प्राथमिक सहकारी भूमि बन्धक का पंजियन दिनांक 4-6-1960 को हुआ था।

( ) जालोर प्राथमिक सहकारी भूमि बन्धक बैंक द्वारा ऋण वितरण करने की गति धीमी चल रही है जिसका मुख्य कारण काश्तकारों द्वारा अपनी भूमि का स्वामित्व सिद्ध नहीं कर पाना है फिर भी पिछले 5 वर्षों में वर्षवार जितने ऋण बैंक के सदस्यों को दिये गये है उसकी सूचना निम्न प्रकार है और ऋण वितरण की सदस्यवार सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है :—

वर्ष	राशि	सदस्य संख्या
1963-64	39050.00	10
1964-65	43050.00	15
19 5-66	38190.00	18
1966-67	98750.00	43
1967-68	45800.00	12
चालू वर्ष अब तक		
(जनवरी 68 तक)	264840.00	98

(3) राजस्थान सहकारी समितियां नियम 1966 के नियम संख्या 8; (15) के अन्तर्गत यह निर्धारित कर दिया गया है कि प्रत्येक ऋण आवेदन-पत्र का निपटारा अधिक से अधिक चार माह से कर दिया जावेगा। फिर भी तहसील द्वारा प्रमाण-पत्र समय पर प्राप्त नहीं होते इसलिए उपरोक्त अवधि में कई मामलों में ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का विषय सरकार के सामने विचाराधीन है।

(4) जालोर भूमि विकास बैंक के पास सांचोर तहसील काश्तकारों को ऋण देने के 34 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है जिनको सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई : 34 प्रार्थना-पत्र पेंडिंग आपने बताये ये कब से हैं ?

श्री शोभाराम : मैंने बताया कि सूची संलग्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये एक दो साल से पड़े हैं आपने बताया कि काश्तकारों की तरफ से देरी होती है। वे फार्म भर कर देते हैं उसके बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने में देरी होती है उस बारे में आप क्या सोच रहे हैं ?

श्री शोभाराम : प्रार्थना-पत्रों का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो प्रक्रिया अधिनियम या सहकारी एक्ट में है उसमें लम्बा समय लगता है प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में। पिछली भूमि बंधक और पजेशन के लिये जो डोक्युमेंट्स या दस्तावेजात रेवेन्यू आथोरिटीज से लिये आते हैं उनके बारे में

(श्री शोभाराम)

यह देखा में आया है कि समय पर कार्यवाही होती नहीं है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था यदि किसानों को पास बुक इशु करदी जाती है जिसमें खसरा नंबर, पहले मोरगेज्ड है या नहीं, किस प्रकार की जमीन है चाही या बारानी, कितनी जमीन किस सीरियल नंबर पर दर्ज है इस प्रकार का विवरण उस पास बुक में रखा गया है। इस प्रकार की पास बुक के वितरित होते ही यह सारी परेशानी समाप्त हो जायगी। जो चीज 6-8 महीनों में उपलब्ध नहीं होती है वह आसान हो जायगी। इस प्रकार की पास बुक के वितरण होने पर भूमि बंधक बैंक से ऋण आसानी से मिलने लग जायगा। मैं समझता हूँ राजस्व विभाग पास बुक वितरण करने की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब तक पास बुक इशु नहीं हो तब तक आपकी तरफ से यह कहा गया है कि तहसीलदार सर्टिफिकेट देंगे लेकिन तहसीलदार कहते हैं कि उनके पास राज्य सरकार के आदेश नहीं हैं। आपने प्रावधान तो कर दिया लेकिन तहसीलदार रिफ्युज करते हैं।

श्री शोभाराम : एक्ट में दस्तावेजात की नकल लेने का प्रावधान है। भूमि बंधक बैंक से ऋण लेने के संबंध में प्रार्थना-पत्र से संबंधित दस्तावेजात की नकल चाहे तो तहसीलदार को ड्यूटी होगी कि वह शीघ्र दे। हम इसके लिये समय निर्धारित करना चाहते हैं उसके अन्दर प्रमाण-पत्र या दस्तावेज चाहते हैं, उनकी नकल दे दें ऐसे आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रसारित कर दिये जायेंगे।

स्थगित प्रश्न

(24-1-68)

नीम का थाना में प्लोट्स की नीलामी

115. श्री रामकिशन (वैर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगरपालिका, नीम का थाना, मंडी नीम का थाना में कोई प्लोट्स 1965 या 1966 में नीलाम किये गये थे ? अगर हाँ, तो कुल कितने प्लोट्स किस रेट से किस रेट तक कुल कितनी धनराशि के नीलाम किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि इन में से बहुत से प्लाट्स की नीलामी वास्तविक रूप से नहीं की गई और उनका फर्जी रिकार्ड बनाया जाकर म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों ने अपने आदमियों की तरफदारी करके कम कीमत पर नीलाम किया जाना दिखाया ?

(3) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई स्वीकृति ली गई और ली गई तो कब ?

(4) क्या यह बात सही है कि यह धनराशि किसी भी डेवलपमेंट फंड में जमा नहीं हुई ?

(5) क्या यह सही है कि गैर कानूनी तौर से उक्त धनराशि को डेवलपमेंट फंड में जमा न करके म्युनिसिपल बोर्ड ने इसका दुरूपयोग किया है ? कृपया इस समस्त धनराशि या उपलब्धि के बाद का संपूर्ण विवरण

(श्री रामकिशन)
सदन की मेज पर रखें जिसमें यह बतायें कि वह किस प्रकार से उपयोग में लाई गई ?

(6) क्या यह सत्य है कि उक्त प्लाट की नीलामी गैर कानूनी व अधिकार क्षेत्र के बाहर नगरपालिका नीम का थाना ने की है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसे निरस्त किया है ?

(7) क्या यह बात सही है कि नीलामी के बाद से आज तक खरीद कर्ताओं को प्लाट्स का कब्जा नहीं दिया गया है ?

(8) क्या इस समस्त मामले के संबंध में राज्य सरकार व कलेक्टर महोदय सीकर के पास नीम का थाना की जनता से शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए हैं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा–स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (1) 129 भू-खण्ड दस रुपया प्रति गज से लेकर 67) रु. प्रति गज तक नीलाम किये गये थे। कुल राशि 3,63,653,82 बनती है।

(2) जी नहीं।

श्री रामकिशन : इसे धीरे क्यों बोल दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (2) जी नहीं।

(3) सरकार से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(6) क्रमांक 3 के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(7) नगरपालिका ने सूचित किया कि कब्जा दिये जाने की कार्यवाही चलरही है एवम् कुछ एक को कब्जे दिये जा चुके हैं।

(8) राज्य सरकार को शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधीश को प्राप्त होने सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। जिलाधीश को लिखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रामकिशन : यह आपने बताया कि 10) से लेकर 67) रुपये गज तक प्लोट्स बेचे गये हैं, क्या आप बतायेंगे कि 67) गज से कितने प्लोट्स बेचे गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 109 भू खंड बिके हैं इसलिये कौनसा कितना, किस रेट से बिका है यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। लेकिन हाइयेस्ट 67) और लोवेस्ट 10) पर वर्ग गज से प्लोट्स बिके हैं। नजूल कमेटी ने जो प्राइस फिक्स की थी वह 10 प्रति वर्ग गज थी इसलिये नजूल कमेटी की रिकमन्डेशन्स के अनुसार जो फिक्स प्राइस थी उससे कम में कोई प्लोट नहीं बेचा गया बल्कि अधिक से अधिक 67) गज तक प्लोट्स बेचे गये हैं।

श्री रामकिशन : यहां तो पूछा गया था कि एक ही जगह पर एक ही तरह के प्लोट्स थे उनमें से एक 67) रु. वर्ग

Page No.33

(श्री रामकिशन)
गज में बेचा गया और बाकी 10 गज के हिसाब से अपने अपने हिसाब से बेचा गया। यह तो प्रश्न में पूछा गया है कि कितने प्लोट्स किस भाव से बेचे गये। आपने कहा कि कलेक्टर से सूचना प्राप्त नहीं हुई। लेकिन म्युनिसिपैलिटी की सारी सूचना कलेक्टर के पास जाती है उसको सूचना देनी चाहिये थी। जवाब स्पष्ट नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रश्न के प्राप्त होने के बाद हमने कलेक्टर को लिखा है कि सारी छानबीन करके बतावें। चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड से भी सारे मामले में एक्सप्लेनेशन मांगा है। जब तक सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक तहकीकी तौर पर नहीं कह सकता। हमने पहले से ही इसकी छानबीन करने के लिए लिख दिया है।

श्री रामकिशन : पहले जब यह हुआ तब आपको सूचना प्राप्त थी और सूचना प्राप्त कर सकते थे। अध्यक्ष महोदय, हुआ यह है जहां पर तीन लाख वसूल हुए हैं वहां पर नगर पालिका के लिए पन्द्रह–बीस लाख वसूल हो सकते थे। लेकिन इसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच करने के लिए कलेक्टर को लिखा है। अभी सूचना प्राप्त नहीं है तो इस प्रश्न को स्थगित किया जाय और पूरी सूचना प्राप्त होने के बाद ही इसका जवाब दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जब यह नीलामी की कार्यवाही हुई तब एस. डी. ओ. वहां मौजूद था या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिन तारीखों को यह नीलाम हुआ, 20–21 अप्रैल 1965 को, तो वैसे नियमों के प्रावधान के अनुसार एस. डी. ओ. को एसोसियेट करना चाहिए था, इसलिए ही बाकायदा नीलामी की सूचना एस. डी. ओ. को दे दी गई थी, उसकी नीलामी की सूचना पहले ही मिल चुकी थी तो उसको उपस्थित रहना चाहिए था।

श्री मूलचन्द डागा : नीलामी के वक्त वह उपस्थित रहा या नहीं—सवाल यह है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह नहीं आया यह बात दूसरी है लेकिन सूचना दे दी गई थी नीलामी की।

श्री मूलचन्द डागा : जब तक एस. डी. ओ. हाजिर नहीं हो तब तक नीलामी को रोक देना चाहिए था, उसकी गैर हाजिरी में नीलामी हो नहीं सकती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एसोसियेशन का है और एसोसियेट करने के लिए उसको लिखा जा चुका था और उसको इतला हो चुकी थी। उसके बावजूद यदि आफिसर नहीं आता है तो उस वजह से जबकि नीलामी की डेट फिक्स हो चुकी थी, अखबारों में निकल चुका था, राष्ट्रदूत वगैरह में और बिडर्स आ चुके थे नीलामी पोस्ट पोन करनी चाहिए—इसको म्युनिसिपैलिटी के जो पांच मेम्बर्स थे और उनकी जो कमेटी थी, जो कि नीलामी की कार्यवाही करती है, उसने मुनासिब नहीं समझा और नीलामी करना मुनासिब समझा।

श्री रामकिशन : जो एसोसियेशन का प्रोवीजन रखा है वह किस के लिए रखा है ? एस. डी. ओ. एसोसियेट करे तब ही नीलामी होती है—यह प्रोवीज़न किसके लिए रखा है ? प्रश्न इसमें यह उठता है कि वह जानबूझ कर

(श्री रामकिशन)
नहीं आया या उसको कोई आवश्यक कार्य था ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नहीं है कि वह जानबूझकर नहीं आया या कोई दूसरा ऐंगेजमेंट था इसलिए नहीं आ सका-इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री रामकिशन : एसोसियेशन की आवश्यकता है, अगर नहीं आया तो उसकी जानकारी होनी चाहिए।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : यह सब बातें डिटेल्स की हैं और उनको जारी करने के लिए उनकी छानबीन करने के लिए. .

श्री रामकिशन : अगर सूचना प्राप्त नहीं है तो इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : हमने लिखा है और छानबीन हो जाने के बाद और इन्क्वायरी हो जाने के बाद ही मैं इसका जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री चुन्नीलाल इंदलिया !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया नहीं पूरा !

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, जरूरी प्रश्न यह है कि एस. डी. ओ. को उस नीलामी में शरीक होना चाहिए, यह जो ड्यूटी उसको एसाइन की गई है उस ड्यूटी को उसने अंजाम नहीं दिया तो उस एस. डी. ओ. के खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कोई एक्शन लिया है ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : ऐं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : उस एस. डी. ओ. के खिलाफ क्या एक्शन लिया है क्योंकि वह नीलामी में शरीक नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। नेक्स्ट।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार दो हजार से ऊपर की कीमत के प्लाट होने के कारण उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार से अनुमति ली गई है तो कितने कैसेज में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह नियम है कि दो हजार या इससे अधिक का वेल्यूएशन होने पर सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है। मैंने यह भी निवेदन कर दिया कि सरकार की स्वीकृति नहीं ली गई है। मैंने यह भी निवेदन कर दिया है कि इसके लिए हमने कलेक्टर को लिखा है कि वह छानबीन करके इस सारे मामले में रिपोर्ट पेश करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि दो हजार से कम वेल्यूएशन होने की सूरत में कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है बिना अनुमति के नहीं हो सकता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही है कि कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए कलेक्टर से पूछा है कि वह यह बतायें कि उनसे कितने मामलों में स्वीकृति ली गई है ?

श्री रामकिशन : नहीं ली गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इंदलिया। नेक्स्ट।

श्री रामकिशन : सूचना कोई नहीं आई है पूरी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूचना का प्रश्न नहीं है, इट इज ए मैटर आफ इन्क्वायरी। जो सूचना देनी थी वह दे दी गई है कि स्वीकृति नहीं ली गई। अब डिटेल्स की बात तो मैटर आफ इन्क्वायरी है, उसके लिए कलेक्टर को लिखा है। वह अपनी इन्क्वायरी करके भेजेगा तब इसका जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।
(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 4 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रतापगढ़ से देवगढ़—धरियावद—उदयपुर सड़क निर्माण कार्य

206. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़):— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से देवगढ़, धरियावद होकर उदयपुर तक सड़क जाती है। यदि हां, तो यह सड़क कितनी मील लम्बी है?

(2) क्या यह सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक बराबर योजना में आ रही है? अगर हां, तो अब तक यह सड़क कितनी मील बन चुकी है व किस किस योजना में कितनी कितनी धनराशि इस पर खर्च की गई और प्रत्येक योजना में कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ से उदयपुर वाया धरियावाद सलूम्बर झालरा तक की दूरी 98 मील है दूसरा मार्ग कनोड़ बंसी होकर लगभग 92 मील लम्बा है।

(2) जी हां, धरियावाद से उदयपुर वाया सलूम्बर झालरा तथा दूसरा मार्ग धरियावाद से उदयपुर वाया कनोड बंसी होकर है। अब तक 98 मील से 85 तथा 92 में से 79 मील बने हैं। प्रशासनिक स्वीकृति एवम् योजनावार खर्च का ब्योरा संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट पांच देखिये)

भादरा तहसील के ग्रामों में चोरियों के मामले

209. श्री हंसराज आर्य—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले की भादरा तहसील में पिछले 3 सालों में गांव उदराण छानी-बड़ी—कलाना—शेरपुरा—निनाण, गांधीबड़ी डूंगराना—माहड़ी—कस्बा भादरा और किराड़ाबड़ा में जो चोरियां हुई हैं उनमें अनुमानतः कितनी धनराशि चोरी गई है?

(2) इन चोरियों में कितनी चोरियों का पता लगा तथा कितना माल बरामद हुआ और कितने चोर पकड़े गये?

उत्तर

(1) इन 11 गांवों में पिछले तीन सालों में 56 चोरियां हुई हैं, सन् 65 में

Page No.36

(गृह मंत्री)
2, 66 में 16 व 67 में 15 दर्ज हुई। और इनमें कुल 115772) रु० का माल चोरी गया है।

(2) इन 36 चोरियों में से 14 का पता लगा तथा 11477) रु० 75 पैसे का माल बरामद हुआ व 17 चोर पकड़े गये।

मध्य प्रदेश सीमा तक पक्की सड़क निर्माण कार्य

215. श्री शेरसिंह सिंघल (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार छबड़ा तहसील, जिला कोटा में कस्बा छबड़ा से ग्राम पाली को होती हुई बांसाहेड़ा तहसील, चाचोड़ा जिला गुना, मध्य प्रदेश तक राजस्थान की सीमा में पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है जिससे आगरा बोम्बे-रोड सीधी मिल सके? अगर नहीं तो क्या कारण है?

उत्तर

छबड़ा से मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भालेरी-बूचावास तथा सरदारशहर-नोहर सड़क निर्माण कार्य

59. राजा श्री हरिसिंह (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि भालेरी से बूचावास एवं उसमे आगे 5 मील तक पक्की सड़क बनना बाकी है? अगर हां तो क्या सरकार इसको जल्दी ही सम्पूर्ण करवाने का इरादा रखती है।

(2) क्या सरदारशहर से नोहर तक कोई पक्की या कच्ची सड़क बनी हुई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन दोनों स्थानों को मिलाने के लिये पक्की या कच्ची सड़क बनाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक काम शुरू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) भालेरी एवम् बूचावास के मध्य 3 मील सड़क बनना शेष है आगे 5 मील का कार्य प्रगति पर है।

(2) यह कच्चा मार्ग है अकाल राहत में केवल 11 मील में मिट्टी का व 3 मील धांधला बिछाई काम कराया है। स्वीकृति के अभाव में आगे कार्य कब हो सकेगा कहा जाना कठिन है।

प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी-चित्तौड़ सड़क निर्माण कार्य

60. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) प्रतापगढ से छोटी सादड़ी होकर चित्तौड़ सड़क कितनी मील लम्बी है और दोनों तरफ से कितनी कितनी मील बन चुकी है।

(2) क्या यह सत्य है कि यह सड़क प्रथम योजना से अब तक बराबर योजना में ली जाकर इसको बनाने बाबत धनराशि स्वीकृत होती रही है? यदि हां तो किस

(श्री हरलाल मीणा)
किस योजना में कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और किस किस योजना में कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई।

(3) क्या सरकार इस सड़क को जिले से मिलाने के लिये जल्दी बनाने का विचार रखती है। यदि हां, तो इसका काम कब तक समाप्त कर दिया जावेगा

उत्तर

यह सड़क 64 मील लम्बी है चित्तौड़ से निम्बाहेड़ा के बीच 36 मील रोड बन चुकी है। और प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी तक 6 मील व छोटी सादड़ी से 2 से 6 मील तक सड़क बनाई गयी है।

(2) निम्बाहेड़ा प्रतापगढ़ रोड दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुई है प्रशासनिक स्वीकृति 13,20 000 के विरुद्ध द्वितीय तृतीय तथा वर्ष 1965–66 के बाद क्रमशः 1,81,522), 4,64,959 तथा 24006 जनवरी 1968 तक व्यय हुआ है।

(3) कार्य चल रहा है वित्तीय अभाव के कारण कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा। समय निश्चित किया जाना सम्भव नहीं हैं।

अलवर में गोशाला

61. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) :–क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर में जो गोशाला थी उसमें कितनी गऊएं रखी जाती थीं ? उन पर कितना व्यय होता था और आमदनी कितनी होती थी ?

(2) कितने परिवार इस गऊशाला से सेवा (दुग्ध आदि की) प्राप्त करते थे ?

(3) इसको अलवर से हटाने का क्या कारण है ? क्या अलवर में इस गऊशाला की उपयोगिता अब नहीं रही है ?

उत्तर

(1) अलवर में कोई गोशाला नहीं थी, अतः गायों की संख्या, आमदनी का व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेद फार्मेसियों के व्यवस्थापक

62. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :–क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) आयुर्वेद विभाग द्वारा चलाई जाने वाली फार्मेसियों के व्यवस्थापक को ईस पद पर नियुक्ति के पूर्व कितने साल तक दवाइयां बनाने का अनुभव है ?

(2) क्या विभाग में मौजूदा व्यवस्थापक से ज्यादा अनुभवी व उपयुक्त व्यक्ति इस पद के लिए उपलब्ध नहीं है

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभाग द्वारा चलाई जाने वाले फार्मेसियों के वर्तमान व्यवस्थापक श्री जानकीलाल त्रिपाठी को इस पद पर नियुक्ति के पूर्व रसायनाचार्य पद पर करीब 2 वर्ष तक कार्य कर चुके थे और इससे पूर्व उदयपुर रसायनशाला में प्रभारी के रूप में 511 वर्ष

Page No.38

(आयुर्वेद मंत्री)

तक कार्य किया था। इस तरह इनको करीब 5॥ साढ़े पांच वर्ष का अनुभव है।

(2) चूंकि ये रसायनाचार्य पद पर कार्य करते थे और वरिष्ठता में श्री रविनन्दन शर्मा से जो विश्रामपूर्ति कर चुके हैं दूसरे नम्बर पर थे, इसलिए इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सरप्लस कर्मचारी

63. श्री जगन्नारायण लाल दिवा (निवाई) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने क्या यह आदेश निकाला है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को सरप्लस नहीं किया जावे ? यदि हां तो कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गत दो साल में कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरप्लस किया गया ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित करने के बारे में निम्न-परिपत्र जारी किये गये थे। जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है:—

(1) संख्या एफ. 1 (33) जी. ए। सी।63 दिनांक 23 जुलाई 1963

(2) संख्या एफ. 1 (33) जी. ए. सी. 66 दिनांक 4 अगस्त, 1963

(3) संख्या एफ. 1 (33) जी।एसी।66 दिनांक 13 जून, 1967

23 जुलाई के निर्णय के अनुसार सुरक्षित अनुपात के स्थानों पर नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पदों के समाप्त होने पर अतिरिक्त घोषित नहीं किया जाने के आदेश जारी हुये थे। परन्तु 1-11-1964 के बाद में ऐसे नियुक्ति किये गये सभी कर्मचारियों की सेवायें, पदों के समाप्त होने पर समाप्त की जा सकती थी। तदुपरान्त 4-8-1966 के निदेश के अनुसार यह छूट दी गई कि 1-11-1966 को 6 माह से अब तक के नियुक्त अनुसूचित। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की ही सेवायें समाप्त कर दी जा सकती थीं। अन्त में 13-6-67 के परिपत्र में यह और छूट दी गई कि 1-10-1966 के बाद में नियुक्ति अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पदों के समाप्त होने पर उन्हें अतिरिक्त घोषित कर दिए जायें, ताकि वे समावेश के पात्र हो जावे।

(2) उपरोक्त आदेशों के अन्तरगत अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 22 कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित किया गया तथा उनका समावेश अन्य स्थानों पर कर दिया गया है एक कर्मचारी की सेवायें समाप्त की गई है।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

राजस्थान में पुलिस के थाने तथा उनकी श्रेणियां

64. श्री देवदत्त गाडिया (बारां) :—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(देवीदत्त गाडिया)

(1) राजस्थान में कुल कितने थाने हैं और उनको कितनी श्रेणियों में विभाजित कर रखा है ? और उन श्रेणियों में कितने कितने थाने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसा नियम बना रखा है कि जिस श्रेणी का थाना है उसमें उसी ग्रेड के थानेदार की नियुक्ति की जाय ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में कई ऐसे थाने हैं जिनमें उसी श्रेणी के ग्रेड के थानेदार की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो किस किस श्रेणी के किन किन थानों पर उस योग्यता के थानेदारों की नियुक्ति नहीं कर रखी है और किन कारणों से ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल थाने 467 हैं (रेल्वे के अलावा) जो किसी प्रकार की श्रेणियों में विभाजित नहीं है।

(2) जी नहीं। थानेदारों में किसी प्रकार की श्रेणी नहीं है। थाने की महत्वता को देखते हुए जिस थानेदार को योग्य समझा जाता है उसको लगाया जाता है।

(3) थानेदारों में कोई श्रेणी नहीं है। अतः थाने की श्रेणी के अनुसार थानेदार लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

तस्कर व्यापार के मामले

65. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) :—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1962 से 1967 मार्च तक राज्य में कितने तस्कर व्यापार करने वाले पकड़े गये हैं तथा उनका कितना कितना माल जब्त किया गया है ?

(2) उपरोक्त तस्कर व्यापार करने वालों में से कितनों को सजा हुई व कितनों पर जुरमाना किया गया है व कितनों को जमानत पर रिहा किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) तस्कर व्यापार रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) सन् 1962 से मार्च 1967 तक राजस्थान में 6742 व्यक्ति पकड़े गये। तथा उनसे जो माल जब्त किया गया है कि सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त समय में तस्कर व्यापार करने वालों में से 2259 व्यक्तियों को अदालत सजा हुई व 352 व्यक्तियों पर जुर्माना हुआ और 6253 व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा गया तथा शेष 189 व्यक्तियों को धारा 169 जा. फो. के अनुसार छोड़े गये। संलग्न है।

(3) तस्कर व्यापार को रोकने के लिए नाका बन्दी व गश्त समयानुसार की जा रही है। आवश्यक स्थानों पर विशेष पुलिस चैक पोस्टों के रूप में लगाई जाकर तस्कर व्यापार की रोकथाम की जा रही है। तस्करी मामलों का अनुसंधान विशेष प्रयत्न से कराया जाकर अदालत से मामलों में आवश्यक रूचि लेकर सजायें व जुर्माने कराये जा रहे हैं जिससे इन मामलों की संख्या में काफी कमी रोकथाम हुई है।

Page No.40

स्थगित प्रश्न

28-1-93

गांधी चर्म उत्पादन सहकारी समिति, कस्बा लाडनूं

44. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं में गांधी चर्म उत्पादक नाम की सहकारी समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो वह कब बनी व बनते समय उसके कौन कौन सदस्य थे और बाद में कब कब कौन कौन नये सदस्य बनाये गये तथा पहले के सदस्यों में से किन किन किन को कब कब किन कारणों से अलग किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त सहकारी समिति को कब कब कितने कितने रुपये की सहायता व ऋण दिया गया और उसको किस किस कार्य में खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इस सहकारी समिति के सदस्यों ने ही इस समिति के खिलाफ कब कब किस किस अधिकारी को अनियमित कार्य व गलत खर्च के लिए शिकायतें कीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ।

(4) क्या राज्य सरकार इस समिति के कार्य से संतुष्ट है ?

(5) क्या सरकार इस समिति के कार्यों की सम्पूर्ण जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक जांच होगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(6) मौजूदा समिति के सदस्य क्या क्या कार्य करते हैं तथा नगरपालिका सेवा के कर्मचारी इसके सदस्य हो सकते हैं या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। इस समिति की रजिस्ट्री दिनांक [illegible]-3-64 को क्रमांक 8[illegible]7 पर की गई तथा उस समय इसके 15 सदस्य थे जिसकी सूची (प्रपत्र अ) संलग्न है। बाद में 7 सदस्य, दिनांक 27-8-66 को 6 व दिनांक 16-1-68 को एक नये को (सूची ब)। दि. 24-9-66 को 6 सदस्य अलग हुए (सूची स)। ये सदस्य स्वेच्छा में अपना त्याग पत्र देकर समिति से अलग हुए।

(2) उपरोक्त समिति को संलग्न सूची (द) के अनुसार सहायता व ऋण जिस कार्य के लिए दिया गया उसी पर उपयोग हुआ है।

(3) इस सहकारी समिति के बारे में जब जब जिस जिस अधिकारी को शिकायतें की गई तथा उन पर जो कार्यवाही की गई वह संलग्न सूची परिशिष्ठ (क) में दर्ज हैं।

(4) सहायक रजिस्ट्रार, की रिपोर्ट के अनुसार यह समिति ठीक कार्य कर रही है। प्राप्त शिकायती पत्रों की जांच कराई जा चुकी है। शिकायतें न्याय संगत और उचित नहीं पाई गई है।

(5) मौजूदा समिति के सदस्य समिति के उप नियमों में दर्शाये कार्यों का सम्पादन करते हैं। उप नियमों के अनुसार नगरपालिका करती है।

(6) सेवा के कर्मचारियों के लिए इसके सदस्य होने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वे समिति के उप-नियमानुसार सदस्य बनने की योग्यता रखते हों।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

(12.34 म० प०)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्थगन प्रस्ताव ?

श्री अध्यक्ष : आ रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके बाद ?

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) ओरियन्टल पावर केबिल्स लिमिटेड का 31 मई, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित छठा प्रतिवेदन, एवं,

(2) मान इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि. जयपुर का 1967 से सम्बन्धित 21 वां प्रतिवेदन एवं लेखे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष :

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

विधान सभा की गत बैठकों के दौरान व इनके पश्चात् कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें श्री रामचन्द्र आर्य, श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री रामकिशन, श्री नन्दलाल, श्री देवीदत्त पाडिया, श्री प्रेमसिंह, श्री रामकुमार नन्दवाना, श्री सुवालाल चौधरी, श्री श्रवणलाल, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री वृद्धिचन्द्र जैन, श्री सहदेव शर्मा एवं श्री केसरीसिंह से प्राप्त हुई थीं।

मैंने इन सभी स्थगन प्रस्तावों में उल्लेखित विषयों का अध्ययन किया है। मेरी राय में इनमें से कोई मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि जिस पर बहस करने के लिए सदन की पूर्व निश्चित आज की कार्यवाही को स्थगित किया जाय।

माननीय सदस्य अपने स्थगन प्रस्तावों द्वारा जो प्रश्न सदन में उठाना चाहते हैं वे उनको बजट पर सामान्य वाद विवाद अथवा मांगों पर विचार करते समय कटौती प्रस्तावों के द्वारा उठा सकते हैं।

ऐसी स्थिति में मैं उपरोक्त माननीय सदस्यों द्वारा दिए गये सभी स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

आज भी निम्नांकित प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:—

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री रामानन्द अग्रवाल ने सवाई मानसिंह अस्पताल में हाउस सर्जन, सी. एम. ओ., जूनियर डिमांस्ट्रेटर, रजिस्ट्रार एवं मेडीकल कालेज के स्नातकोत्तर छात्रों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री केशरीसिंह हाड़ा ने सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नहरों में पानी की अव्यवस्था से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, तथा

(3) श्री गिरधारी लाल व्यास ने भीलवाड़ा में डालडा वनस्पति मिल के मैनेजमेंट द्वारा मजदूरों के साथ ज्यादती किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये तीनों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि इन पर आज सदन में विचार किया जा सके। अतः मैं इन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि सम्बन्धित मंत्री महोदय इन तीनों प्रस्तावों के विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज या कल सुविधानुसार वक्तव्य देंगे।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के अतिरिक्त 26 जनवरी, 1968 को गोहाटी (आसाम) में राजस्थानी व अन्य प्रान्तों के प्रवासियों की सम्पत्ति को लूटने व नष्ट करने सम्बन्धी तथा रण कच्छ के विवाद पर 19 फरवरी, 1968 को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय सम्बन्धी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं भी आज प्राप्त हुई हैं। ये दोनों विषय मेरे विचाराधीन हैं और मैं इन पर अपना निर्णय कल तक दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव अस्पताल में सर्जनों की हड़ताल के सम्बन्ध में दिया...

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन कर दूं, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करली है। वह कल इसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कल देंगे? मेरा खयाल है कि विद्यार्थियों और सर्जनों से उन्होंने बात की है आज।

श्री दामोदर लाल व्यास (स्वास्थ्य-मंत्री): जी नहीं। मेरी कोई बात नहीं हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मेरी जानकारी है कि बात करने के लिए आपने उनके डेपूटेशन को बुलाया और वह मिलने गये।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट! आधे घण्टे की चर्चा!

श्री गिरधारी लाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के ऊपर मंत्री महोदय आज वक्तव्य देंगे या कल देंगे?

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज! आधे घण्टे की चर्चा।

श्री सहदेव शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये थे।

श्री अध्यक्ष : उन पर मैं विचार कर रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिस पर माननीय मंत्री जी को कल तक विचार करना पड़े। अस्पताल में एकदम ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, सैंकड़ों हाऊस सर्जन्स के द्वारा हड़ताल करने से मरीजों की देखभाल की समस्या पैदा हो गई है। यह जो समस्या है इसमें कोई फैक्ट्स की जानकारी करने की जरूरत नहीं है। केवल उनकी मांग यह है कि जो भत्ता मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिये। अभी उनको 200 रुपये मिलते हैं। उनमें उनका गुजारा नहीं चलता है इसलिए उन्होंने सौ रुपये की अधिक की मांग की है। उस पर गवर्नमेंट ने पहले से विचार किया होगा और उस पर गवर्नमेंट द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। अब उनको मजबूर होना पड़ा कि वह हड़ताल करें और वह हड़ताल करें तभी गवर्नमेंट सोचे–यह स्थिति उचित नहीं है···

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर, ऑर्डर !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह स्थिति और बढ़े, और हड़ताल लम्बी बढ़े इसमें कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय इस बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी को बतायें, ताकि स्थिति में कुछ सुधार हो और अनावश्यक तौर पर हड़ताल की स्थिति जारी नहीं रहे। इस बारे में मंत्री महोदय को क्या कहना है। गवर्नमेंट आज उस पर सोचना चाहती है तो ·· ··

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय समझ गये आपकी बात को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब उनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया गया तब उस पर विचार नहीं किया गया। प्रिन्सिपल साहब से कहा है, आपसे मिलने को बात भी कही है। फिर भी आपने उस पर विचार नहीं किया तब उनको हड़ताल पर जाना पड़ा। हम जानना चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का आखिर यह क्यों एटीट्यूड है? आप बातचीत क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप विचार करके जो उचित मांग है उसको पूरा क्यों नहीं करना चाहते? आखिर उत्तर-प्रदेश में, आगरा में 285 रुपये मिलते हैं···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! माननीय मंत्री !

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब सबका मंहगाई भत्ता बढ़ा है तो आप इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं करना चाहते ?

श्री अध्यक्ष : आज देना चाहेंगे क्या ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने अर्ज कर दिया, जहां तक अस्पताल का सवाल है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को जानकारी ठीक नहीं है। अस्पताल में सामान्य रूप से काम हो रहा है और वहां पर मरीजों को तकलीफ नहीं है। जहां तक हाउस सर्जन्स का स्ट्राइक पर आने का सवाल है, यह लोग ट्रेनिंग पीरियड में हैं और इन पर अस्पताल की जिम्मेदारी किसी वार्ड को या किसी यूनिट को नहीं है। जहां तक स्टाइपेन्ड का सवाल है, मैंने निवेदन किया कि मैं कल स्टेटमेंट दूंगा और मैं बताऊंगा कि बगैर नोटिस दिये, बगैर टाइम दिये, बगैर

(श्री दामोदर लाल व्यास)
इन्टीमेशन दिये हुए और बगैर गवर्नमेंट को मौका दिये ताकि गवर्नमेंट उनकी डिमाण्ड पर विचार करे—यह लोग स्ट्राइक पर चले गये। मेरे खयाल में, देश के अन्दर ऐसी दूसरी एक्जाम्पल नहीं मिलेगी जिससे मेडीकल कालेज के स्टाइपेन्ड होल्डर, जो ट्रेनिंग पीरियेड में है, राज्य सरकार द्वारा जिनकी ट्रेनिंग पर खर्चा किया जा रहा है। बगैर नोटिस दिये, बगैर टाइम दिये, बगैर इन्टीमेशन दिये स्ट्राइक पर चले जायं।

इसलिए मैं विस्तृत जानकारी करके सदन के समक्ष कल प्रस्तुत कर दूंगा। पर यह जो किया गया है, वह गलत बात है। कोई नोटिस नहीं दिया गया है, नोटिस देने का जो माननीय सदस्य ने कहा है, यह उनको गलत जानकारी दी गई है, किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। परसों उनकी चिट्ठी आती है और फिर एकाएक हड़ताल कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आध घन्टे की चर्चा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, उस पर क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष : अभी बताता हूं।

श्री मूलचन्द डागा आधे घन्टे की चर्चा उठायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आधा घन्टे की चर्चा एक लोक महत्व के विषय पर उठाना चाहता हूं। जनसेवकों को इस प्रश्न पर बैचेनी होगी, पर उस बैचेनी की परवाह नहीं करते हुए लोक सेवकों के सम्बन्ध में आधा घण्टा की चर्चा उठाता हूं। मैं समझता हूं आज जिस तरह से लोक सेवक या जन सेवक काम कर रहे हैं और उसके कारण जनता के अन्दर क्या भावना पैदा होती है, इस बाबत एक लोक महत्व का विषय आधे घंटे की चर्चा के लिए मैंने रखा है। जो कर्मचारीगण, अधिकारी गण सुबह 9 बजे आते हैं और शाम को 5 बजे तक उनके रहने का कार्यक्रम है कि वे 5 बजे तक आफिसेज में रहें। उसके बीच में एक घंटे का तो भोजन का समय रखा है और इसके अलावा चाय पीने के लिए आधा घंटे का समय दिया जाता है। यह कार्यक्रम है। सरकारी कर्मचारी, उच्च अधिकारी एक घंटा भोजन के लिए जाने के अलावा आधा घंटा चाय पीने के लिए जाते हैं, जिनका काम के प्रति प्रेम कहा जाता है वे आधा घंटे के लिए नहीं, उनको चाय पीने में एक घंटा और दो घंटे लग जाते हैं। इस कारण जो लिटिगेन्ट्स आते हैं, वे बाहर खड़े खड़े उनकी इन्तजार करते रहते हैं कि कब आयें और हमारे मुकदमों की सुनवाई करें। जो वकील आते हैं वे चाय के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और 1.30 का समय होता है उसकी बजाय बहुत पहले ही अपनी घड़ियों की ओर देखने लग जाते हैं और एक बजने पर ही काम करना छोड़ देते हैं, और दो तीन बजे तक वे अपने कार्यालयों में नहीं पहुंचते हैं।

मैं एक बात का आभार मानूंगा कि राज्य सरकार ने एक आज्ञा प्रसारित की है कि जो मध्याह्न भोजन के लिए जायं, एक समय एक घंटे के लिए जा सकते हैं और आधा घण्टा चाय पीने के लिए दिया गया है। समय की पाबन्दी सुशीलता का चिन्ह है पर मैं देख रहा हूं कि जो आपकी यह व्यवस्था है, चाय पीने के लिए सारे उच्च अधिकारी

(श्री मूलचन्द डागा)

एक जगह इकट्ठे हो जायं। हंसी के फव्वारों के बीच किस प्रकार की बातें वे वहां करते हैं और बाहर खड़ी जनता देखती रहती है कि आखिर ये कब बाहर आयेंगे और हमारे मुकदमों की सुनवाई करेंगे।

एक बजते ही ये उच्च अधिकारी सब एक जगह चाय के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और वहां बातें करते रहते हैं। हर ऑफिसर के ऑफिस में चेम्बर है, वे अगर चाय पीना चाहें तो चेम्बर में जाकर चाय पी सकते हैं, वे वहीं आराम से बैठकर चाय पी सकते हैं, पर ऐसा न करके सारे अधिकारी एक जगह बैठकर, एक जगह इकट्ठे होकर चाय पीते हैं, वहां बैठकर बातें करते हैं, दूर दूर के कमरों में अलग अलग अधिकारी रहते हैं, उनके आने जाने में ही आधा घण्टा समाप्त हो जाता है। मैं समझता हूं यह इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, वह इस आशय से की गई है कि वे आपस में बातचीत करके ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों के दिलों में काम करने के प्रति दिलचस्पी है, जिन लोगों की यह वृत्ति है कि काम ही आराम है तो ऐसे अधिकारियों के लिये यह आवश्यक नहीं कि एक जगह चाय के लिए इकट्ठे होकर ज्यादा काम कर सकेंगे। चाय के लिए ये अधिकारी इकट्ठे होते हैं तो किस प्रकार की बातें वहां होती हैं, फेमिली प्लानिंग ऑफिसर, कलेक्टर, एस. डी. ओ. डी. एस. ओ. और जूडिशियल ऑफीसर्स वहां इकट्ठे हो जाते हैं और एक सम्मेलन सा बनाकर बातें करते हैं, इसमें आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने घंटे लग जाते होंगे। सारा काम ठप्प हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित हो गया है।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे सारे काम की सफलता इन अफसरों की मेहरबानी पर निर्भर करती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि अधिकारी अपने कमरों में, अपने चेम्बर में ही बैठ कर चाय पी लें तो अच्छा होगा। इस तरह के क्लब होते हैं, इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही है, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। उन्होंने इस प्रकार की एक आज्ञा जारी की है, यह आज्ञा जारी करने की कृपा करें कि चाय के लिए सब एक जगह इकट्ठे न होकर अपने कमरों में ही, अपने चम्बर में ही चाय पियें।

श्री रामकिशन (बैर) : उत्तर दें, इससे पहले मैं एक जानकारी चाहूंगा, जिस दृष्टि से पहले ये आदेश दिये गये थे कि इस तरह आपस में बात चीत करने से कार्य कुशलता बढ़ेगी तो मुख्य मंत्री जवाब बतायें कि इस से किस प्रकार कार्यकुशलता में उन्नति हुई है। अगर इस तरह से कार्यकुशलता नहीं बढ़ी है तो क्या सरकार पुनः इस दृष्टिकोण पर विचार करने के लिये तैयार है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जो आफिसर्स के लिए यह रखा गया है कि 9 बजे कार्यालय में और शाम को 5 बजे तक रहें, व बीच में एक घन्टा लन्च के लिए जा सकते हैं। इससे कार्य की क्षमता कितनी बढ़ी है, इसके इवेल्यूएशन के लिए कोई यूनिट तो हमने बनाया नहीं था पर अमूमन यह मान कर चला गया था कि इस तरह कार्यक्षमता बढ़ेगी। मैं यह जानता हूं कि कई अधिकारी निश्चित समय से ज्यादा बैठते हैं। हो सकता है कि कहीं ऐसी स्थिति हो, जैसी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि शिकायत की गई है। माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जो बातें कहीं हैं वे मुझे बाद में बता देंगे कि किन किन के बारे में उन्होंने कहा है, इस प्रकार की बात कहीं है तो उस पर विचार करके कार्यवाही की जा सकती है। पर सरकार इस बात को सोच रही है कि अलग अलग समय रखा गया है, वह नहीं रख कर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये एक ही प्रकार के समय की व्यवस्था कर दें। अपने कमरे में ही चाय पी लें यह व्यवस्था नहीं की जा सकती। जो बीच का समय है उसमें और अधिकारी भी साथ बैठ जाते हैं, उसमें ऐतराज नहीं किया जा सकता। जो समय निर्धारित है, उससे अधिक समय नहीं लगायें यह देखा जा सकता है।

समय सबका समान कर दिया जाय इसके लिये सोच रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): अभी माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा, अगर इसे अपने जीवन में बैठा लें तो कितना अच्छा हो, सदन चलता रहता है और···

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इधर उधर घूमते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! वन मंत्री। वन मंत्री नहीं हैं।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मेरा काल अटेन्शन है न ?

श्री अध्यक्ष : वह तो खतम हो गया, आपने कहा ध्यान नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं तो निवेदन कर रही थी।

श्री अध्यक्ष : अब भी ध्यान आकर्षित कर दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वह वन संम्पदा की रक्षा करे और इसके साथ ही साथ अन्य पशुओं की, वन्य जन्तुओं की रक्षा करे। पर मुझे निवेदन करते हुए अफसोस होता है कि वन विभाग अपनी इन जिम्मेदारियों में से एक भी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। जिस तरह वन सम्पदा काटी जा रही है, वह तो सभी जानते हैं पर मैं सदन का ध्यान वन्य-पशुओं की ओर दिलाना चाहती हूं।

वन्य पशुओं की रक्षा के लिये भारत-सरकार ने एक कानून बनाया, राजस्थान सरकार ने भी कानून बनाया। हमारे यहां कई वन्य पशु भारत सरकार के कायदे के माफिक अवध्य हैं, ब्लेक काले हिकारे, जो दूसरी जगह नहीं हैं, यह राजस्थान में ही पाये जाते हैं, इनके बध की कानून के माफिक मुमानियत कर दी गई है, इन हरिणों का पूरी तरह शिकार ही नहीं हो रहा है बल्कि हत्याकाण्ड सा हो रहा है।

इस ओर वन विभाग आज तक ध्यान नहीं दे सकते। कई बार निवेदन किया गया अब संसद् के सदस्य महाराजा बीकानेर ने भी वन मंत्री को एक पत्र लिखा और उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया। अभी बीकानेर में पुलिस सप्ताह मनाया गया, उसमें निर्दयता

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
के साथ हजारों हिरन मारे गए

(12.50 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

और सबसे बड़ा अफसोस होता है कि पुलिस अधिकारी और फौजी अधिकारी जीपें लेकर और सरकारी बन्दूकें लेकर इन पशुओं को मारते हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

अभी अभी एक ऐसा विशेष कांड हुआ जिससे वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेशन बोर्ड में तहलका मच गया। जब बाहर एक्सपोर्ट करने के लिये पार्सल भेजे जाने लगे और कस्टम विभाग ने जांच की तो उसके अन्दर हिरनों की पूछें मिलीं। जब जू डाईरेक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इन जानवरों को मारने के लिये तीन महीने की सजा मुकर्रर की गई है, उन जानवरों की ये पूछें हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये दो हजार पूछें थीं 18 किलो। जब मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि क्या पता कि ये पूछें दो साल की या तीन साल की हो सकती हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ये पूछें दो महिने के अन्दर अन्दर मारे हुए जानवरों की थीं वे टेन्ड नहीं थीं लेकिन अन्टेन्ड थीं। एक महीने से ज्यादा नहीं रह सकती क्योंकि खराब हो जाती हैं। इस तरह दो हजार जानवर जिनको मारने का कानून बना हुआ है, राजस्थान में मारे गए और कुछ पैसों के लिए इनका एक्सपोर्ट किया जाता है।

मैं वन मंत्री से पूछना चाहती हूं कि जू डाइरेक्टर ने एक्सपोर्ट करने वाले तीन आदमियों के नाम व पते आपको भेजे तो आपने उस पर क्या कार्यवाही की? किस गैंग से उनका सम्बन्ध है, क्या जांच की और इस बारे में क्या कार्यवाही की। पिछली बार सदन में इसी प्रकार का सवाल आया तो आपने जवाब दिया था कि हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, हमारे पास कोई आदमी नहीं, हम कैसे पता लगायें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग ने आज तक आम जनता को इस बारे में जानकारी नहीं दी कि हिरन मारना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना गया है, इनकी स्पेशिज नष्ट होती जा रही है। जो कुछ थोड़ी बहुत बच गई, बीकानेर जिले के अन्दर हैं। मेरे खयाल से सदन के काफी सदस्यों को जानकारी नहीं होगी कि इस तरह के हिरन व जिनकारे जिनको इम्पीरियल बस्टर्ड कहते है, नष्ट हो रहे हैं, उन पर रोक लगी हुई है, तो ऐसी हालत में वन विभाग का फर्ज नहीं है, कि रेडियो व अखबार द्वारा जन साधारण को सूचित किया जाय? इसलिए मैं वन विभाग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं और मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जिन तीन व्यक्तियों से पूछें एक्सपोर्ट करते पकड़ी गईं, उनको आपने क्या जांच की, क्या कार्यवाही की वह किस गैंग से सम्बन्धित हैं, आप स्थानीय पुलिस अधिकारियों और कलक्टर्स और दूसरे लोगों से इस बारे में अपने अपने जिले के बारे में किस प्रकार सहयोग लेना चाहते हैं, उन्होंने सहयोग दिया या नहीं, आपके सामने क्या दिक्कतें हैं, आप कृपया बताने की कृपा करें।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा (वनमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में, मेरी समझमें पहली

(राव श्री नारायणसिंह)

बार माननीय सदस्या ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कई वन पशुओं की हत्या हो रही है और उसकी सारी तस्वीर खींच कर हमारे सामने रखी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सदन में इस बात की ओर विशेष प्रकार से ध्यान दिलाया जाने लगा है और हमारी जागरूकता व करुणा बढ़ती जा रही है। मैं माननीय सदस्या के साथ पूर्णतः सहमत हूं। आज राजस्थान में वन पशु काले हिरन के रूप में या दूसरे रूप में कई स्थानों पर उपलब्ध नहीं हैं और इस प्रकार से यदि देखा जाय तो बहुत से ऐसे वन पशुओं की तवारीख मिलेगी जो बहुत जगह थे परन्तु वहां आज नहीं हैं। जैसे लायन्स का प्रश्न था, तो वे केवल गिर में ही मिलते हैं। आबादी केवल मनुष्यों की बढ़ती जा रही और दूसरों की नहीं। मनुष्य की आदत है कि वह जंगल भी काटे और दूसरे पशुओं को भी हटाए। यद्यपि हमारे यहां पर इस ओर जैन धर्म और दूसरे धर्मों ने काफी ....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह धर्म का सवाल नहीं है, कानून का पालन किया जाय।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : मैं धर्म का जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं संवेदना की बात कर रहा हूं। यद्यपि हमारे धर्मों ने काफी इशारा किया है कि जीव मात्र की रक्षा करनी चाहिए और टहनी काटना भी पाप है। परन्तु समझ में नहीं आता कि मनुष्य के दिमाग में धर्म की व्याख्या क्या होती चली जा रही है, करुणा की व्याख्या क्या है, उसके अनुसार वह कैसे करुणा को संकुचित करना चाहते हैं, तो जब वन विभाग के अंदर जो पशु हैं उनकी सुरक्षा का प्रश्न भी हमारे सामने आता है, तो ऐसी भूमिका में जब प्रश्न आता है तो मैं दंग रह जाता हूं कि इन पशुओं को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाय, वन के बाहर भी जहां चारों-ओर से बढ़ती हुई आबादी है और उसके साथ ही साथ मनुष्य के मारने के साधन राइफल्स आदि इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि उन पर कमांड नहीं। अभी काले हिरनों का जिक्र किया गया। मुझे मालूम है, मैं जिस कांस्टीट्यूएन्सी में रहता हूं, वहां बहुत काले हिरन हैं। मैं 30-40 साल पहले जब जयपुर आता था तो इधर भी बहुत हिरन मिल जाते थे और मोटर में बैठकर कहीं भी जाते थे तो हिरन जरूर रास्ता काटता था परंतु आज मेरा दिल बड़ा द्रवित हो जाता है कि हिरन छोड़कर खरगोश भी रास्ते में नहीं दीखता है। अगर वह रास्ता काटे तो सैकड़ों राइफल्स लेकर बैठे रहते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि शिकार में भी धर्म है, तो वह चीज अलग हो सकती है लेकिन आज करुणा की इतनी कमी होती चली जा रही है कि मैं पशुओं की सुरक्षा के लिए फारेस्टर्स संख्या बढ़ाऊं या करुणा के उपदेश के लिए कुछ साहित्य प्रसारित करूं, मेरी समझ में नहीं आता। अखबार में जरूर प्रतिबंधित कर दिया जायगा कि काले हिरन मारना मना है और इस विषय में राजस्थान वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेशन एक्ट मौजूद है, जिसमें कई जानवर बिल्कुल मारने की मनाही है, मोर, पक्षी, हिरन इत्यादि भी उसमें आ जाते हैं इसके साथ सजा भी है। मैं तो सोचता हूं कि ऐसे आदमियों को फांसी की सजा क्यों नहीं दी

(राव श्री नारायणसिंह)
आप शायद उससे डर पड़े लेकिन आज हम मनुष्य होकर यह बात करें तो कुछ अनुचित सा मालूम पड़ेगा। अगर सजा का डर न हो, मृत्यु दंड विधान में नहीं होता तो शायद मनुष्य मनुष्य को काटता। उन सबको देखते हुए मैं निवेदन करूंगा जहां तक हिरनों का प्रश्न है, चाहे वन विभाग के अधिकारी हों अथवा नहीं जहां बिश्नोइयों के गांव हैं, वे पशु स्वतः ही सुरक्षित हैं, वह भावना उनमें बैठी हुई है कि हिरन एक पवित्र चीज है, इस प्रकार से कई चीजों को बचाने की जरूरत है।

(व्य व ध)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : राजस्थान में जैन लोग भी बहुत हैं।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : इस प्रकार कई चीजों की वजह से है। कई जैन भी यहां हैं लेकिन जिस वक्त खेत में फड़का मारने जाते है उस वक्त जैन धर्म की तरफ ये भी ध्यान अनन्तर हो जाता है। जहां तक हिरन का प्रश्न है ये वेस्टर्न राजस्थान में बीकानेर की तरफ ज्यादा होते हैं। कई दफा ये जब वन विभाग की भूमि से बाहर राजस्व विभाग की भूमि में चले जाते हैं तो हमारे लिये वहां पर भी उनको देखना सम्भव नहीं रहता। वित्त विभाग कई मसलों में कटौती कर रहा है तो कैसे इतने आदमी रखें कि जो वन विभाग के बाहर भी अगर कोई पशु मारा जाता है तो उसका ध्यान रखें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर। मैंने केवल हिरनों के बारे में ही पूछा है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : I am stressing the point.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मेरी बात का जवाब नहीं मिलेगा, फिर समय खत्म हो जायेगा।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : आप यह क्यों प्रिज्युम करती हैं कि जवाब नहीं मिलेगा। मैं सारी चीज का व्यापक रूप से विश्लेषण कर रहा हूं। इसलिये मैं जिम्मेदारी के साथ निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कृपया यह भी बतायें कि रामायण काल में हिरन का शिकार किया जाता था या नहीं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : रामायण काल में चलेंगे तो बाल्मीकी रामायण में तो लिखा है कि रामचन्द्रजी हिरन का शिकार करते थे, और तुलसीदासजी कहते हैं कि नहीं।

श्री रामकिशन (बैर) : ये तो तामिलनाड रामायण पढ़ कर आये हैं। हिरन के भी आठ-दस किस्म हैं। रामायण में स्वर्ण हिरन का जिक्र है, काले हिरन का उल्लेख नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : आप शास्त्रों को बीच में न लावें।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने शास्त्रों के बारे में कहा ही नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : शास्त्रों में बहुत स्पष्ट है कि काले हिरन का मांस खा सकते हैं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : कुलाचार भी है।

(राव श्री नारायणसिंह)

खास बात हिरन के पूंछों के बारे में कहीं। एक दिल्ली की कम्पनी है। साहनी सेठी ट्रेडिंग कम्पनी, वेस्ट एण्ड के सामने, फूटा रोड़, बांस ट्रटा, दिल्ली। उनके श्री एस. के. सेठी ने सेन्ट्रल एक्साइज (एक्सपोर्ट, के सुपरिन्टेन्डेन्ट को कुछ पूंछों को वृन्दावन डियर की पूंछ बता कर निर्यात की अनुमति हेतु प्रेषित किया। सुपरिन्टेन्डेन्ट को कुछ शक हो जाने के कारण उन्होंने कथित वृन्दावन डियर को पूंछ तथा पूरी खाल दिल्ली जू के डाइरेक्टर के पास प्रमाणित करने के लिये भिजवाई। दिल्ली जू के डाइरेक्टर श्री कैलाशसिंह सांखला, राजस्थान के वन अधिकारी तथा राज्य के वन्य जीव सुरक्षा मण्डल के सदस्य है। उन्होंने यह खाल तथा पूंछ चिंकारा की पाई। चूंकि चिंकारा अधिकतर राजस्थान में ही पाया जाता है, अतः उन्होंने इन खाल व पूंछ के प्राप्ति के साधन की जानकारी उक्त फर्म से की। उनकी जानकारी के अनुसार सुजानगढ़, बीकानेर तथा पोकरन के व्यक्तियों से चिंकारा की पूंछ तथा खालें खरीदना बताया। अतः श्री सांखला ने सेन्ट्रल कस्टम्स अधिकारियों को अवैध रूप से मारे गये चिंकारों की खाल तथा पूंछ होने के कारण निर्यात की अनुमति नहीं देने की सम्मति देकर इस कार्यालय को सूचना दी। यह सूचना प्राप्त होते ही इस कार्यालय से अर्द्ध शासकीय पत्रों द्वारा सम्बन्धित जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षकों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर तुरन्त इस अवैध कार्यवाही के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का लिखा गया। महानिरीक्षक आरक्षी को इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निवेदन किया जा चुका है।

ये चिंकारा बीकानेर, सुजानगढ़ तथा पोकरन के ग्राम पास के क्षेत्रों से जहां ये अधिक संख्या में मिलते हैं, मारे गये जान पड़ते है। अतः वन संरक्षक, जयपुर व मण्डल वन अधिकारी जोधपुर को भी आवश्यक कार्यवाही करने के लिये लिखा जा चुका है।

बाकी जो दिक्कतें मैंने अर्ज की उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिये वह की जायगी। अखबारों में पब्लिशड करवा दिया जायेगा और चीफ कन्जरवेटर को भी कह दिया गया है कि जो मिलिटरी या पुलिस के ऑफीसर इस प्रकार की हरकतें करते हैं उनके अधिकारियों से मिलकर उनको हिदायत कर दी जाये कि वे ऐसी कार्यवाही न करें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : आपने केवल चिंकारा के बारे में जानकारी दी। रैड बक आदि के लिये ...

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : सारे हिरन हैं। अब इसके अन्दर जितनी भी उचित कार्यवाही हो सकती थी, जो अपना विभाग अपने साधनों से हम कर सकते थे वह हमने की। यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेशन बोर्ड भी बनवाया है। जितनी कार्यवाही हो सकती है वह की जायेगी। बाकी इसके अलावा मैं समझता हूं कि जहां तक भावनाओं का सवाल है, जिन जिन लोगों की भावनायें ऐसी हैं मैं उनसे भी सहयोग चाहूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाहियां नोटिस में लायी जायें तो हम कार्यवाही करें।

श्री रामकिशन : लेकिन वित्त विभाग तो आपसे सहयोग कर नहीं रहा।

Page No.51

विधाई कार्य :

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई।

विधायी कार्य। राजस्थान बिक्री कर (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, 1968

श्री रामकिशन : एक शराब वाला भी तो था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवामहल, जयपुर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने राजस्थान बिक्री कर आर्डीनेन्स बिल के रूप में पास हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस राज्य सरकार की और राज्य सरकार के अधिकारियों की आदत की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो आर्डीनेन्स बनाने की उनकी प्रथा चली आ रही है और जो इस सदन में घोर विरोध करने के पश्चात् भी सरकार जिससे बाज नहीं आ रही है उसकी तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने किन परिस्थितियों के अन्दर यह आर्डीनेन्स जारी किया, कौनसी ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जो यह आर्डीनेन्स जारी करना पड़ा? जिस समय यह आर्डीनेन्स जारी किया गया उस समय ऐसी कौनसी परिस्थितियां थी? प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वालो, नियमों के अनुसार काम करने वाली और संविधान और पार्लियामेंट का श्रेय लेकर कानून बनाने वाली सरकार ने हर समय अपने हाथों अधिकार लेकर आर्डीनेन्स बनाये, इसके लिए कौनसी जरूरत थी?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डीनेन्स भी तो संविधान के अंदर ही है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यही तो निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता थी, क्या परिस्थिति थी इस आर्डीनेन्स बनाने की। क्या राज्य सरकार को मालूम नहीं था कि राजस्थान के अन्दर विधान सभा चल रही है और वह कुछ ही समय के पश्चात् बैठने वाली है?

सरकमस्टान्सेज जो राज्य में विद्यमान नहीं थी लेकिन उसके बावजूद आर्डिनेन्स बनाया और उस आर्डिनेन्स को कानून का आश्रय लेकर यह कहा जाता है कि इसको एक्ट का रूप दे दिया जाय। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार की इस प्रकार की परिस्थितियां थी और इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं थी तो कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि इस आर्डिनेन्स को लाया जाना चाहिए था। आप इस बात पर विचार कीजिये, कोई कानून राज्य सरकार बनाती है और उस कानून में किसी प्रकार की खामी होने के कारण और अन्य दिक्कतें होने के कारण उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय दे दिया जाता है। उस निर्णय के देने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दो व्यक्तिगत आदमी परस्पर संघर्ष करते है और वे अपनी मूछों का सवाल बनाकर सही मायने में या गलत मायने में, चाहे कोई भी कारण हो वे समझते है कि चिन्ता की कोई बात नही है इधर से नहीं तो मैं दूसरी तरफ से

Page No.52

(श्री दुर्गालाल बादवार)

काम करना शुरू कर दूंगा। प्राईवेट आदमी जिस प्रकार बदले की भावना रखता है उसी प्रकार यदि राज्य सरकार में भी इस प्रकार की भावना पैदा होने लगेगी तो जनतन्त्र की सही व्याख्या करना कठिन हो जायगा। आज राजस्थान की जनता यह अच्छी तरह से जानती है कि सेल्स टैक्स के कानून में जो कमियां रही हैं उन कमियों के बारे में वरिष्ठ न्यायालय में विचार किया गया और विचार करने के बाद निर्णय लिया गया और निर्णय लेने के पश्चात् राज्य सरकार अपना आर्डिनेन्स बनाती है। इन परिस्थितियों में इस आर्डिनेन्स का लाया जाना किसी भी मायने में एक सही रूप में कानून का बनाया जाना उचित नहीं कहा जा सकता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे है जिन पर मैं सदन का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य में सबसे पहले जब यह कानून बनाया तो उस समय इस प्रकार की परिस्थिति थी कि यहां इस राज्य में जयपुर में केवल सेल्स टैक्स आफिसर के नाम से एक ही आदमी काम करता था, वह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऑफिसर कहलाता था और सेल्स टैक्स ऑफिसर नाम की कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन नियमों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था और उस नोटिफिकेशन के जारी करने के पश्चात् ही उनका अपोइन्टमेंट किया जाना चाहिये था। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से भी पूछना चाहता हूं और राज्य सरकार के अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूं कि एक तरफ जहां नियमों का अनुपालन करना चाहिये उन नियमों का अनुपालन आपके सामने नहीं हुआ, उसकी कार्यवाही नहीं की जाती और दूसरी तरफ जहां आर्डिनेन्स के बनाने का सवाल आता है, कानून के निर्माण का सवाल आता है संविधान सभा का सहारा न लेकर और उसके पीछे जनता के जो चुने हुए नुमायन्दे हैं उनकी सेंक्शन न लें और अपनी मर्जी से कानून बनाना चाहते हैं। इस प्रकार की मनमानी राज्य में हो रही है। उसको कोई भी समझदार व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर सकता है। मैं दूसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का नोटिफिकेशन राज्य सरकार को जारी करना चाहिए था और 1965 में पेज नं० 321 में इस प्रकार निर्णय भी इसी टैक्सेशन के मसले के सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ रैवेन्यू में दिया गया है। उसमें राज्य सरकार को रिप्रजेन्ट करने वाले जो वकील हैं, एडवोकेट हैं उन्होंने इसे कन्सीडर किया और कन्सीडर करने के बाद जिन परिणामों पर पहुँचे हैं कि जो नियमानुसार नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिये था वह इस कानून में नहीं किया। इस निर्णय की प्रति प्रत्येक अधिकारी के सामने जाती है वह उन अधिकारियों के नोटिस में आ जाय और फिर भी उस गलती को रैक्टिफाई करने की कोशिश नहीं की जाती।

(विराम)

इसके उपरान्त 5 जुलाई, 63 से 6 जुलाई, 63 को कमिश्नर साहब को यह नोटिफिकेशन जारी करने की पावर्स दी गई लेकिन उन पावर्स को भी आप डिफेक्टिव पायेंगे। उन पावर्स को अकार्डिंग टू लॉ यह पावर्स मिल जानी चाहिये टैक्सेशन कमिश्नर को, लेकिन जो डेजिगनेशन का फर्क है उस डेजिगनेशन के फरक पर राज्य सरकार ने

(श्री दुर्गालाल बादवार)

विचार नहीं किया। मैं इन छोटी-छोटी बातों को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जहां नियमों के अनुसार कार्यवाही करने की बात होनी चाहिए वहां तो नियमों के अनुसार काम करने का सवाल होता नहीं और जहां यह जानते हुए भी कि इस आर्डिनेन्स के बनाये बगैर भी इस राज्य सरकार में काम चल सकता था और राज्य सरकार को कोई विशेष नुकसान होने वाला नहीं था, उस परिस्थिति में ये कानून का निर्माण करके चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आर्डिनेन्स में यह प्रावधान रखते हैं कि आन अकाउन्ट कोई भी गुड्स किसी के कब्जे में मिल जाता है तो जबरदस्ती सीज कर लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज के इस जीवन में जैसा हम देखते है कि यह जीवन इतना क्लिष्ट जीवन होता जा रहा है कि कोई भी कारोबार करने वाला स्वतन्त्रता पूर्वक कारोबार नही कर सकता। उसके चारों तरफ परेशानियां हैं। अव्वल तो यह लाईसेन्स, कोटा, परमिट ये तोनों चीजें इस युग में इस प्रकार चली हैं कि कोई भी व्यापारी इससे बच नहीं सकता आज की हालतों को देखते हुये यह लगता है कि कोई भी व्यक्ति मरने लगेगा तो उसे मरने का भी लाईसैन्स, परमिट देना होगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप नियमों में इतने जकड़ते जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति इन नियमों में कोटा, परमिट और लाईसैन्स से पिन्ड छुड़ाने के बाद कारोबार करना चाहता है तो आप उसमें कई प्रकार की पेचीदगियां डालते हैं। अभी फिलहाल हुई जौहरियों का और दूसरे व्यापारियों का मसला चला जो अपने अपने क्षेत्र में महत्व रखते हैं, यह निर्विवाद सत्य है कि ये जौहरी सारे विश्व में जहां तक जवाहरात का प्रश्न है, जयपुर के व्यापारी अपनी ख्याति रखते हैं। अपने परिश्रम के पश्चात् पत्थरों में से नगीने पैदा करते हैं और जो एक कला की चीज है—विश्व में अपनी ख्याति रखते आये हैं। उनके ऊपर जो सरकार का व्यवहार हुआ है वह उचित नहीं है। लेकिन इसके उपरान्त भी मैं यह जानना चाहता हूं कि यह व्यवहार किसी भी कानून में, सारे हिन्दुस्तान में किसी भी रूप में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि दुकान में पड़े हुये माल को सरकार चाहे तो जबरदस्ती अपने कब्जे में कर ले। ऐसी भावना और प्रावधान किसी भी राज्य में नहीं है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान स्थापित करना कहां तक उचित होगा, यह विचारणीय प्रश्न है। मैं तो यह कहूंगा कि यदि राज्य सरकार यह सोचती है कि जहां तक टैक्सेशन को अवाईड करने का सवाल है या टैक्सेशन से इन्कार करने का सवाल है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यह पसन्द करे कि आप किसी प्रकार की ढिलाई बरतें।

लेकिन इसके साथ साथ में यह भी नहीं चाहूंगा कि आप टैक्सेशन की वसूली सही तरीके से न करें। लेकिन टैक्सेशन के सही मायने में वसूल करने का तरीका यह नहीं है कि जनता अपना व्यापार न कर सके, व्यापारी अपने व्यापार में वृद्धि न कर सके। इसके बहुत से रास्ते निकल सकते हैं कोई भी सन्देहास्पद वस्तु प्रतीत होती है तो कम से कम उस वस्तु को तत्क्षण अपने कब्जे में न लेकर सुरक्षा के साधन को जुटाते हुए उसी दुकान में उस वस्तु को रखा जा सकता है। आपको उस वस्तु के लिये यह अधिकार

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

प्राप्त है कि जब तक न्याय नहीं हो जाता उस वस्तु को इधर उधर कोई नहीं कर सकता। यह जो जवाहरात का मामला है उसमें लाखों रुपये के रत्न, हीरे, मोती होते हैं अगर वे इधर उधर हो जायें तो लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। आज हम यह देखते हैं कि छोटी मोटी चीजें जैसे साइकिल, मोटर, घोड़ा, गाड़ी अगर मालखाने में जमा हो जाती हैं तो उनके टायर ट्यूब गायब हो जाते हैं या बदले हुए मिलते हैं। आज स्थिति यह है कि सरकारी मालखाने में जाने के बाद कई चीजें गायब हो जाती हैं, अगर रत्न भी मालखाने में भेज दिये गये तो इनके भी इधर उधर हो जाने का अन्देशा है। मैं इस बारे में विशेष कुछ न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स के अन्तर्गत आप जो कुछ करना चाहते हैं वह किसी सूरत में मान्य नहीं हो सकता। आप जो नया कानून निर्मित करना चाहते हैं उस प्रकार का कानून देश के अन्दर किसी भी कोने में नही है। आप जो कानून लाना चाहते हैं उसमें आप यह भी ध्यान रखें कि व्यापारियों को अपना व्यापार सम्पादन करने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो उसी दृष्टिकोण से आपको कानून बनाना चाहिये और आपका टैक्स भी वसूल हो जाय इस आधार पर नया कानून लाना चाहिये। सदन से निवेदन करूंगा कि हमें इस प्रकार के कानून को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जोहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संकल्प की सूचना दी है वह इस प्रकार है :

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हो गया है आप उसका समर्थन करने के लिये जो कहना चाहें, वह कह दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 1967 को प्रख्यापित राजस्थान बिक्री कर (संशोधन एवं वैधकरण) अध्यादेश, 1967 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1967) को अस्वीकार करता है।

इसी प्रकार अध्यादेश संख्या 4 सन् 1967 को अस्वीकार करता है। इस प्रकार दो संकल्प की सूचना मैंने दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ने इस अध्यादेश के संबंध में कुछ बातें सदन के समक्ष रखीं। मैं सदन का अधिक समय इस प्रकार के अध्यादेश जारी करने की भूमिका के संबंध में नहीं लेना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिये मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आखिर कार इस प्रकार का अध्यादेश राज्य सरकार को जारी करने की आवश्यकता किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुई। गत वर्ष जयपुर शहर में एक यहां के प्रमुख जौहरी श्री हीरालाल छगनलाल टांक जिनके मालिक श्री राजरूप जी टांक है जो प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके घर पर बिक्री कर अधिकारियों ने छापा मारा। जिस समय छापा मारा उस समय बाहर के एक खरीददार उनके यहां आये हुए थे। छापा मार कर सारे माल को सीज कर लिया गया और सीज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करने के बाद उस पर सील लगा दी गई। इसके विस्तार में कि उस समय क्या क्या हुआ उसमें मैं जाना नहीं चाहता लेकिन उसके बाद जुरिसडिक्शन के मामले को लेकर ट्रेड एक्ट को चैलेन्ज किया गया। हाई कोर्ट में मामला गया उस पर यह निर्णय हुआ कि एक्ट की धारा 22 (6) अल्ट्रा-वायर्स है। उसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में माल को इन्स्पेक्ट कर लिया जाय और उसके बाद माल को लौटा दिया जाय। न्यायालय के आदेश के मुताबिक चाहिये तो यह था उस माल को इन्स्पेक्ट करने के बाद उस माल को लौटा दिया जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने इस सारे सवाल को बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बना डाला राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद होना तो यह चाहिये था इन्स्पेक्शन के बाद माल लौटा दिया जाता। लेकिन सरकार ने यह सोचा कि हाई कोर्ट के इस फैसले से हमारी नाक कट गई। इसलिये किसी प्रकार से ऐसा रास्ता निकाला जाय जिससे व्यापारियों के हरेसमेन्ट को गुंजाइश रहे। बड़ा अफसोस इस बात का है कि इस प्रकार के निर्णय हो जाने के बाद उसके चार पांच दिन बाद इस प्रकार का आर्डिनेन्स जारी किया गया उसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने अधिकार लिया। उसके बाद वेल्युएशन आदि की कार्यवाही चली। उसके बाद सारा माल रिलीज किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने इससे होने वाली व्यापारियों की परेशानी पर भी विचार किया। प्रारम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं हम हमेशा इस चीज के लिये कहते रहे हैं कि जो भी टैक्स लगाया जाय और जिस किसी पर भी लगाया जाय उसको सख्ती के साथ वसूल किया जाय इसके लिये हमने सरकार के हमेशा हाथ मजबूत किये हैं। लेकिन देखने में यह आया है कि जिनमें टैक्स बाकी है उनको वसूल नहीं किया जाता। हम यह चाहते हैं कि टैक्स का इवेजन न हो। जो टैक्स की चोरी करता है या देना नहीं चाहता उसके साथ सख्ती से बरताव किया जाना चाहिये इस चीज के [illegible] रहे हैं। टैक्स जिनमें भी बकाया निकले उसकी वसूली सख्ती के साथ होनी चाहिये। मुझे बड़ा अफसोस है कि राज्य सरकार का यह कोमर्शियल विभाग जो वित्त मंत्री महोदय के अधीन है, जो यह कहा करते हैं कि हमारे पास पैसे की बहुत कमी है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस विभाग के द्वारा जो आप टैक्सेज की चोरी रोकना चाहते हैं यह आप कौनसी नयी बात कह रहे हैं। टैक्सेज की जिनमें बकाया निकले राज्य सरकार द्वारा उनकी वसूली होनी चाहिये। आज राज्य के अन्दर पैसे के मामले में राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी है लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि राज्य सरकार का लोगों में 22 करोड़ रुपया बकाया है, राज्य सरकार और राज्य सरकार के विभाग लोगों से वह वसूल नहीं कर सकी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोमर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेन्ट या बिक्री कर विभाग का जहां तक संबंध है इसके 31-3-67 तक लगभग 2 करोड़ 92 लाख रुपये की बकाया है। 2 करोड़ 92 लाख की बकाया यह विभाग वसूल नहीं कर सका। जब इस विभाग की तीन करोड़ रुपये की बकाया है वह उसको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी वसूल नहीं कर सका। दूसरी तरफ यह बिक्री-कर विभाग में निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के बड़े बड़े हाई कोर्ट के जजेज ने जहां पुलिस के महकमे के लिये स्ट्रिक्चर पास किये हैं कि पुलिस का महकमा डाकुओं का गेंग है। मुझे बड़े अदब के साथ और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो पुलिस के मामले में लागू होता है। जो बात पुलिस के बारे में लागू होती है, आज इसी प्रकार की धारणा इस विभाग के बारे में बनती जा रही है कि पुलिस ही अकेला डाकुओं का गिरोह नहीं है पर टैक्सेज का डिपार्टमेन्ट भी डाकुओं का गिरोह बनता जा रहा है जो सम्भ्रान्त और भले इज्जतदार आदमियों की इज्जत पर डाका डालते हैं।

यहां टैक्स इवेजन को रोकने का सवाल नहीं है हमारा। हमारा तो यह कहना है कि जिस तरह के इस विभाग के कारनामे हैं उससे किसी भी आदमी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। टैक्सों के बारे में उसकी वसूली के बारे में रास्ते निकाले जा सकते हैं।

जयपुर के ज्वेलरी के ट्रेड का सवाल है। जयपुर का यह धन्धा आज राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान भर में और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह धन्धा देश को करोड़ों की फोरिन एक्सचेन्ज दिलाता है। जिस व्यवसाय के आधार पर करोड़ों की फोरिन एक्सचेन्ज देश को मिलती हो, जिस के आधार पर हजारों गरीब मजदूर और कई प्रकार के कारीगर लोग अपनी रोजी कमाते हों और जो धन्धा हिन्दुस्तान का नाम बाहर दुनिया में भी रोशन करता हो ऐसा जवाहरात का धन्धा जो जयपुर शहर का है और जो अपना सानी नहीं रखता, जिसके लिये गुजरात से चल कर लोग यहां आकर बस गये हैं, बम्बई से आकर बस गये हैं और जिन्होंने इस ट्रेड को डवलप किया जिन्होंने जयपुर का नाम हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया में चमकाया है उस ट्रेड के साथ इस राज्य सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, उससे राज्य सरकार की दूषित नीति का ही परिचय मिलता है।

गत वर्ष की घटनाएं, जब कि फोरेन के व्यापारी खरीददार ग्राहक आये हुए थे, जो उनके सामने घटी उनका उनके दिमाग पर असर पड़ा। आपका घर का झगड़ा है सम्भव है बिक्री कर की चोरी की हो और कोई गलती की हो पर उसको उन बाहर से आये हुए व्यापारियों के सामने प्रदर्शन करना उनके सामने एक तस्वीर पैदा करना कि जयपुर के ये व्यापारी तो चोर हैं, चोरी करते हैं टैक्सों की, या राजस्थान के अन्दर इस प्रकार टैक्सों का इवेजन होता है उनकी मौजूदगी में ऐसा आचरण करना और उनके दिमाग पर दुनिया के सामने इन्टरनेशनल मण्डी में यहां के बारे में यह छाप डालना कि हिन्दुस्तान में व्यापारी टैक्स इवेजन ज्यादा करते हैं और हिन्दुस्तान की और राजस्थान की सरकारें इस तरह से छापा मारा करती हैं। यहां कहां तक आप उचित समझते हैं। आप इस पर गौर करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह नहीं कहना चाहता कि उस व्यापारी के साथ कैसा व्यवहार किया गया या हाथा पाई की गई या जो कुछ दुर्व्यवहार किया गया उसकी ओर ध्यान नहीं दिलाना चाहता। पर यह कहना चाहता हूं कि जो चीजें हुई वे माननीय मन्त्री की जानकारी में हैं। कितना विरोध

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
हुआ, कितना असन्तोष लोगों में हुआ किस प्रकार सभ्य लोगों ने, करोड़पति लोगों ने जिसका काम नहीं कि राजनैतिक दलबन्दी में पड़े या किन्हीं राजनैतिक दलों के सदस्य वे नहीं, वे भी मजबूर होकर पुलिस के अमानुषिक अत्याचार और बर्बर व्यवहार के खिलाफ 25 हजार जौहरियों ने मिलकर बड़ा भारी जुलूस निकाला और सेक्रेटेरियट तक गये। इस सारे दुर्व्यवहार और दुखद काण्ड की जांच की मांग की। मुख्यमन्त्रीजी ने आश्वासन भी दिया अब उसका क्या हुआ यह तो मन्त्री महोदय बतावेंगे।

पर आज इस प्रकार के समाज के सभ्य नागरिकों को एक प्रकार की घटनाओं को लेकर प्रदर्शन करना पड़े और राज्य सरकार तक जाना पड़े यह शोभा की बात नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ भी हुआ, आप उस सिलसिले में छापा मारें, या जहां भी छापा मारा, आपने उस बारे में आज तक क्या कार्यवाही की? मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं आपने कितना टैक्स का इवेजन पकड़ा। कितना आपने असेसमेण्ट किया और कितनी पेनल्टी लगाई और कितना क्या वसूल किया।

आपके इन बर्बर कारनामों से सैंकड़ों लोगों में सारे व्यापार मे सन्नाटा छा गया। लोगों ने अपना धन्धा बन्द कर दिया। बेकार घूमने लग गये। सारा व्यापार ठप्प पड़ गया। एक तरफ आप देश में इन्डस्ट्रियल उत्पादन में मन्दी आने की और उसके करण दूर करने की बात करते हैं, वहां चलते चलाते अच्छे धन्धे में अपने बर्बर आचरण से यह राजस्थान की सरकार अपने इस प्रकार गलत कदम से एक ऐसे उत्पादन को घटाने का काम कर रही है इस जवाहरात के व्यापार को ठप्प करना चाहती है। झूठे नारे और वादों के चक्कर में पड़ कर इस व्यापार में कठिनाइयां पैदा करती जा रही है जिसके कारण देश का सारा आर्थिक जीवन चरमरा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि इस प्रकार के व्यवहार और इस प्रकार के नाम का सवाल आपको बनाने की आवश्यकता क्या थी कि जिनसे लोगों को डिफिकल्टी हो। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उनका बड़ा भारी आरगूमेन्ट यह रहा है और रहेगा वे कहते हैं अन अकाउन्टेड गुड्स। किसी व्यापारी ने डिक्लेरेशन दिया कि यह जवाहरात एक हजार का अकाउन्ट में लिखा है। आपका अधिकारी जाता है और कहता है कि नहीं साहब, यह तो दस हजार का है। अब उसके अनुसार वह गुड्स 9 हजार का अनअकाउन्टेड गुड्स हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपको यह तो अनुभव होगा कि जवाहरात या जौहरी की चीजें जिसकी वेल्यूएशन एक रुपया एक जौहरी लगाता है अगर वही चीज दूसरे जौहरी की नजर में जंच गई तो पांच रुपया भी वह लगा सकता है। एक नग जिसकी कीमत एक हजार आंकता है एक जौहरी, उसी की कीमत दूसरा जौहरी उसकी नजर में बैठने पर पांच हजार दे सकता है और वही नग किसी फोरिन परचेजर के ध्यान में बैठ गई तो वह उसकी कीमत दस हजार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
लगा सकता है। हीरा, मोती, माणक, पन्ना कोई भी ऐसा स्टोन जो आपकी नजर में एक हजार की कीमत का है दूसरे की नजर में वही दस हजार का हो सकता है। यह धन्धा भाग्य पर भी चलता है। तो इस सारी स्थिति में यह कहना कि एक हजार की कीमत चूंकि दस हजार आंक ली हमने तो इसलिये बाकी नौ हजार अनग्रकाउण्टेड हो गया, तो यह कहना, मैं समझता हूं, इस व्यापार के साथ बड़ा भारी अन्याय करना होगा और इस व्यापार को समझने में नासमझी का प्रदर्शन मात्र होगा। नौ हजार के बदले में कभी घाटा भी हो सकता है, पर वह अन-अकाउन्टेड नहीं कहा जा सकता। प्रोफिट और लौस दोनों 1 और दस के रेशो पर भी हो सकता है। तो इस तरह से करना इस सारे ट्रेड के बैक ग्राउन्ड को नहीं समझना मात्र होगा।

इसके कारण राज्य सरकार ने अनेकों बार कहा है कि हम इन सारी डिफिकल्टीज को सोल्व करना चाहते हैं। मैं, माननीय वित्त मंत्री जी, आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे टैक्स के स्ट्रक्चर को सिस्टम को राशनेलाइज करने के बारे में जब बात विधान-सभा में उठी थी तब भी मैंने मांग की थी कि आप टैक्स चाहते हैं, आपकी इस बात को हम स्वीकार करते हैं। टैक्स नहीं लिया जावे, इसका कोई समर्थन नहीं करता। आपको जितना टैक्स चाहिये उसकी राशि निर्धारित कर दीजिये। आप क्लेक्टिव या कन्सोलिडेटेड फार्म में टैक्स इन पर लगा दीजिये। आप इन पर पांच लाख दस लाख जो आप लगाना चाहते हैं लगा दीजिये। फिर एसोसियेशन से बैठकर बात करिये कि हमें इतना टैक्स इस ट्रेड से मिलना चाहिये, इतनी हम उम्मीद करते हैं। वह आपको मिल जावेगा, इससे ट्रेड भी बढ़ता रहेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हैरेसमेन्ट भी जो आज हो रहा है वह नहीं होगा। इस सारे हैरेसमेन्ट को दूर करके आप कन्सोलिडेटेड फार्म में टैक्स लगाइये। आप टर्न ओवर पर स्लैब सिस्टम से टैक्स लगा सकते हैं। आप स्लैब निर्धारित कर सकते हैं इससे आपका भी काम बन जावेगा, आपको अपना जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं असेस करते हैं उतना टैक्स मिल जावेगा और ट्रेड जो अवरुद्ध हो जाता है वह भी रुक जावेगा, हैरेसमेन्ट भी जाता रहेगा।

आप मुझे बतावें कि इस ट्रेड से हमें इतना चाहिये। इसके लिये कोई सही रास्ता निर्धारित करने में मैं आपकी मदद करने के लिये तैयार हूं। एसोसियेशन आपकी मदद के लिये तैयार है। सदन के माननीय सदस्य अपने सुझाव देने को तैयार हैं।

पिछले पांच छः सालों से आपका असेसमेन्ट फाइनल नहीं हो पाया। अगर दस बीस हजार का टैक्स वसूल कर लिया तो बात दूसरी है। पर फाइनल कितने हुए हैं, कितना टैक्स असेस किया, कितना इम्पोज किया और कितना रियलाइज हुआ आप बता दीजिये और उसको वसूल करने के आपने क्या उपाय किये यह बता दीजिये। जब से आपने ज्वेलरी के ट्रेड पर विधान सभा से स्वीकृति लेकर आपने टैक्स का इम्पोजीशन किया है तब से आज तक के आंकड़े सदन में आप रक्खें कि कितना टैक्स आप एक्सपेक्ट करते थे, कितना इम्पोज किया, कितना असेस किया और कितना रियलाइज हुआ।

Page No.59

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अगर सही माने में टैक्स बिना हैरेसमेन्ट के वसूल करना है तो कन्सोलिडेटेड फार्म में करिये और टर्न ओवर के स्लैब पर करिये। लेकिन आप यह नहीं करना चाहते।

आप वेल्यूएशन की दर पर करना चाहते हैं, और वह वेल्यूएशन की दर ठीक हो नहीं सकती। आप उसमें समझते नहीं। हर आदमी नहीं समझ सकता। हर आदमी जवाहरात की कीमत नहीं समझ सकता जैसा मैंने पहले निवेदन किया है। ऐसा टैक्निकल ट्रेड, इसके सम्बन्ध में आशा रखना कि आपके विभाग के अधिकारी ठीक वेल्यूएशन कर सकेंगे और कार्यवाही सही ढंग से हो सकेगी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह नहीं होने वाला है। आप जिस तरह से वसूल करना चाहते हैं, उससे तो निरन्तर कठिनाइयां बढ़ेंगी।

इसके लिये आपने स्वयं ने अपने भाषण में व्यापारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और इस ट्रेड की टैकनिकलिटी को देखते हुए सेलटैक्स विभाग और रेवेन्यू बोर्ड के बीच को आर्डिनेशन बिठाने के लिये राशनेलाइजेशन के बारे में सारी स्थिति पर विचार करने का आश्वासन दिया था और आपने इसके लिये और रियलाइजेशन और असैसमेन्ट के निर्धारण की कठिनाइयों को हल करने और टैक्स के स्ट्रक्चर के सरलीकरण के लिये एक कमेटी बनाई।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही माने में सरकार की मंशा है कि टैक्स के स्ट्रक्चर का सरलीकरण किया जावे, दिक्कतों को और हैरेसमेन्ट को दूर किया जावे और टैक्स समय पर जितना आपने सोचा उतना मिल जावे यह करने के लिये इवेजन न हो ऐसी सही माने में आपकी मंशा है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्वेलरी के ट्रेड के सम्बन्ध में जो प्रेजेन्ट स्ट्रक्चर है उसे बदला जावे और कन्सोलिडेटेड फार्म में टैक्स लगाया जावे। और जो लूप होल्स कानून में हैं हैरेसमेन्ट हैं उसको दूर किया जावे।

इस प्रकार के अनलिमिटेड पावर्स अधिकारियों को देकर किसी प्रकार का असैसमेन्ट करे इसके चेलेन्ज करने के बारे में लिख दिया कि 30 दिन के बाद उसको चेलेन्ज नहीं कर सकते और फिर लिख दिया कि कमिश्नर का डिसीजन फाइनल होगा तो जब डिसीजन कमिश्नर का फाइनल होगा तो फिर रेवेन्यू बोर्ड किस लिए बैठा है?

श्री उपाध्यक्ष : यह विधेयक विचारार्थ लिया जायेगा उस समय यह बातें कह सकते हैं अभी इस संकल्प तक ही सीमित रखें और संक्षेप में अपने भाषण को समाप्त करें तो अच्छा हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था तो यह रही है कि जिस समय आर्डिनेन्स के ऊपर विचार कर रहे हों उस समय विधेयक पर भी विचार कर लेते हैं क्योंकि फिर दुबारा उनको कन्सीड्रेशन के समय पर रिपीट नहीं करना पड़े और मैं जो अभी बातें कह रहा हूं वह इसलिए कह रहा हूं कि मुझे फिर दुबारा यह बातें न कहनी पड़ें। मैं समझता हूं कि इससे सदन का समय बचेगा। इसलिए बार बार समय नहीं लेना पड़े और मुझे दो बार बोलने का अधिकार है इसलिए जो कुछ मुझे कहना है कन्सीड्रेशन की स्टेज पर उन बातों को अभी रख दूंगा तो माननीय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
मंत्री महोदय इन बातों पर सही तरीके से विचार करके जवाब देने की सही स्थिति में हो सकेंगे। हम समझते हैं कि माननीय मंत्री महोदय इसके संबंध में नाक का प्रश्न बनाकर इस बिल को पाइलेट नहीं करेंगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था माननीय मंत्री महोदय से कि इस सारे सरलीकरण के बारे में विचार करेंगे। आवश्यकता हो तो कमेटी बनायें, हाउस की कमेटी बनायें, एडवाइजरी कमेटी बनायें वह जैसा उचित समझें करें, लेकिन जिस प्रकार का आज रवैया है उसके आधार पर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर यह ज्वेलरी का ट्रेड ठप्प होता जा रहा है। आपकी मन्शा यदि इस ज्वेलरी के ट्रेड को ठप्प करने की है तब तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में कोई रिवेन्जफुल स्प्रिट है या बदले की भावना है इसलिए कि जयपुर में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है और यहां विरोधियों का अड्डा है और इसलिए मंत्री महोदय यह सोचते हों कि इनको कैसे उखाड़ा जाये और यहां के लोगों को कैसे हरेस किया जाये यदि यह उनके मन में निढ़ है और आपके दिल में आग है तो आप साफ कह दें......

श्री मथुरादास माथुर : न तो मेरे दिल में हो सकता है और न आपके दिल में होगा। आप यह तकरीर इसलिए कर रहे हैं कि आप यहां के सदस्य हैं और असेम्बली के मेम्बर हैं। इसलिए आप राजनैतिक दृष्टिकोण से यह सब बहस कर रहे हैं। न आप यह कर रहे हैं, न मैं कर रहा हूं। आर्डिनेन्स के ऊपर हम विचार करेंगे और जो कुछ कठिनाइयां हैं उनके ऊपर आप और हम विचार करके हल करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजनैतिक दृष्टिकोण से कोई कहीं का नुमाइन्दा हो वहां की पैरवी कर सकता है, लेकिन जो जहां का नुमाइन्दा नहीं हो वह जड़ नहीं काट सकता है। इन दोनों बातों में फर्क है। आप बच्चा पैदा कर सकते हैं लेकिन उसको मार नहीं सकते।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार का मंत्री राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है और जिस विभाग को देखता है उसके मैरिट्स के ऊपर और आम अवाम के हित में उसको देखना पड़ता है।

श्री रामकिशन : आपके आश्वासन बड़े मधुर होते हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : शक्ल भी तो मधुर है।

श्री रामकिशन : और कर्म भी मधुर हों तो अच्छा हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने सदन में चेष्टा की है कि आपने जो कुछ आचरण किये वह जयपुर के साथ बदले की भावना से नहीं किये, यह आपने कहा है। अभी इससे ज्यादा शुद्ध आचरण की आवश्यकता है। मैं आपकी इन बातों पर विश्वास करूं और राज्य सरकार इस प्रकार का मतभेद का आचरण नहीं करेगी यह अच्छी सरकार के लिए आवश्यक है। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता कि माथुर साहब जो कुछ आप कहते हैं उसके अनुरूप ही आपके आचरण हैं। आचरण कुछ उसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
विपरीत होते जा रहे हैं इसलिए आगे भविष्य में आपका आचरण–आपका मतलब आपकी सरकार का आचरण इस प्रकार से भेदभाव पूर्ण तरीके से नहीं होगा ऐसी मैं आशा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात सदन में कहूंगा कि नम्बर 2 के अकाउन्ट्स बुक्स हमने पकड़ीं वह 2 नम्बर की अकाउन्ट्स बुक्स जिनको पकड़ी हैं आप उनको सीधे जेल ले जाइये कोई उनको पैरवी नहीं कर सकता लेकिन आपने जो 300-400 लोगों को हैरेस किया है, आपने इतने सारे मास स्केल इनवेशन पर जैसा वियतनाम वाले करते हैं मास स्केल अटैक और इनवेजन उन 350-400 लोगों की बहीखातों को पकड़ने की कार्यवाही करके डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली–मैं कहता हूं परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सारे लोग जो इसमें आये उनमें से कितनों की नम्बर 2 की अकाउन्ट्स बुक्स पकड़ीं ? आपने कुल एक जगह पर एक व्यक्ति को पकड़ी हैं और उस एक व्यक्ति की जो अकाउन्ट्स बुक्स पकड़ी हैं उसके बारे में यहां मैं पैरवी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैंने पहले ही कहा है कि चोरी जो करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठायें लेकिन वह नहीं उठाते हैं। नम्बर 2 की अकाउन्ट्स बुक्स के बारे में आप जो भी कार्यवाही करना चाहेंगे यह सदन आपका समर्थन करेगा और मैं कहना चाहता हूं कि नम्बर 2 की अकाउन्ट्स बुक्स के बारे में राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान हाइकोर्ट के सामने पैरवी की है जरा एक बार बताइये कि वह किनके अकाउन्ट्स हैं, किन के हिसाब हैं। मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता कि वह किनके अकाउन्ट्स हैं लेकिन माथुर साहब मुझे अकाउन्ट्स बुक्स दिखा दें तो मैं बता सकता हूं कि यह खाते किन के हैं और क्या मंत्री महोदय ने उन अकाउन्ट्स के बारे में तस्दीक की है कि इन अकाउन्ट्स में किन्हीं राज्य सरकार के मंत्रीयों से तो संबंधित नहीं हैं, कहीं उनके तो खाते नहीं हैं ? किसी का अकाउन्ट 'एक्स' के नाम से, किसी का 'वाई' के नाम से और कोई मालपुरा वाले के नाम से अकाउन्ट्स खुले हैं। यह कौन हैं मालपुरा वाले ? यह कौन हैं 'एक्स' और कौन हैं 'वाई' जिनके चोरी के बहीखातों में अकाउन्ट्स खुले हैं ? मैं चाहूंगा कि आप जानकारी दें कि नम्बर 2 के अकाउन्ट्स बुक्स पकड़ी गई उस में जो खाते खुले हुए हैं उनको जांच कराइये कि वह किन किन के हैं ? कौन कौन मंत्री उसमें इनवोल्व्ड हैं ? किन किन के खाते 'एक्स' के नाम से और किन किन के खाते 'वाई' के नाम से और किन किन के खाते 'मालपुरा वाले' के नाम से खुले हैं। इस प्रकार से खाते खोलना और भ्रष्टाचार के द्वारा पैसों को जमा कराना मैं सदन में फिर मांग करना चाहता हूं कि नम्बर 2 के अकाउन्ट्स बुक्स जो भी पकड़ी हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। वह इस बात के लिए नहीं कि टैक्स के परपज की दृष्टि से किसी ने चोरी की है वरन् मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके लिए जांच इस बात की होनी चाहिए कि यह खाते किस के हैं ? किन का पैसा जमा है ? यह 'एक्स' कौन है ? 'वाई' कौन है और 'मालपुरा वाला' कौन है ? इसकी जांच होनी चाहिए। मालूम कीजिए कि क्या वह संबंधित मंत्री है या कोई व्यापारी है या दूसरा राजनैतिज्ञ है। मुझे जो जानकारी मिली है उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि नम्बर 2 के अकाउन्ट्स बुक्स राजस्थान की सरकार ने पकड़ी हैं उसमें जो खाते खुले हुए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
हैं उनकी पोल जब सदन में आयेगी और माननीय मंत्री महोदय ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे तो मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसकी जांच करायेंगे तब सारे राज सामने आयेंगे। लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली है मुझे सन्देह है कि उन बुक्स में जो एकाउन्ट्स खुले हुए हैं वह मंत्री महोदयों के है उनकी जांच कराइये। केस को कम्पाउन्ड मत कीजिये, कम्प्रोमाइज मत कीजिए लेकिन थारो इन्वेस्टीगेशन कराइये कि नम्बर 2 के एकाउन्ट्स बुक्स में किन किन के खाते हैं, इसकी इन्वेस्टीगेशन कराके इस सदन को जानकारी दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माथुर साहब से कि सारे इस मसले पर उस समय तो नाक का प्रश्न आपने बना लिया होगा लेकिन इस सदन में विचार करते हुए और राजस्थान की सवा दो करोड़ जनता को जब यह सरकार है, अब यह सरकार जैसी भी बनी है वह प्रश्न हमारे सामने इस समय नहीं है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक ढांचे से बनी है, और लोकतांत्रिक ढांचे में सरकार के सामने सम्पूर्ण जनता एक है। सारे नागरिक एक समान हैं, और इसलिए उस प्रकार का व्यवहार जयपुर और जोधपुर का सवाल खड़ा करके हमेशा हमेशा के लिए लोगों के बीच में दीवार खड़ी करना और लोगों के मनों में जो भावना बनती जा रही है कि उनके साथ इसलिए अन्याय हो रहा है कि माथुर साहब के पास यह महकमा है। अगर उनके पास नहीं होता तो हमारे साथ अन्याय नहीं होता, और माथुर साहब हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जयपुर के लोग हैं। उनको जयपुर के लोगों से चिढ़ है जिसका प्रतिकार आप सदन में कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की एकता को बनाये रखने के लिए अगर इस प्रकार की भावना बनती गई तो यह सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। आज सम्पूर्ण देश में इस प्रकार से लोगों में जो विघटनकारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है आसाम में से गैर आसामी लोगों को वहां से निकालने की निन्दा की जा सकती है तो जयपुर के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण आचरण इस सरकार का होगा तो उसकी भी निन्दा की जायेगी। वह भी उतना ही निन्दनीय होगा। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि अपने-अपने क्षेत्रों को प्रबल बनाने की दृष्टि से दूसरे क्षेत्रों में विरोधियों के ऊपर, इस प्रकार से बदनाम करने की दृष्टि से जो आचरण किया जा रहा हैं वह यह सरकार नहीं करे। और इस प्रकार से जो एक विधेयक इस सदन के समक्ष आ रहा है उस पर इसी भावना से विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि विधेयक आ गया है अब और जब विधेयक को सदन में पास करेंगे तो ऑर्डिनेन्स को डिसएप्रूव करने में क्या आपत्ति है? आर्डिनेन्स को अस्वीकार कर दें और विधेयक को हम पास कर देंगे। आर्डिनेन्स को डिसएप्रूव करने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मंत्री महोदय उसको गरदन हिलाकर स्वीकार करेंगे और आर्डिनेन्स को डिसएप्रूव करेंगे।

श्री जयनारायण व्यास(?) : गरदन तो यों ही हिल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं अभी वह स्थिति नहीं आई है कि अपने आप हिले।

जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है इसको आप स्वीकार करेंगे, और जो भावना मैंने व्यक्त की है उसके बारे में सभी प्रश्नों का आप रीजनेबल जवाब देंगे, ऐसी आशा रखते हुए जिससे कि विधेयक पर ज्यादा विवाद न

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो, विवाद भी कटु विवाद न हो, मैं आशा करता हूं कि रीजनेबल और लॉजिकल होगा आपका जवाब ।

इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ न कहते हुए मैं अपने विचार इस संकल्प के सम्बन्ध में प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत !

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश 1967 के विषय में मेरे से पूर्व वक्ता ने जो कुछ भी कहा है सदन में उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं । मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि राजस्थान सरकार के समक्ष ऐसी कौनसी कठिनाई या आपत्ति आगई थी कि जिसके अन्तर्गत यह ऑर्डिनेन्स इन्होंने जारी किया; हालांकि संविधान के तहत यह सरकार कर सकती है जब कि ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आयें कि जिन परिस्थितियों के अन्दर ऑर्डिनेन्स जारी करना आवश्यक समझा जाय ।

जिस प्रकार से इस सदन के अन्दर वाद-विवाद हुआ है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार की नियत के अन्दर दिन प्रति दिन बहुत फर्क और खराबी आती जा रही है, और इसका एकमात्र इलाज यही हो सकता है कि जिस प्रान्त के अन्दर अगर अच्छा बाजार है, अच्छे व्यापारी हैं, और अच्छे उद्योग वे कर रहे हैं और उससे प्रान्त को और देश को फारेन एक्सचेन्ज और अन्य आर्थिक-स्थिति को सुदृढ़ता के अन्दर उससे सहायता मिलती हो, तो उन हालतों के अन्दर अगर सरकार हस्तक्षेप करती है किसी वैर-भाव के दृष्टिकोण से, तो यह सरकार के लिए तो दुखदायी होगा ही, लेकिन उसके साथ-साथ उस प्रान्त के लिए और देश के लिए और भी घातक सिद्ध होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इस वातावरण के अन्दर ये बातें की गई हैं कि जयपुर के अन्दर ज्वैल्स के एक व्यापारी से दुश्मनी निकालने के बारे में कितने षड्यन्त्र किये गये, हाई कोर्ट में मामला गया, और उसके बाद के अन्दर इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स राज्य सरकार ने जारी किया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर ऐसी पार्टियां भी मौजूद हैं जिनके ऊपर इस सदन के कई सदस्यों ने छापा मारा है और उनके अन्दर मंत्री भी शामिल हैं, और उदाहरण के लिए मैं आपको और सारे सदन की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले यहां एक्साइज डिपार्टमेंट के उप मंत्री महोदय ने शराब के बेचने वाले लोगों को छापा मारकर पकड़ा है । पैसा पूरा लेने के बाद शराब कम दी जाती है । इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब वित्त मंत्री महोदय को करों की आवश्यकता पड़ती है, और हरेक राज्य को चलाने के लिए करों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ऐसी जानकारी सरकार को मिलती है कि सही पैसा देने के बाद में उस पैसे के बदले में कम कीमत की चीज दी जाती है तो सरकार ऐसे मुद्दों को सामने रखकर उसकी जानकारी करवाये, उसका असैसमेंट कराकर उनके ऊपर टैक्सेज इम्पोज करे । आप का जो दोषपूर्ण रवैया है उससे सही आदमी तो मारा जाता है और गलत आदमी जो है मौज करता रहता है ।

इसी प्रकार आज जबकि इस राजस्थान के अन्दर जहां कि आपको यह जानकारी

(श्री विजयसिंह रावत)

मिलती है कि लगभग 22 करोड़ रुपया बाकी है, उनकी वसूली के बारे में आज सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके भी कई राजनैतिक कारण हो सकते हैं, जैसी कि जानकारी मुझे है कुछ मदिरा संघ वालों की और दूसरे व्यापारियों की। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह कह दूं कि यह राज्य सरकार केवल चुनाव जीतने के लिए इन टैक्स न देने वालों को छोड़ती है, तो इसके अन्दर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर मैं यह कहूं कि राज्य सरकार के अंदर जो मंत्रीगण हैं वे अपने भविष्य के लिए आलिशान महल बनाने के लिए या अन्य सुविधाओं के अन्दर जीवन व्यतीत करने के लिए रकम हड़पने की दृष्टि से ऐसे लोगों को इग्नोर करती रहती है जिनको टैक्स देना बहुत आवश्यक है, तो इसके अन्दर भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आखिरकार कब तक यह चलेगा? राजस्थान में 70 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास में खाने, पीने और पहनने की व्यवस्था विचारणीय है, और उनमें से लगभग 37 प्रतिशत तो ऐसे हैं कि जिनके पास गांवों में घास-फूंस की झोंपड़ी भी नहीं है। इस सदन के अन्दर पिछले सत्र में यह बात आई है कि वसूली के मामलों में राज्य सरकार हमेशा जिन गरीबों के साथ में सख्ती करती है जिनकी सुनवाई कहीं नहीं की जाती है, और यहां तक भी यह बात आई है, माननीय सदस्य जो बांसवाड़े से आये हैं उन्होंने तो इतना तक भी कहा है कि वसूली जो हासिल और तकावी की की जाती है या अन्य वसूली के अन्दर लोगों ने अपनी जवान बहू-बेटियों को भी बेचा है। अगर उन सब चीजों को सामने रखते हैं और दूसरी तरफ इन चीजों को रखते हैं कि एक लखपति व्यापारी है या अन्य व्यापारी है वह गन्दी प्रवृत्ति को फैलाने के लिए राजस्थान के जो ऑनेस्ट व्यापारी हैं उनके व्यापार को ठप्प करने की नियत से सरकार को दोषपूर्ण रवैये की ओर आकर्षित करने के लिए यह सारा धन्धा करें और सरकार इन चीजों को वाजिब समझे और सरकार के अधिकारी ऐसे व्यापारियों के साथ उदारता का व्यवहार करें और करों की वसूली नहीं करते हैं जिनकी वजह से गरीब जनता पर बार-बार कर बढ़ाये जाते हैं, और कर बढ़ाने से उनके जीवन के अन्दर जो खुशहाली आनी चाहिए वह नहीं आ पाती है।

इन सब चीजों को अगर सामने रखते हैं तो मैं वित्त मन्त्रीजी से यही कहना चाहूंगा कि वह यह भावना नहीं रखें कि जयपुर के अन्दर उनके विरोधियों का बहुमत है या अजमेर के अन्दर सभी विरोधी आ गये तो वहां के व्यापारियों को तंग किया जाय, या अन्य कोई ऐसा जिला है जहां सत्ताधारी दल के सदस्य नहीं आये हैं तो वहां पर कुछ न कुछ ऐसा ऑर्डिनेन्स आयें या दूसरी प्रतिक्रियाएं करें। इसके द्वारा जनता यह सोचने को बाध्य हो रही है कि यह सारा काम राजनैतिक कारणों से हो रहा है। यदि जनता के दिमाग में यह बात बैठेगी तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला समय सन् 72 आयेगा उस समय इस राज्य के 40 मन्त्रियों का क्या हाल होगा यह तो वे खुद ही बता सकेंगे लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी प्रान्त में वहां के किसानों और व्यापारियों को संरक्षण देना जरूरी है, और इसमें यह जरूर है कि कौनसा व्यापारी ऐसा है जो चापलूसी से या और तरीके से....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप पहले कह चुके हैं।

श्री विजयसिंह रावत : मैं यह कह रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं विषय पर कहिये।

श्री रामकिशन : जब तक रोग रहेगा दवाई भी रहेगी।

श्री विजयसिंह रावत : मुझे दो पर बोलने का समय मिला है....

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन एक ही बात को दो दफा नहीं कह सकते।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इनकी आदत है एक बात को सात बार कहने की।

श्री विजयसिंह रावत : मैं यह कहना चाहता था कि जो व्यापारी हैं, जो और तरहं से पैसा कमाते हैं उनके साथ क्यों नहीं सख्ती करते ? क्यों गांव के गरीबों के साथ सख्ती करते हैं जिनकी आमदनी 14 आना है वह भी मिलती है या नहीं ? मैं सुखाड़िया जी को माणक चौक की चौपड़ पर माला पहनाने को तैयार हूं जिस रोज वे इस बात को दिमाग में रखेंगे कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे चाहे वह किसी कम्पनी का मालिक हो, चाहे सीमेन्ट कम्पनी का मालिक हो, चाहे जवाहरात की फैक्ट्री का मालिक हो, चाहे मोटर संघ वाला हो, जितनी भी वसूली है उसको एक दम उगायेंगे, और यदि, उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार दावा करती है कि राजस्थान की सवा दो करोड़ जनता को खुशहाल करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रही है तो इस सरकार के लोकतन्त्रीय सरकार होने के नाते यह जरूरी होता है कि 22 करोड़ रुपयों की वसूली एक दम करे और आयन्दा बजट में एक भी नया कर नहीं लगावे बल्कि जितना डेफिसिट है उसको भी दूर किया जाय। यदि यह दावा सरकार करती है तो उसके अनुसार काम करने पर ही लोकतन्त्रीय राजस्थान सरकार मानी जायगी वरना मैं यह कहूंगा कि सुखाड़ियाजी की सरकार भ्रष्ट अधिनायकवाद को पनपाने वाली अलीबाबा चालीस चोर है। इसको ऐसे अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी परिस्थिति नहीं होने पर भी इस प्रान्त में बार-बार अध्यादेश जारी करेंगे तो यहां की जनता कभी नहीं सोच सकेगी कि उसको न्याय मिल सकेगा और बाजार अच्छी तरह से चल सकेगा। किसान कभी नहीं सोच सकता कि इस परिस्थिति में हमको अधिक अनाज उपजाना चाहिये। खेतीहर मजदूर भी कभी नहीं सोच सकेगा कि वह खुशहाल रहेगा और अपनी मेहनत का अच्छी तरह से उपयोग करेगा। ऐसा कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स एक्ट को लेकर दो अध्यादेश राज्यपाल महोदय द्वारा भिन्न समय पर प्रसारित किये गये हैं। एक अध्यादेश क्रमांक 2 दिनांक 20-10-67 को प्रसारित किया गया है और दूसरा अध्यादेश सं. 4 दिनांक 23-11-67 को प्रसारित किया गया है और उन पर सदन की स्वीकृति चाही गई

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार के दोनों अध्यादेश हैं वे किस प्रकार के हैं उन पर मैं बाद में निवेदन करूंगा लेकिन इन दोनों पर मैंने संकल्प किया है कि इन दोनों को अस्वीकार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, दोनों अध्यादेश जिन कानूनी खामियों के कारण आज स्वीकृति के लिये सदन के सामने आये हैं इस प्रकार का अवसर सदन के सामने पहली बार ही आया हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब जब सेल्स टैक्स अधिकारियों द्वारा या कानून विभाग द्वारा गलतियां की गई हैं और उन गलतियों के विरुद्ध प्रभावित व्यक्तियों ने कानून की शरण लेने के लिये हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाये हैं और जब हाईकोर्ट द्वारा विभाग पर लताड़ पड़ी है, तब-तब उन गलतियों को सुधारने के लिये अध्यादेश सदन के सामने लाये गये है। मैं अर्ज करूंगा कि इन दोनों अध्यादेशों को अलग-अलग देखा जाय तो स्पष्ट है कि सरकार और विभाग की नियत ईमानदारी से राजस्थान की जनता की सुरक्षा करने की है या राजस्थान सरकार द्वारा अधिक आमदनी करने की है या कुछ व्यापारियों से बदला लेने के लिये उनका दमन करने की नीति बनाकर सरकार चल रही है? मैं अर्ज करूंगा कि जो अध्यादेश क्रमांक 2 है वह क्यों लाया गया? क्या इस प्रकार की गलती एक समय में हुई जिसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है? मैं निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा महकमा, इतने बड़े-बड़े अधिकारी, पूरा फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जिसके पीछे है और लॉ डिपार्टमेन्ट जिसके पीछे है क्या उसने यह गलती सन् 67 में या 66 में ही की है? बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि जब से यह एक्ट बना है और एक्ट का पालन करने के लिये नियम बनाये गये हैं तब से सन् 55 से 67 तक लगातार गलती चली आ रही है और इतने सालों की गलती को सुधारने के लिये जब हाईकोर्ट से ढोंचा मिला तो उसको सुधारने के लिये आर्डिनेन्स लाया गया। सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 36 सब-क्लाज (2) (एफ) जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार है कि वह सेल्स टैक्स एक्ट के तहत उसके प्रावधान को प्रभावशाली बनाने के लिए समय-समय पर व्यवस्था कर सकती है नियम बना सकती है, और इसी दृष्टि से सेल्स टैक्स रूल्स बनाये गये। रूल्स सन् 55 में प्रभावशाली हुए और उनके प्रावधान (3) के अन्तर्गत सर्कल्स का निर्माण करना आवश्यक है। सब-रूल (3) के अन्तर्गत सर्कल्स का निर्माण किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सर्कल्स का प्रश्न जब सन् 55 में एक्ट के साथ साथ रूल्स बने उसी समय उठना चाहिये था और सर्कल्स बनने चाहिये थे, कानून की मंशा के अनुसार उनका निर्माण होना चाहिये था। लेकिन आश्चर्य करेंगे आप 55 से 67 तक जयपुर में 2 सर्कल्स है ए. और बी. उनके सम्बन्ध में सारा प्रावधान आंख-मिचौनी करने का रहा। व्यापारियों पर पेनल्टी इम्पोज करते रहे, लोगों को दो-दो, तीन-तीन बार हाईकोर्ट में जाना पड़ा उसके फलस्वरूप सन् 67 में यह अध्यादेश लाया गया है। और मैं कहूंगा कि जो अध्यादेश लाया गया है वह भी पूर्ण नहीं है। इसके पूर्व जो एसेसमेन्ट किया गया है उन पर पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सन् 55 से 59 तक केवल कमिश्नर को सर्कल्स बनाने का अधिकार था, वही

Page No.67

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

सर्कल्स का निर्माण कर सकता था। उस समय एडिशनल कमिश्नर की व्यवस्था नहीं थी। जब कि रूल्स में एडिशनल कमिश्नर की व्यवस्था ही नहीं थी तो सन् 55 से एडिशनल कमिश्नर की व्यवस्था कैसे करते हैं? जिसका कानून में अस्तित्व ही नहीं है वह एडीशनल कमिश्नर सर्कल्स का निर्माण करता है और 2 सर्कल्स में विभक्त करता है जयपुर को। जयपुर के अन्दर और उनके द्वारा असेसमेंट किया जाता है। जब उनके द्वारा असेसमेंट किया गया, असेसमेंट के द्वारा उन्होंने पैनल्टी इम्पोज की तो जो उससे प्रभावित व्यक्ति थे वह रैवेन्यू बोर्ड के सामने गये और रैवेन्यू बोर्ड के फैसले के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, जो रेडियो फ्रिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिस तरह से 1963 आर. आर. डी. के अन्दर रिपोर्ट हुआ है, उसके अन्दर उन्होंने निर्धारित किया है और स्वयं सरकारी वकील ने कन्सीड किया है कि यह बात सच है कि जिस प्रकार से सर्किल्स का निर्माण किया गया, उसके लिये न तो उसका नोटिफिकेशन किया गया और न वह गजट में आया हुआ। इस प्रकार से कन्सीड करने के बाद सरकार ने 5-7-63 को नोटिफिकेशन प्रसारित किया, उसके द्वारा अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, एक बार रैवेन्यू बोर्ड ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया 1963 के अन्दर तो 1963 के अन्दर आप नोटिफिकेशन लेकर आते हैं और उसके द्वारा कोशिश करते हैं कि जो आपने गलती की हैं उसको दुरुस्त किया जाय। उसके आधार पर फिर दुबारा असेसमेंट होता है और फिर पैनल्टी इम्पोज की जाती है। उसके बाद उसके खिलाफ पार्टीज हाई कोर्ट में जाती हैं, और जाकर पैरवी करती हैं कि जिस प्रकार के अधिकारी ने हमारा असेसमेन्ट किया है, जो असेसमेंट करने वाला अधिकारी था उसको कोई अधिकार नहीं था कि हमारा असेसमेंट कर सके और पैनल्टी इम्पोज कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, उस आधार पर पार्टीज हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने इंडिया ह्यूम पाइप वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में 4-9-67 को फैसला दिया कि जिस अधिकारी ने असेसमेंट किया है, जिन अधिकारियों ने इसके अन्दर पैनल्टी इम्पोज की है- उनको कोई अधिकार नहीं था और बिना किसी अधिकारी के यह सारा का सारा असेसमेंट किया है क्योंकि हमारी सरकार ने और हमारे विभाग ने जो सर्किल्स बनाये थे, वह सर्किल्स बनाये थे आदमियों के नाम से, यह नहीं कि असेसमेंट के पर्पजेज के लिए जयपुर शहर के अन्दर ए और बी सर्किल्स, जिनको कि सीमायें आई हैं, क्रियट किये जाते हैं बल्कि उन सर्किल्स के आगे नामजद व्यक्तियों के नाम लिख कर के सर्किल्स बनाये गये थे। उसका नतीजा यह हुआ कि जिन अधिकारियों के नाम से सर्किल्स बनाये गये थे, उनका दो तीन माह के बाद वहां से तबादला हो गया और जिनके नाम से सर्किल्स बने थे उनकी जगह पर दूसरे अधिकारी आये। उनको यह अधिकार नहीं था कि वह असेसमेंट कर सकें और उसका नतीजा यह हुआ कि हाई कोर्ट ने इस आधार पर फैसला दिया कि जिन सर्किल्स के अन्दर ये अमुक अमुक सैल्स टैक्स आफिसर थे उन्होंने जो असेसमेंट किया है या पैनल्टी इम्पोज की है, उनको कानूनन असेसमेंट करने का या पैनल्टी

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
इम्पोज करने का अधिकार नहीं था और इस प्रकार सारे के सारे असेसमेंट, सारी की सारी पेनल्टी को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और सारे के सारे को अवैध करार दे दिया गया। यह वित्त मंत्री जो आपका विभाग है ? यह विभाग है जो कानून की छोटी सी मन्शा थी और जिसके अनुसार समय पर सर्किल्स बन जाने चाहिए, वह सर्किल्स को बना कर उनमें जो काम्पोटेन्ट अधिकारी होने चाहिए, उनका निर्धारण ठीक प्रकार से कानून की मन्शा के अनुसार होना चाहिए,-वह सब समय पर नहीं कर सका, और उसका नतीजा यह हुआ कि इस प्रकार के प्रश्न पर पहले तो रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा फैसला हुआ और उसको दुरुस्त करने के बाद में हाई कोर्ट में आपके मुंह पर करारा तमाचा मारा गया है, और उसमें यह बताया गया है कि राजस्थान सरकार को यह पता नहीं है कि क्या कानून बना रही है, कानून की मन्शा क्या है और कानून के द्वारा वह क्या चाहती है ? वित्त मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि इसके बाद यह प्रश्न एक दूसरे फैसले के अन्दर फिर रेवेन्यू बोर्ड द्वारा उठाया गया है और रेवेन्यू बोर्ड ने 1955 से लेकर 1-10-67 तक जो असेसमेंट किये गये हैं, उनके बारे में कहा है। मैं जानना चाहूंगा आपके उत्तर के द्वारा कि जिस ऑर्डिनेन्स को लेकर आज आप आये हैं और जिस ऑर्डिनेन्स के द्वारा, जो कुछ भी गैर कानूनी कार्यवाहियां हुई हैं, उनको दुबारा कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं, क्या उस आधार पर आप इस काल में, 1955 से लेकर 21-10-67 तक जो कार्यवाहियां हुई हैं, उन कार्यवाहियों को रेगुलेराइज कर पायेंगे ? क्योंकि जो आर्डिनेन्स आपने जारी किया है उसमें 5-6-65 से लेकर 21-10-67 तक की कार्यवाही को वेलिड किया गया है, इस काल की कार्यवाहियों को आप रेगुलेराइज करना चाह रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि 5-6-65 के पहले जो असेसमेंट्स किये गये हैं और जिन असेसमेंट्स के आधार पर जो पेनल्टी इम्पोज की गई हैं, क्या आपको उनको भी वेसूल करने का अधिकार होगा या नहीं ? मेरी मान्यता है कि जो ऑर्डिनेन्स जारी किया है उस ऑर्डिनेन्स के द्वारा आप केवल 5-6-65 से लेकर 21-10-67 तक जो कार्यवाहियां इल्लीगल हुई हैं, इस फैसले के अनुसार और जिसको आपने माना है उसी को केवल, उसी असेसमेंट को रेगुलेराइज करने जा रहे हैं, इसके पहले के असेसमेंट को रेगुलेराइज नहीं करना चाहते। लेकिन 1955 से लेकर जो 1965 तक इल्लीगल कार्यवाहियां हुई हैं या जो असेसमेंट हुए हैं उनको आप कैसे रेगुलेराइज करेंगे ? इसलिए जो ऑर्डिनेन्स आप लेकर आये हैं वह आपने आपमें इनकम्प्लीट है

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आप आज कानून के अनुसार, यह ठीक है, असेसमेंट कर सकते हैं लेकिन जो पेनल्टी इम्पोज की गई है, इस पेनल्टी को आप वसूल करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस ऑर्डिनेन्स में जो अवधि दी है, इस अवधि में की गई उस पेनल्टी को आप वसूल कर सकेंगे ? मैं निवेदन करूंगा कि आप पेनल्टी वसूल नहीं कर सकते। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ऑर्डिनेन्स नम्बर दो लाया गया है, यह जीता जागता उदाहरण है कि सरकार और सरकार के विभाग पर जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि समय पर असेसमेंट होना चाहिए, असेसमेंट की रकम जमा होनी चाहिए, जो लोग डिफाल्टर हैं, जिनका समय पर असेसमेंट नहीं हो पाता है उन लोगों से पेनल्टी वसूल की जानी चाहिए, लेकिन आप

Page No.69

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उस पैनल्टी को उनसे वसूल नहीं कर सकेंगे। और वह पैनल्टी की रकम थोड़ी बहुत नहीं है। वह रकम लाखों में जायगी। केवल आपकी लापरवाही के कारण, इस विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण, महकमे की गलती के कारण आज राजस्थान की जनता को यह सब भुगतना पड़ेगा। तो यह एक और उदाहरण है आपके विभाग के निकम्मेपन का। आप को पता नहीं है कि आपकी क्या कानूनी व्यवस्था है, कानून किस प्रकार बनना चाहिए और उसका पालन किस प्रकार से होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा बड़ा उदाहरण मुझ से पूर्व आने वाले व्यक्तियों, माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल ने उदाहरण दिया। यह दूसरा ऑर्डिनेन्स आया है जिसके अन्दर मैं आप से निवेदन करूंगा कि क्या था राज्य सरकार का, क्या थी विभाग की वास्तविक मंशा, वह यह कि जो बड़े-बड़े व्यापारी टैक्स की चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, जो काली किताबें रखते हैं, फर्जी किताबें बनाकर रखते हैं, उनके असेसमेन्ट को आप बचाना चाहते हैं। उनकी चोरी को आप बचाना चाहते हैं या केवल उनका दमन करने के लिये, केवल उनको कुचलने के लिए, उनको राजनैतिक आधार पर खत्म कर देना चाहते हैं। आपका ऑर्डिनेन्स नम्बर चार है। जिसको 23-11-67 को राज्यपाल महोदय ने प्रसारित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी फैसले के आधार पर है। यह भी हाईकोर्ट के फैसले में जब सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 22, उसकी उपधारा (6) को अवैध घोषित किया। कॉन्स्टिट्यूशनली और संवैधानिक ढंग से उसको गलत बताया तब जाकर यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डिनेन्स को जारी करने के पीछे सरकार की यह नीयत नहीं है कि वह किसी प्रकार की टैक्स की चोरी को रोकना चाहती है या किसी प्रकार की बेईमानी को रोकना चाहती है। इसके पीछे केवल एक मंशा है कि लोगों को कुचल दिया जाय। व्यापारियों के व्यापार को ठप्प कर दिया जाय। धंधा चौपट कर दिया जाय। वित्त मंत्री जी, मैं आप से एक जानकारी चाहूंगा। यह जो सैक्शन 22 है, उप धारा (6) इसको हमने इस विधान सभा के अन्दर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमेंडमेंठ के द्वारा 4-5-64 को पास किया था और मई 64 के अन्दर यह जो सेक्शन 22 की सबधारा है उसके जरिये आप ने अधिकार लिया था। अपने अधिकारियों को अधिकार दिलाया था कि वे जाकर दुकानों में घुस कर, उनके बहीखातों और कागजातों को जब्त कर सकें। और जिस समय संशोधन, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने था उस समय आपत्तियां उठाई गई थी कि यह संशोधन केवल व्यापारियों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि इसके पीछे किसी को जलील करने या परेशान करने की मंशा नहीं है। लेकिन जो सेल्स टैक्स की चोरी होती है, उसे रोकना चाहते हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं, कि 4-5-64 से आज तक जो आज फरवरी 68 है। विभाग के द्वारा धारा 6, धारा 5, धारा 4 और उपधाराओं के तहत जितने भी मामले पकड़े गये हैं, उसमें कितनी रकम आपने असेसमेंट की है? सैंकड़ों व्यापारियों को ब्लिट्ज जैसे अखबार में चोरी और कालाबाजारी के अपराध के नाम से बदनाम कर दिया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
उप-धारा के अन्तर्गत जो संशोधन विधान सभा में स्वीकार किया और उसके द्वारा जो अधिकार आपने प्राप्त किये थे। आपने कितनी राशि का सरकार को फायदा पहुंचाया है? कितनी राशि का फायदा किया? कितना असेसमेंट किया है? उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि शून्य के बराबर आमदनी प्राप्त की गई।

एक माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जहां जहां इस प्रकार के छापे मारे गये, जितने छापे मारे गये, आज तक उनकी किताबों, बहियों और माल को जब्त किया गया, उन बहियों के आधार पर या अन्य कार्यवाहियों के आधार पर जहां तक नतीजे का सवाल है, या असेसमेंट का सवाल है, वह शून्य के बराबर है। इसको पास किये हुए तीन साल के बाद अधिकार प्राप्त करने का नतीजा कुछ नहीं रहा है। सिवा इसके कि लोगों का जलील किया है। तो फिर इस एक्ट के द्वारा पावर लेने की कोशिश क्यों की है? उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा 22 को लेकर सब-क्लाज (6) और दूसरे सब क्लाज को लेकर एक बार इस सदन के समक्ष अनेक दृष्टान्त रखे गये हैं। जिस प्रकार से इसके द्वारा व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ी, जलालत सहनी पड़ी है, उसके कई उदाहरण आपके सामने आये हैं। उनमें से कई बरबाद हो चुके हैं। एक जजमेंट ऐसा आया जिसके कारण एक व्यापारी को मरना पड़ा, और वह मर गया। और एक जजमेंट है जिसमें आपके अधिकारियों ने इस पॉवर का इस्तेमाल करते हुए कार्यवाही की। छापे डाले। छापे डालते हुए कागज सील किए। और उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। जो स्ट्रक्चर पास किया, जो रिमार्क्स दिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के समक्ष उनको सुनाना चाहता हूं। यह केस है, नत्थीलाल फतेहपुरिया का। नत्थीलाल फतेहपुरिया 22 अगस्त, 1967 को इसका फैसला हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसके अन्दर की लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। आपने अधिकार लिया है आप कागजात जब्त करते हैं। लेकिन इन जब्तियों के पीछे इन कागजों को जब्त करने के कारण क्या हैं?

"That the dealer was asked several times to pay the amount and, as he was not prepared to do that, the Officer was proceeding under section 22(6) of Act, against the dealer."

अब जो स्ट्रक्चर हैं, वह इस प्रकार हैं, उपाध्यक्ष महोदय:—

"The tenor of this notice leaves no doubt in our mind that the whole thing was being done in hot haste and the officers did not really care to ascertain in what the extent of the evasion was, but they tried to make a show of complying with the provisions of law and in this attempt they had miserably failed."

उपाध्यक्ष महोदय, यह नोटिस जारी किया था। नोटिस के द्वारा व्यापारियों को बताना चाहते थे कि तुमने टैक्स की चोरी की है तो नोटिस का पालन होना चाहिए था। और दृढ़ता के साथ नोटिस जारी करना चाहिए था। इसको बालाये ताक रख कर केवल उन व्यापारियों को जलील करने के लिए केवल उन व्यापारियों को परेशान करने को सारी कार्यवाहियां की गयीं और इधर [illegible]

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
ने यह जिस प्रकार की कार्यवाही की गयी है, वह गलत थी । हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि यह कानूनी मंशा गलत ढंग से उपयोग में लाई गई है । और, सारे कागजात को लौटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया । उपाध्यक्ष महोदय, जो यहां अध्यादेश लाया गया है, उसमें अभी पिछले साल के आखिर में फैसला हुआ । फैसला हुआ 20–11–67 को और ऑर्डिनेन्स आ जाता है 23–11–67 को । कितना सक्रिय विभाग है। कितना सक्रिय मुहकमा है । इधर तो 20–11–67 को फैसला होता है और उधर तीन दिन के बाद अध्यादेश लेकर चले आ रहे हैं । कितनी क्योरिमिटी के साथ अध्यादेश प्रसारित किया जाता है ?

(2.26 म.प.)

(श्री जयवन्तसिंह, नागर, स.वा.नि.,पदासीन)

मैं आर्डिनेंस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । 28–7–67 को सेल्स टैक्स विभाग की बड़ी भारी फौज गई, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, ऊंचे ऊंचे अधिकारी लगभग ढाई सौ तीन सौ लोगों ने जाकर के हीरालाल छगनलाल, जिनकी कि मोतीसिंह भोमियों के रास्ते में फर्म है, वहां जाकर छापा मारा । 28–7–67 को ऐसा लग रहा था जैसा कि जौहरी बाजार के अन्दर मानों किसी डकैत को पकड़ने जा रहे हैं। किसी डकैत को छापे में लेना है, उसको पकड़ने के लिए पच्चीस तीस ऑफिसर्स जा रहे हैं । सभापति महोदय, उन्होंने जाकर उनके सारे कागजात जो लगभग 30 एक्जीबिट्स हैं, उन सब को जब्त कर लिया। और, जल्दबाजी में जो जवाहरात, हीरे मोती थे, उनको सील किया गया और उसको सील करके उसको बन्द करके कब्जे में ले लिया गया। जो व्यापारी उससे प्रभावित थे। जो व्यापारी सरकार के इस एक्शन के खिलाफ थे, वे हाईकोर्ट में गये और, हाई कोर्ट में जाकर यह जो सारा का सारा कानून है, धारा 22 सब-क्लाज 6 उसको कानूनी निगाह से अवैध घोषित किया गया। संवैधानिक ढ़ग से उसको गलत बताया गया और गलत बताने के उसके तीन दिन के बाद यह महकमा एक आर्डिनेंस ले आया । जिसको राज्यपाल महोदय के जरिये प्रसारित किया गया । सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 28–7–67 को कागजात फर्म में जब्त किये गये । उस फर्म को अपमानित किया गया । जो कुछ कर सकते थे वह आपने किया । अकेली यह फर्म ही नहीं बल्कि सैंकड़ों फर्म हैं जिनको पकड़ा गया । मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा कि 28–7–67 से 20–11–67 तक जिस रोज हाईकोर्ट का इस सम्बन्ध में फैसला हुआ, इस विभाग ने उन कागजात के आधार पर जिनको वह जाली समझ कर ले गये, जिसे यह समझ कर चलते थे कि उनके द्वारा टैक्स की चोरी की गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि 28–7–67 से 20–11–67 तक असेसमेंट ऑफिसर्स ने, सेल्स टैक्स ऑफिसर्स ने कितनी रकम असेसमेंट की है? कितनी चोरी पकड़ी? आखिर 4 महीने का अवसर था । सारे कागजात आपने जब्त कर लिये सब आप उठाकर ले आये । माल आपने सील कर लिया । पूरी की पूरी फौज लेकर आप मौके पर पहुंच गये । चार महीने का आप को अवसर था । वह व्यापारी अपमानित हुआ । उसकी हमें चिन्ता नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

और व्यापारियों को अपमानित करिये, उसकी हमें परवाह नहीं। मैं आपको शाबासी देता अगर इस चार महीने के अन्दर आप हमको यह बताते कि इसमें इतने सौ रुपये का, इतने हजार रुपये का, इतने लाख रुपये का टैक्स चोरी किया है। सभापति महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि आज तक एक पैसे की चोरी भी यह विभाग साबित नहीं कर पाया है। चार महिनों का आपको अवसर मिला, केवल उस व्यापारी को ही अपमानित नहीं किया बल्कि जौहरी बाजार के अनेकों व्यापारियों को अपमानित कर दिया, बड़े-बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर श्रेय लेना चाहा जैसे कोई बहुत बड़े ब्लैक मार्केटियर को पकड़ लिया हो, आपने यह सब श्रेय लेना चाहा पर मैं आपसे यहां यह पूछना चाहता हूँ कि यह सारा काण्ड किया, फिर भी आपने राज्य-सरकार के खजाने में कितना रुपया चोरी का निकाल कर जमा किया? आपकी इस सारी कार्यवाही का नतीजा यह है कि आज तक भी आप चोरी का एक पैसा भी असेस नहीं कर पाये हैं। इसके विपरीत आपने इस मुकदमें में कितना खर्चा किया है। सेल्स टैक्स कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, सारा प्रिवेन्टिव फोर्स जयपुर से निकल कर जोधपुर में जमा हो गया, इस तरह आपने कितना सरकारी खजाने का पैसा भत्ते के रूप में खर्च कर दिया, आपने हजारों रुपया भत्ते के रूप में खर्च कर दिया, सरकारी काम काज का हर्जा किया, लोगों की अपीलें पड़ी रह गई, उनकी अपीलों पर समय पर स्टे नहीं मिल सके, और आप एक भी पैसा सेल्स टैक्स की चोरी का असेस नहीं कर पाये। जैसी कि मेरे पास सूचना है 28-7-67 से 20-11-67 तक जब तक कि यह मुकदमा हाईकोर्ट में चला सारी अपीलें पड़ी रहीं, एडिशनल कमिश्नर के सामने पड़ी रहीं, मुश्किल से एक दो फाइल निकली होगी, बाकी सब अपीलें पड़ी रहीं, सारा काम ठप्प, असेसमेंट का काम ठप्प, अपीलों का कार्य ठप्प, और सारा कार्य ठप्प, केवल जौहरी बाजार के जौहरियों के मुकदमें का काम, जिनके कागजात आपने पकड़े थे, जिनको समाज के सामने चोर बना कर अपमानित किया था, फिर भी उनके खिलाफ एक पैसा भी सेल्स टैक्स की चोरी का साबित नहीं कर सके, असेस नहीं कर सके। तो यह आखिर सब कुछ क्यों किया गया? इस सब चीज के पीछे आपकी केवल यही एक मंशा थी कि राजनैतिक बदला लिया जाय। व्यापारी हमारे चंगुल में नहीं हैं तो किस प्रकार इन व्यापारियों को चंगुल में लिया जाय। इसलिये धारा 22 के तहत अधिकार लिये गये और उसका इनके खिलाफ उपयोग किया गया, यह इस केस से स्पष्ट है। स्वयं हाईकोर्ट के जज ने माना है कि धारा 22 की सब-संक्शन 6 अवैध है।

(2.33 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

आज उसको संशोधित करके ला रहे हैं, बिल आयेगा तो मैं इसके सम्बन्ध में विचार रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार दूसरी धाराओं के अन्दर राज्य सरकार ने अधिकार प्राप्त किये। उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल इसके समान ही धारा मद्रास के कानून के अन्दर भी है। मद्रास की सरकार ने भी कानून बना कर इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में लिये थे, कागजात जब्त किये थे। वे कागजात जिनको आप यह कहें कि

Page No.73

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ये अनएकाउन्टेड हैं, ब्लेक हैं, उसी प्रकार मद्रास सरकार ने भी लिये थे। पर मद्रास सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया था उसे 1965 में हाईकोर्ट ने और सुप्रीमकोर्ट ने रद्द कर दिया पर आज तक इस धारा के सम्बन्ध में मद्रास की सरकार कोई संशोधन लेकर नहीं आई है, क्योंकि वह जानती है कि इसके पीछे पेचीदगियां हैं, संवैधानिक आपत्ति है, इसलिये वह संशोधन नहीं लाना चाहती। पर दूसरी ओर राजस्थान की सरकार है, 20 तारीख को हाईकोर्ट से फैसला होता है और हमारी राजस्थान सरकार के कुशल अधिकारी और कुशल सरकार, जिनका नमूना मैंने दूसरे आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में बताया कि 15 से आर्डिनेन्स में कमी चली आ रही है, वह सरकार तीन दिन के अन्दर ही ऑर्डिनेन्स से ठीक करवाना चाहती है।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का संशोधन इस अध्यादेश के द्वारा लाया गया है वह इन्कम्प्लीट है, फिर जो कानून की पेचीदगियां हैं, उनको बारीकी से सरकार ने नहीं देखा है। हाईकोर्ट ने फैसले में बताया है कि सैल्स टैक्स ड्यू तक नहीं होता जब तक कि सैल न हो। राजस्थान सरकार ने इस पोइन्ट को नहीं देखा है और केवल पजेशन पर ही टैक्स लगा देगी, संविधान आपको इस प्रकार का अधिकार नहीं देता। कोई चीज मेरे पास मौजूद है, उस पर सैल्स-टैक्स नहीं ड्यू होता। आप केवल पजेशन के आधार पर असेस कर लें, इस प्रकार का अधिकार संविधान आपको नहीं देता। स्वयं हाइकोर्ट ने इस प्रश्न पर रोशनी डाली है, जिस लाइट में आप संशोधन ले कर आये हैं, उस प्रकार का अधिकार आपको संविधान नहीं देता। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि केवल पजेशन से सैल्स टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होता। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने पजेशन में इन चीजों को रखे। वह जब सैल करेगा तब उस पर सैल्स टैक्स लगेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जौहरियों को शिकार बना कर सरकार कानून हाथ में लेना चाहती है वहां लास्ट पोइन्ट पर सैल्स टैक्स ड्यू होता है। जो हीरे जवाहरात, जिन पर आपकी निगाहें गिद्ध की तरह पड़ी हुई हैं, जिनके व्यापार को आप ठप्प कर देना चाहते हैं, उस पर लास्ट पोइन्ट पर सैल्स टैक्स है।

हमें इसमें आपत्ति नहीं कि जो चोरी करता है उसको हथकड़ी डालें, आप राजस्थान के खजाने को बढ़ावें। पर वह चीज जिसका लास्ट पोइन्ट पर सैल्स टैक्स ड्यू होता है, इसलिये जैसा संशोधन इसमें लाया गया है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका नजरिया फिर भी इन्कम्प्लीट है, आपको इसमें मुंह की खानी पड़ेगी।

यह ठीक है कि सब-क्लाज 6 पर आपने विचार किया है और यह संशोधन आर्डिनेन्स से लेकर आये हैं पर 22 की जो दूसरी उपधाराएं हैं, उनके बारे में चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, हालांकि जस्टिस कानसिंह उससे सहमत नहीं थे पर चीफ जस्टिस ने उन धाराओं के बारे में क्या कहा है, मैं केवल अन्तिम पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा :

"I have gone through the judgment of my learned brother and I entirely agree with him that sub-

Page No.74

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

section (6) of section 22 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 is fit to be struck down for reasons given by him and which need not be repeated.

As regards sub-sections (1), (2), (3), (4) and (5) of section 22 of the said Act, their validity was upheld by a Division Bench of this Court in Nathulal Fetehpuria V. The State of Rajasthan and others. (D. B. Civil writ Petition No. 1407 of 1966 decided on 25-8-67). My learned brother who had produced that judgment, has adhered to the views expressed by him in that case and has further tried to strengthen them by additional arguments. I, however, find it difficult to agree with several observations made by him in this connection. Under the circumstances, I would have referred the case to a large Bench to examine more thoroughly the validity of these sub-sections, but that step is likely to prolong the agony of the petitioners who are keen not only about immediate restoration of the jewels but also about early return of the account book which have been taken from their possession."

यह एक पंक्ति चीफ जस्टिस ने जोड़ी है, क्या इस आधार पर राजस्थान सरकार ने अध्ययन किया है कि 22 की उपधाराएं दूसरी है, क्या अपने आप मे कम्प्लीट हैं, क्या कल जाकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगी ? मैं समझता हूं इस दृष्टि से भी इन प्रश्नों पर विचार होना चाहिए ।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह जल्दी में यह "ऑर्डिनेन्स लाया गया, फैसले के तीन दिन के अन्दर अन्दर ऑर्डिनेन्स प्रसारित कराया गया है, जिसकी इक्वेलेन्ट धारा मद्रास में थी, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित की गई 1965 में, आज 68 है, पर आज तक मद्रास सरकार इसके लिये कोई दूसरा संशोधन नहीं लाई है, वहां हमारी सरकार फैसले के तीन दिन के अन्दर अन्दर इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स लाई है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का अध्यादेश हमें स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री ।

(वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में)

और कोई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहें ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सरकार डूब गई ।

श्री खेतसिंह : सरकार बैठी है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स के संबंध में जो विचार अभी आए ...

श्री देवदत्त गाड़िया : आपको तो कोई मंत्री बनाने वाला नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मंत्री मत बनाओ, विचार तो मेरे सुनो । माननीय

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

सदस्यों को तो यही शिकायत है कि धारा 22 (6) के तहत जिस प्रकार से पहले प्रावधान था उसको तब्दील करके और नया प्रावधान इस ऑर्डिनेन्स के जरिए प्रोमल्गेट किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक जौहरियों का प्रश्न है, जिनकी अकाऊन्टेड फार प्रोपर्टी सीज करनी थी उस संबंध में कोई एक्शन लिया और उसके साथ साथ जिस प्रकार का व्यवहार हमारे सेल्स टैक्स विभाग ने बरता, मुझे उस पर अफसोस है। हमारा विभाग अगर सतर्क होता तो धारा 22 (6) के तहत जिन जौहरियों की तलाशी ली और जो प्रोपर्टी सामने आई, उस प्रोपर्टी को वसूल किया जा सकता था और ऐसा न करना मैं इस विभाग का निकम्मापन समझता हूं। अतः मेरा निवेदन है कि ऑर्डिनेन्स लाने से पूर्व हमें इस बात को पूरी तरह से जानकारी कर लेनी चाहिए कि जिस प्रकार हम कानून बना रहे हैं, उस कानून से राज्य सरकार को भी लाभ होगा और जो ब्लैक मनी कमाते हैं उसको अपने पास रख कर राज्य सरकार को देय कर से वंचित रखते हैं, वह राज्य सरकार वसूल नहीं कर सकती तो इस प्रकार के कानून बनाने से कोई लाभ नहीं। गत वर्ष मैंने सेल्स टैक्स एक्ट के संशोधन के समय निवेदन किया था। इस प्रकार जुरिस्डिक्शन के प्रश्न पर जो आज हमारे सामने विचारणीय है, आप नामवार जुरिस्डिक्शन लोगों को देते हैं और उनके पदों का हवाला नहीं देते। जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा जुरिस्डिक्शन के प्रश्न पर उच्च न्यायालय में इतने पकड़े हुए केसेज फेल हो गए। इस प्रकार के बहुत से अधिकारी हमारे यहां पर मौजूद हैं जिनको आप नाम से सेल्स टैक्स ऑफिसर बनाते हैं, किसको क्या बनाते हैं और उनका जुरिस्डिक्शन तय नहीं करते तो लोगों के घरों में जाकर डाका डालते हैं। एक जगह का सेल्स टैक्स अधिकारी दूसरी जगह पर जहां उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहां लोगों की तलाशी ले लेता है और पैसा वसूल करता है। न केस दायर होता है, न एसेसमेंट होती है। ऐसे केसेज में सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार के केसेज जो भी किए जायं उन केसेज से राज्य सरकार की आमदनी बढ़नी चाहिए। जो देय कर होता है वह प्राप्त नहीं होता है तो उस कानून से फायदा नहीं होता है। आज के व्यापारी, जिनकी तरफदारी माननीय सदस्य कर रहे हैं, इतने होशियार हैं कि वे दो दो चार चार तरह की बहियां रखते हैं और सरकार और सभी लोगों को धोखा देते हैं। वे एसेसमेंट अधिकारियों से मिलकर राज्य सरकार को देय कर नहीं देते। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इस कानून में जो भी खामियां हों उन तमाम को एक साथ दूर करना चाहिए। अब लोग हाई कोर्ट में जाकर लेकुनाज का फायदा उठाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कानून इतने एफिशियन्ट बन जायं और किसी प्रकार लेकोनाज न रह जायं तो 21-22 करोड़ की आमदनी जो सेल्स टैक्स के जरिए से होती है दुगनी हो सकती है। मगर व्यापारी लोग तरह तरह के हथकंडे करते हैं। वकीलों व एडवाइजर्स के जरिए तरह तरह के लेकोनाज निकालकर लाखों रुपए के कर से सरकार को वंचित करते हैं। ऐसे लेकोनाज को दूर करना चाहिए। जो लोग चोरी नहीं करते उनके साथ हैरसमेंट न हो बल्कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादती होनी चाहिए जो टैक्स की चोरी

(श्री गिरधारी लाल व्यास)
करते हैं, टैक्स को इवेड करते हैं। इस प्रकार बहुत से व्यापारी आज ऐसे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन प्रस्ताव और आपका वाद विवाद में हिस्सा...

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने कहा जभी तो बोला। मैं एक मिनट में खतम करता हूं। आज हमारे राज्य में कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनकी अनएकाउन्टेड फार प्रोपर्टी के सम्बन्ध में सेल्स टैक्स विभाग को जानकारी नहीं मेरे क्षेत्र में थोड़े दिन पहले भीलवाड़ा सेल्स टैक्स ऑफिसर श्री चौहान ने आसींद के एक सुनार को पकड़ा जिसने आज तक कोई सेल्स टैक्स नहीं दी। कई लाखों करोड़ों का धन्धा करता है। वह केस धीरे धीरे ढिल मिल हो रहा है और कुछ गड़बड़ न हो जाय, मुझे कुछ अंदेशा है। इस प्रकार कई लोग हैं जो रात-दिन हजारों रुपए का सोने चांदी का धंधा करते हैं। ऐसे लोग आपको ग्रस्त से बचे हुए हैं, उसको मजबूत करने के लिए 22 (6) के अंदर और भी सख्त कानून लाना चाहिए जिससे लोग उसकी ग्रस्त से न बच सकें। खास तौर से जिस केस के बारे में मगनलाल सुनार के बारे में मैंने जिक्र किया वह कई वर्षों से लाखों रुपए का धंधा सोने चांदी का करते रहें हैं लेकिन आज तक सेल्स टैक्स का पैसा नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि उस केस की पूरी तरह से छानबीन की जाय ताकि आज तक जो सेल्स टैक्स देय है वह सरकार के खजाने में जमा हो जाय वरना बहुत बुरा असर लोगों पर पड़ेगा और ऐसे लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा जो अनएकाउन्टेड ऑफ सामग्री को अपने पास रखते हैं और बिक्री कर अदा नहीं करते हैं ऑर्डिनेन्स जो यहां पर लाया गया है वह बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर समय पर आर्डिनेन्स नहीं लाया जाता तो विभाग बहुत-सी अनएकाउन्टेड ऑफ प्रोपर्टी पर टैक्स से वंचित हो जाता और लाखों रुपए की देय टैक्स में गड़बड़ हो जाती।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डिनेन्सेज को लेकर इस सदन में जो कुछ भी चर्चा हुई है वह तीन प्रकार की थी। एक तो यह कि जो ऑर्डिनेन्सेज जारी किए गए हैं, उनकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरे बहस के दौरान जो ऑर्डिनेन्स पास किया गया उनकी धाराओं के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले की चर्चा हुई। तीसरे खास तौर से इस आर्डिनेन्स को जिस समय निकाला, जयपुर में जौहरियों की तलाशी और उनकी बहियां पकड़ी गई, उसको लेकर चर्चाएं हुईं। मैं पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो ऑर्डिनेन्स निकाले गये थे और वह ऑर्डिनेन्स इसलिये निकाले गये थे--राज्य सरकार की यह नीति है कि जहां तक हो सके ऑर्डिनेन्स कम निकालती है। माननीय सदस्य इसकी तसल्ली करना चाहते हैं तो देश की प्रत्येक प्रान्त की धारा सभायें और सरकारें हैं। उनके दौरान में कितने आर्डिनेन्स निकालती है और हमारे यहां धारा सभा सत्र में न हो फिर हम कितने ऑर्डिनेन्स निकालते हैं, इसको कम्पेयर कर लें- तमाम भारतवर्ष के पैमाने पर, तो उनको तसल्ली हो जायगी। राज्य सरकार की नीति ऑर्डिनेन्स कम से कम निकालने की रहती है जब हमारे यहां इसको धारा सभा ने पास किया है, धारा सभा ने बनाया है और जब वह कानून हाई कोर्ट या सुप्रीम

(श्री मथुरादास माथुर)

कोर्ट में जाता है और उसकी कोई धारा रद्द कर दी जाती है। उस कानून के जरिये जो कुछ हम कर पाये हैं या जो कुछ हम करना चाहते हैं और जब धारा सभा का अधिवेशन नहीं होता है तो हम आर्डिनेन्स निकालते हैं इसलिए यह कहना कि राज्य सरकार आर्डिनेन्स के जरिये से ही शासन करना चाहती है, यह बिलकुल गलत है। खास तौर से ये दो आर्डिनेन्स जो सेल्स टैक्स का कानून इस सदन में पास किया गया था, पारित किया गया था–कुछ टैक्निकल ग्राउन्ड्स पर। अब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी समझा गया। एक आर्डिनेन्स खास तौर से जिसका जिक्र किया गया है और हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तारपूर्वक चर्चा की, मैं उनसे सहमत हूं। हमारे यहां सन् 1965 में खास तौर से जयपुर शहर के अन्दर–इतना बड़ा शहर है–इतने हजारों की तादाद में ऐसेसी हैं कि एक आदमी काम नहीं कर सकता इसलिये सर्किल बनाये जाते हैं और उस सर्किल के आधार पर ऐसेस करते हैं। 5 जून, 1965 को नोटिफिकेशन निकालते हैं और जब 5 जून, 65 को कमिश्नर ने देखा तो उन्होंने एक शिड्यूल बनाया उसमें लिखा है–

"Areas of this jurisdiction have been called Jaipur Circle a, b, c as mentioned in the Notification of Schedule IV.

अब शिड्यूल के अन्दर पहले उपाध्यक्ष महोदय, नाम दिये हुए थे–

पहला कालम यह है कि–Name of Commercial Tax Officer C. T. O.

दूसरा एरिया–Area of jurisdiction, the whole of Municipality area of Jaipur city......

तीसरा कालम है–Name of the Circle-Jaipur Circle A-

इस तरह का एक गजट में नोटिफिकेशन छापा किया गया। इस बात को चेलेन्ज किया गया कि जिस टैक्सेशन कमिश्नर का नाम लिखा था उसका तबादला हो गया, उस आदमी का तबादला हो जाने के बाद जो नया आदमी आया, उसका ट्रान्सफर ऑर्डर निकल गया–गवर्नमेंट से। अब वह अपने नाम से वापिस नोटिफिकेशन निकाले, यह किस तरह से चेलेन्ज किया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से कोटा से आने वाले माननीय सदस्य से कि नोटिफिकेशन में ए. बी. सी. लिखा है। अब हाई कोर्ट ने कह दिया वह फैसला मान लिया गया। मैं कहता हूं कि उस नोटिफिकेशन में ए. बी. सी. आदि डिटेल्स दिये हैं। अब ऑफिसर का नाम नहीं लिखकर जो सी. टी. ओ. है वह हो जायगा इतनी सी बात चेन्ज करनी पड़ेगी उसको रेगूलराईज करना माननीय सदस्य भी चाहेंगे इसलिये ऑर्डिनेन्स लाकर इसको ठीक किया गया। यह आर्डिनेन्स खास तौर से

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : आर्डिनेन्स जब निकाला तो 5-6-65 से बाद की कार्यवाही...

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सम्बन्धित अधिकारियों ने 5 जून, 65 से पहले ऐसेस नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसेसमेंट किया होगा। मैं निवेदन करता हूं आप सुन लीजिये। 5-6-65 से हमारा यह नोटिफिकेशन चैलेन्ज हुआ है। मेरी तो यही धारणा थी कि यह नोटिफिकेशन ठीक था, लेकिन हाई कोर्ट की धारणा है इसलिये मानना पड़ेगा। दूसरा मैंने एक क्लाज आर्डिनेन्स में रखा है। ज्युरिसडिक्शन के मामले को लेकर–आज ज्युरिसडिक्शन को लेकर एसेसमेंट कर लेते हैं और ऐसेसी ने रकम भी अदा कर दी। हमने टैक्स की रकम ले ली, अब 3-4 साल बाद ज्युरिसडिक्शन के मामले को चेलेन्ज करें तो उसके लिये भी परेशानी है और राज्य-सरकार के लिये भी परेशानी है। ज्युरिसडिक्शन का सवाल तो 30 दिन के अन्दर ऑथोरिटी के सामने ऐसेसी रखे तो उसका फैसला हो जाता है। 10 साल गुजर जाने के बाद कहें तो उसको चैलेन्ज नहीं कर सकते कोर्ट आॅफ ला में। हमने बिल के रूप में यह आपके सामने रखा है इसलिये आज के दिन कोई यह नहीं कह सकता कि राज्य सरकार ने जुल्म किया है। कानून के मामले में बाल की खाल खींची जा रही है, यह बात नहीं है। हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया है तो उसको ठीक किया जाता है। सदन की मंशा से सर्किल बनाये जायं और ऐसेसमेंट किया जाय तो अब नोटिफिकेशन के शिड्यूल के अन्दर हमने ए. बी. सी. आदि और मोहल्लों के नाम भी लिखे हैं। अधिकारियों के नाम भी लिखे हैं। यह सिम्पल मेटर है, इसमें इतनी दलील और तकरीर की बात नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह पहला मौका नहीं है जब इस प्रकार से फेस करना पड़ता है। हाई कोर्ट के जजमेंट के पहले रेवेन्यू कोर्ट का रिमान्ड दिया हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है, पहला मौका नहीं है। कोई न कोई इन्टरप्रिटेशन में कोई क्लाज ऐसा होता है जिसमें हाई कोर्ट एक बात कहता है और सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात कहता है। धारा सभा कानून बनाती है, तब धारा सभा के सब सदस्य उसमें शामिल होते हैं। हाई कोर्ट की नजर में अगर कोई दूसरी बात होती है तो उसको ठीक किया जाता है। मैं आॅर्डिनेन्स को बिल के रूप में लाया हूं। बहुत टैक्निकल बात है। इसमें मुद्दे की कोई बात नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : जो हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, क्या उसको कानून के रूप में चाहे जैसे बदल सकते हैं?

(3 म. प.)

श्री मथुरादास माथुर : हाई कोर्ट के फैसले को जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला है हमने माना है और इसीलिए हम आॅर्डिनेन्स लाये हैं।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 22 (6) के बारे में कहा गया है। मैं कहना चाहता हूं यह क्लाज केवल राजस्थान में ही नहीं यह धारा पूरी ऐसी की ऐसी राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान के कई सूबों के अन्दर इस तरह की धारा थी। हम जब भी कानून बनाते हैं किसी प्रांत की कानून की धारा को देखकर ही उसकी भाषा को हमारे प्रांत के अनुकूल परिवर्तित कर उसको अपना लेते हैं। यह धारा तमाम प्रांतों के कानून में है उसके अनुसार हमारे अधिकारी मकान में, दुकान में जाकर तलाशी ले सकते हैं, गुड्स कोनफिस्केट क

(श्री मथुरादास माथुर)

सकते हैं। इस प्रकार की धारा सभी कानूनों में रखी जाती है जिसकी वजह से ग्रसेसी व्यापारी सैल्स टैक्स की चोरी नहीं कर सकता। अन अकाउन्टेड फार जो गुड्स है वह अकाउन्ट फार कर दे और जो अन अकाउन्ट फार है वह कोनफिसकेट नहीं हो तो उसकी जगह पेनेल्टी की धारा रखी हुई है। दूसरी जगह पर इसी प्रकार का सैल्स टैक्स कानून है जिसके अन्तर्गत अगर माल कोनफिसकेट न हो तो चार पांच गुना पेनेल्टी वसूल करने का प्रावधान है इन व्यू ग्राफ कनफिसकेशन। लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा सेल्स टैक्स ड्यू नहीं हुआ। मद्रास में जब यह कानून चेलेन्ज हुआ तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उसी प्रकार यहां पर हाई कोर्ट ने जिसको ठीक माना सुप्रीम कोर्ट ने ज्वेलर्स के केस में कहा कि जब माल बिका ही नहीं तो बिक्री कर ड्यू कैसे हो गया। जस्टिस कानसिंह ने जो फैसला किया चीफ जस्टिस ने उस फैसले का अनुमोदन कर दिया।

जब हम पेनेल्टी इम्पोज नहीं कर सकते तो कोनफिसकेट भी नहीं कर सकते इसलिए हमें ग्रार्डिनेन्स बनाना पड़ा। पेनेल्टी हम माल की कीमत की चार गुना कर सकते हैं यह पेनेल्टी की मेग्जीमम लिमिट है।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इस पोईन्ट पर एग्री किया। हमने उसको कन्सीडर कर लिया है। एक तो यह कहा कि 'Any person' पर्सन के लिए यह कहा गया कि इसमें तो फोर्थ क्लास सर्वेन्ट भी आ सकता है। उनको Any person पर एतराज था उसकी जगह हमने यह कर दिया है कि टेक्सेशन डिपार्टमेंट का इन्सपेक्टर ए. सी. टी. ग्रो., सी. टी. ग्रो. तक कर दिया हैं। हमने कोर्ट के फैसले के अनुसार एड्जस्ट कर लिया है।

दूसरी उन्होंने कहा है तलाशी के रूल्स बने हुए हैं, माल के सीज करने के सिलसिले में रूल्स बने हुए हैं, वे क्रिमीनल प्रोसीजर कोड के अनुसार होने चाहिये। इस क्लाज में जो प्रावधान रखा गया है वह उसी के अनुसार होगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं जब तक कानून में माल को सीज करने के या तलाशी लेने के प्रावधान नहीं होंगे तो सैल्स टैक्स की चोरियां नहीं रुक सकेंगी। हिन्दुस्तान के अन्दर जितने भी कानून है उनमें जिस प्रकार के प्रावधान हैं उसी प्रकार के प्रावधान हमने रखे हैं। इसके रूल्स बनायेंगे उसके साथ साथ सी पी. सी. के तरीके के रूल्स एडाप्ट करके रूल्स बनायेंगे। आज के दिन तक जहां तक मेरा खयाल है चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों यह सब मानेंगे कि दोनों जो ग्रार्डिनेन्स बने थे वे जनहित में बने थे। बिना इस प्रकार के कानून के सैल्स टैक्स वसूल नहीं हो सकता। ऐसी सूरत के अन्दर ये दोनों आर्डिनेन्स जो निकाले गये वे ठीक निकाले गये। आपने जो एक्ट पास किया है उसको ध्यान में रखते हुए जो रास्ता निकल सकता था उसी के आधार पर दोनों आर्डिनेन्स मिला कर बिल के रूप में पेश किया गया है। सदन यह भी नहीं चाहेगा कि सैल्स टैक्स की चोरी हो जिनके घर में माल रखा हुआ है और वह बहियों में दर्ज नहीं है तो उसका हिसाब मिलना चाहिये। ज्वेलर्स के केस में यही हुआ था राज्य सरकार को इस केस में पूरी इत्तला

(श्री मथुरादास माथुर)

थी कि फलां फलां तारीख को विदेशी परचेजर आने वाले हैं इसमें इन्टरनैशनल रेपुटेशन का सवाल नहीं है इस तरह के व्यापारी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जयपुर के नाम को बदनाम करते हैं। अगर इस तरह से माल बिकता है तो सेल्स टैक्स की चोरी होती है कस्टम और इन्कम टैक्स की चोरी होती है। इस बात की सूचना सरकार को थी उसी सूचना के आधार पर अधिकारियों ने विदेशी खरीददार की उपस्थिति में उस माल को जप्त किया है। माल को सीज किया गया, वहियां सीज की गई और उन पर चिप्पी लगा दी गई। वह माल अगर उनकी बही मे दर्ज है तो वे बता दें उसका हिसाब बता दें माल बिक गया है तो उसका सेल्स टैक्स हम दे दें तो सरकार चलाने वाले इतना ही चाहते हैं।

एक फर्म का नाम लेकर कहा गया कि इस फर्म के मालिक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या जनसंघ के होते तो क्या पकड़ लेते और जब कांग्रेस के हैं तो इसमें राजनीति कहां से आ गई। मुझे तो इस बारे में मालूम तक नहीं था अफसरों के पास में शिकायत आई उन्होंने अपने तौर पर कार्यवाही की। हाई कोर्ट में सेल्स टैक्स की चोरी का मामला नहीं गया। हाई कोर्ट में तो केवल टेक्निकल मामले पर बहस हुई। उस माल का असेसमेन्ट किया जा रहा है कोई भी आदमी उसमें इनवोल्वड होगा उसके खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी कानूनी कार्यवाही होगी वह की जायगी। मैं इसकी मेरिट पर और ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि यह मामला सब-जुडिस है जब तक मामला पूरा हो जाय असेसमेन्ट की रकम वसूल करेंगे यह कार्यवाही चल रही है।

तीसरा इस मामले के बारे में सियासत डालने की कोशिश की गई मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं जो भी राज्य सरकार कदम उठाती है उसमें सियासत के बारे में कोई नहीं सोचता। भीलवाड़े के बारे में माननीय सदस्य ने बातें कहीं उसके बारे में हम सतर्क हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं जो चोरियां होती हैं उन सबको न तो पुलिस पकड़ सकती है और न पकड़ी जा सकती है। इसी प्रकार सभी टैक्स के इवेड करने वाले पकड़े जायें यह भी संभव नहीं है फिर भी हम भरसक कोशिश करते हैं, वे पकड़े जायं। सेन्ट परसेन्ट परफोरमेन्स किसी डिपार्टमेन्ट का हो नहीं सकता। आपने नाम बताये हैं उनकी पूरी जांच की जायगी। जहां तक जयपुर के जौहरियों के धन्धा करने का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहता हूं हम यह चाहते हैं कि जयपुर का जवाहरात का धन्धा खूब पनपे इसमें ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगें, जयपुर की ख्याति जवाहरात के क्षेत्र में खूब बनी रहे, जौहरियों के जितने भी डिपूटेशन्स मुझसे या मुख्य मंत्री जी से मिले है हमने उनकी बात को बराबर सुना है। हमने उनसे कहा है कि आप अपने धन्धे को ईमानदारी से करियेगा आपको जो भी डिफीकल्टी हो राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि उन दिक्कतों को जहां तक राज्य सरकार का संबंध है दूर करने की चेष्टा करती है। उन्होंने अपनी तकलीफों के बारे में जबानी और लिखित रूप में भी दी है उन पर मैं बजट अधिवेशन के दौरान प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमें इस व्यवसाय के साथ या इसका व्यवसाय करने वालों के साथ किसी प्रकार का द्वेष नहीं हो सकता। चाहे उसकी सियासत कोई भी हो, कहीं का भी वह रहने वाला हो, कम से कम ऐसे मामलों में सियासत को न डाला जाय। मैं जोधपुर का हूं इसलिये मैंने ऐसा करवाया, मुझे जयपुर के साथ नफरत है इस प्रकार की बातें हम जिस सियासत में काम करने वाले हैं सोच भी नहीं सकते। हम तो इस तरह की सियासत में पले नहीं जो इस तरह का व्यवहार करें।

श्री मदनसिंह : उनको हाई कोर्ट के आन्दोलन का अनुभव रह गया था।

श्री मथुरादास माथुर : हाई कोर्ट आन्दोलन का संबंध तो वकीलों से था वह जौहरियों से कब था।

हमने कभी इस मामले में सियासत की तौर पर सोचा ही नहीं, न इसमें हमें किसी से द्वेष भाव ही है, न किसी के साथ बदले की भावना है, न इसमें सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है। राज्य सरकार का हमेशा यही ख्याल रहा है और भावना रही है कि हर व्यापारी अपना व्यापार-धन्धा आराम से करे, ईमानदारी से करे और राज्य सरकार का जो वाजिब टैक्स है वह राज्य सरकार को देता रहे। अगर उनके व्यापार में किसी कानून की वजह से या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वे हमसे कहें हम उनको दूर करने के बारे में सदैव तत्पर रहेंगे। इस सदन के लोग बराबर जागरूक हैं और ... प्रकार उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स को अस्वीकार करने का जो प्रस्ताव रखा है उसको वापिस ले लेंगे ऐसी आशा है और फिर जो बिल मैं प्रस्तुत करूंगा उसको पास करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दो नम्बर की बहियां पकड़ी हैं। तो क्या सरकार इस बारे में आश्वासन देगी कि इस सारे मामले की सही ढंग से जांच करवाई जावेगी और जिन व्यक्तियों के नाम जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने लिए हैं उनके बारे में भी यह आश्वासन देगी कि जिनके भी नाम से रकम जमा है, चाहे वह राज्य का बड़े से बड़ा मन्त्री हो कोई हो, उसकी अपने इन्टेलीजेन्स विभाग से या सी. आई. डी. विभाग से पूरी तरह से जांच करवायेगी।

श्री मथुरादास माथुर : दो नम्बर की बहियां पकड़ी गई हैं या नहीं, वे तीन नम्बर की हैं या एक नम्बर की हैं यह सब मामला असैसिंग ऑथोरिटी के पास है वह जांच करके जो फैसला करेगा, सामने आवेगा। मुझे पता नहीं किसके नाम हैं, किसके नहीं। न मैंने बहियां देखी हैं, न यह बहियां देखना मिनिस्टर का काम ही है। न इसमें दिलचस्पी है, यह उसी का काम है जो असैस करता है। उसकी अपील रेवेन्यू बोर्ड तक होती है। कानून और नियम बने हुए हैं। कानून और नियम के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या आप सेल्स टैक्स के लिए व्यापारी से कोई कम्प्रोमाइज करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : अब इसमें सेल्स-टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। न उनको मैं कोई आदेश दे सकता हूं। कानून के द्वारा सारी व्यवस्था बनाई गई है जिसको आपने निर्मित किया है और गवर्नर महोदय ने अपनी स्वीकृति दी है, उसी कानून के अनुसार सारी कार्यवाही होगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : जैसा आपने कहा कि बकाया जिनमें है उन पर छापा मारेंगे तो मैं जानकारी चाहूंगा कि आपने जो अमेण्डमेंट किया है उसके बाद क्या सरकार ने और उसके विभाग ने उस अधिकार को लेकर कहीं और जगह पर छापे मारे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : आर्डिनेन्स के पहले कानून था। बाद में हाई कोर्ट के फैसले को देखकर आर्डिनेन्स निकला। अब अगर यह क्लॉज 22 (6) निकल जाता है तो फिर जो सारे पावर निकल जाते हैं। डिपार्टमेंट ही ठप्प हो जाता है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बिल आज विचाराधीन है। इससे पूर्व हाई-कोर्ट का फैसला हुआ। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जैसा आप चाहते हैं आर्डिनेन्स इस सम्बन्ध में निकला। मैं जानना चाहता हूं कि आपने 22 के सब-क्लाज को लेकर जो आर्डिनेन्स जारी किया और अधिकार लिए उन अधिकारों के तहत आपने क्या उन पावर्स को एक्सरसाईज किया?

श्री मथुरादास माथुर : हां, सैकड़ों केसों में किया। राजस्थान में रोज इन्सपेक्टर्स इसका उपयोग करते हैं। यह क्लाज हट जाती है तो सारा विभाग पंगु हो जाता है। राजस्थान की सारी सेल्स टैक्स की मशीनरी ही बिल्कुल ठप्प हो जाती है। आज इन अधिकारों के तहत सैकड़ों नहीं हजारों केसों में कार्यवाही हो रही है इन्सपेक्टर और अधिकारी जिन जिन को अधिकार हैं वे काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। जो संकल्प माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गालाल बाड़दार, श्री विजयसिंह रावत, श्री कृष्ण कुमार गोयल ने रखा है उस पर निर्णय।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 1967 को प्रख्यापित राजस्थान बिक्री कर संशोधन और वैधकरण अध्यादेश सन् 1967, अध्यादेश संख्या 2 सन् 1967 को अस्वीकार करता है, जो संकल्प के जो पक्ष में हों वे हां कहें। जो विपक्ष में हों वे ना कहें।

(हां एवं ना की आवाजें)

मेरा अनुमान है कि ना पक्ष जीता।

इसको चुनौती नहीं दी जा रही है न?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : दी जा रही है। डिविजन कराएंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : इससे उपाध्यक्ष महोदय, यह तो फर्क पड़ेगा कि बाकी में जो सोते हैं वे आ जावेंगे।

श्री मथुरा दास माथुर : उधर वाले भी आ जायेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उधर ज्यादा हैं, इधर तो थोड़े हो हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उधर वाले ही कम।

(विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 1967 को प्रख्यापित राजस्थान बिक्री कर संशोधन एवं वैधकरण अध्यादेश, सन् 1967 अध्यादेश संख्या 2 सन् 1967 को अस्वीकार करता है। जो पक्ष में हों वे "हां" कहें जो विपक्ष में हों वे "ना" कहें।

मेरा अनुमान है कि ना पक्ष जीता।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 67 को प्रख्यापित राजस्थान बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 67 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1967) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान (बिक्रीकर (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, 68) को विचारार्थ लिया जावे

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में अब तक जितनी दलीलें सदन में प्रस्तुत की गई हैं उनको दुबारा दुहराने की तो आवश्यकता है नहीं। मैंने माननीय वित्त मंत्रीजी का उत्तर नहीं सुना इसलिये दिक्कत है मेरे लिये कि किनका जवाब दे दिया गया है और किनका नहीं।

पर फिर भी इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इन आर्डिनेन्सों के द्वारा जिस प्रकार का आचरण करती है, उसको हमेशा के लिये नहीं रोका जा सकता और न रोकने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की एक प्रवृत्ति रही है कि वह विधान सभा से किसी न किसी प्रकार से बचकर निकल जावे और यह जो प्रवृत्ति है सरकार की यह बुद्धिमानी की प्रवृत्ति नहीं है बल्कि मैं इसको कमज़ोरी और कायरता की प्रवृत्ति समझता हूं। इस सदन में बारबार विश्वास दिलाया जाता है कि अबकी बार इतने आर्डिनेन्सेज नहीं आवेंगे लेकिन जब भी मौका आता है सरकार हमेशा आर्डिनेन्स का सहारा लेती है। तो इस संबंध में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जो कि सरकार विधान सभा से बचाना चाहती है। एक जनतांत्रिक सरकार का यह सबसे बड़ा फर्ज है और उसकी एक तरह से योग्यता का सबूत है कि वह हर मामले को विधान सभा में लावे और उससे पारित करावे और जो यहां बहस हो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई निर्णय ले। लेकिन होता यह है कि सरकार पहले फैसला कर लेती है और बहुमत के आधार

(श्री रामकिशन)

पर उसको कानूनी रूप दे देती है। लगातार सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है, सरकार को इसके लिये ताड़ना दी है लेकिन यह सरकार ऐसी बिलक्षण सरकार है कि न तो उसके ऊपर ताड़ना का असर होता है और न किसी बात का। केवल उसकी छोटी मोटी प्रशंसा होती है तो उससे वह प्रसन्न हो जाती है लेकिन जो निन्दा के काम हैं और दूसरे ऐसे ही काम हैं उसके बारे में न तो ज्ञान ही लेती है, न विवेक लेती है और न समझ से काम लेती है। जहां तक इस अध्यादेश का ताल्लुक है जो कि बिक्री कर के संबंध में है मैं समझता हूं कि उसके ऊपर हम काफी रोशनी डाल चुके हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिक्री कर अधिकारियों के लिए जो अधिकार दिये जाते हैं यह अधिकार उनको दिये जायें क्योंकि कोई भी अधिकारी बिना अधिकारों के कोई काम नहीं कर सकता लेकिन सवाल यह है कि जो सरकारी कर्मचारी जो बिक्री कर अधिकारी गलत काम करे उनको दण्डित करने के लिये क्या प्रावधान है? हर कानून में हम छूट दे देते हैं कि अधिकारी की हैसियत से जो वह काम करेगा उसके लिये उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि ईमानदारी से किया हुआ कर्म समझा जायेगा। लेकिन जो आज हिन्दुस्तान की हालत है और 20 सालों में जो गिरावट आई है अभी एक प्रश्न के संबंध में कहा गया था कि करप्शन एक इन्डस्ट्री बन गयी है और यह भी कांग्रेस के एक मेम्बर ने कहा और कांग्रेस में आने के बाद उन्हें ऐसा अनुभव हुआ है और मैं समझता हूं कि नया और ताजा अनुभव प्रमाणिक होता है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अधिकारियों के बारे में लगातार कहा जाता है कि बुरे इरादे से काम करते हैं और मैं भी यह बात कोई हर अधिकारी के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन अधिकांश अधिकारी जो बुरे इरादे से काम करते हैं उनको रोकने के लिए आपने क्या किया है? यह लोकतांत्रिक सरकार है। यह कोई तानाशाही सरकार तो है नहीं कि जो चाहे आचरण करे। इसे जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। लेकिन हालत यह है कि हम असीम अधिकार देकर किसी भी तरह के अधिकार चाहे वह चैकिंग के हों, चाहे असेसमेन्ट के हों असेसमेन्ट सही नहीं तो उनके ऊपर पैनल्टी लगाने का अधिकार इन सब अधिकारों को लेकर मैं कोई चुनौती नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनता के मन में यह कैसे बैठे कि सरकार के जो अधिकारी काम कर रहे हैं वह शुद्ध आचरण से कर रहे हैं? हमें जानकारी है कि टैक्स वसूल करने के लिए असेसमेन्ट के लिए जोर नहीं दिया जाता है बल्कि दूसरे ही कारण होते हैं असेसमेन्ट करने में कितना हो कितना नहीं। इसके पीछे राजस्व का बढ़ाना ही हमारी भावना नहीं होती जितने व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा होती है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एक प्रकार का आचरण तो कर रहे हैं। सरकार के खजाने में वृद्धि हो जिससे योजना के लिए धन प्राप्त हो जाये। हम उस तरह के लोग नहीं हैं जो कि सरकार के हर कामों की आलोचना करें लेकिन जनमानस में जो बात बैठ गयी है कि राजनैतिक कार्यकर्त्ता और सरकार के कर्मचारी ईमानदारी का आचरण नहीं करते बल्कि दूसरे उद्देश्यों के लिए आचरण करते हैं उसको रोकने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? इन्सपैक्टर तक को अधिकार दे दिये

(श्री रामकिशन)

हैं। मैं किसी इन्सपेक्टर या कमिश्नर में फर्क नहीं समझता आचरण के मामले में। दोनों आचरण के मामले में तो बराबर हैं। जो समाज की हालत है और देश की हालत जिस तरह के हालात मुल्क में हैं उसमें अधिकार इन्सपैक्टर्स को नहीं देने चाहिए। चेकिंग के जिस प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं उससे करप्शन ज्यादा बढ़ जावेगा और सरकार की आमदनी कम हो जायेगी। उसके लिए ऐसे अधिकारी हों जिनकी आर्थिक क्षमता ज्यादा हो। क्योंकि यह विभाग ऐसा है कि जिसका आर्थिक संबंध असाधारण लोगों से है क्योंकि कुदरत की बड़ी भारी देन है। तो मैं सरकार से यह चाहूंगा कि इस तरह के अधिकार जो दिये जा रहे हैं उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी और करप्शन में वृद्धि होगी। आप इस मामले पर विचार करें।

दूसरे इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जिसका हिसाब नहीं होगा या जो अनअकाउन्ट होगा उस पर पैनल्टी लगेगी और वह पैनल्टी अधिकारी ही तय करेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो तरह के व्यापारी हैं। एक तो बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके पास पैसा है लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे भी व्यापारी हैं जो छोटे हैं और गरीब हैं और जिन्हें अपना भरणपोषण करना भी मुश्किल होता है। कुछ व्यापारी निश्चित तौर पर इस देश में ऐसे हैं कि जो टैक्स की चोरी करते हैं और चोरी करना वह कोई पाप नहीं समझते बल्कि चोरी करना वह अपना हक समझते हैं और यह कहते हैं कि हमने सरकार की आंखों में धूल झोंक दी और वह अपने आप को बुद्धिमान् बताते हैं। जो भ्रष्ट व्यापारी समाज है, जो टैक्स की चोरी करता है, जो बड़े लोग हैं और जो सरकार को धोखा देते हैं उनके लिए जो आप आचरण करें वह करे लेकिन उनकी वजह से जो हजारों गरीब व्यापारियों पर असर पड़ने वाला है जो मुश्किल से अपना भरणपोषण कर पाते हैं उनका क्या बनेगा ? यह कभी हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सोचा है ? मैं समझता हूं कि उन्होंने सोचा है। कुछ जौहरी और जवाहरात के व्यापारी हैं। राजस्थान में सब जौहरी ही नहीं हैं। राजस्थान में सब अनाज के ही बड़े व्यापारी नहीं हैं। इसमें छोटे छोटे लोग भी हैं और जिन अधिकारों को विधेयक के द्वारा लेने जा रहे हैं उसका सभी लोगों के ऊपर असर पड़ेगा।

इसके अलावा इस विधेयक में यह भी प्रबन्ध किया गया है कि अधिकारी जब किसी चीज को पकड़ेगा या जप्त करेगा तो उसकी कीमत का निर्धारण भी वही करेगा। क्या उसका तरीका होगा कोई प्रेस्क्राइब्ड तरीका नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अधिकारी किसी चीज की कीमत हजार भी लगा सकता है क्योंकि उसके पास कोई नियम और उप-नियम नहीं हैं। अगर अधिकारी किसी पर नाराज होगा तो हजार रुपये की चीज की कीमत 10 हजार लगा देगा और उसकी 20 परसेन्ट पैनल्टी बहुत बड़ी हो जायेगी और इससे छोटे लोग ज्यादा शिकार बनेंगे। हम किसी व्यापारी की वकालात नहीं करते बल्कि हम समझते हैं कि सरकार के जितने ज्यादा गलत आचरण होंगे हम उसका फायदा उठायेंगे। हमारी स्थिति साफ है। हम तो चाहते हैं कि राजकाज की स्थिति सुधरे और कानून की मान्यता और सम्मान

(श्री रामकिशन)

मिले। उसके लिए आवश्यक है कि जो इस तरह के अधिकार आप देते जा रहे हैं उनका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उससे आप उनको बचाइये। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप किसी पर नाराज है या नहीं। हमारा तो मतलब साफ है कि राजस्व कैसे बढ़े। हम राजस्व बढ़ाना चाहते हैं और हमारे दिमाग में यह है कि जो छोटे व्यापारी हैं या बड़े हैं उनको गलत ढंग से तंग नहीं किया जावे और हमने यह भी देखा है कि आप यह सारे मामले लेकर हाई कोर्ट में गये हैं ऐसी बात नहीं है। जैसा मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने इस संबंध में निवेदन किया था कि राजस्व मण्डल भी गये और उसके बाद में जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने सम्मति भी दी, यह सब चीजें आपके सामने थीं। जब कोई नियम और कानून नहीं है तो फिर पैनल्टी किस बात की है? आप पुराने समय की पैनल्टी वसूल करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि संविधान के विपरीत आप आचरण कर रहे हैं। पिछले समय की पैनल्टी आप नहीं लगा सकते इसका प्रावधान संविधान में किया हुआ है तो आप संविधान को तोड़ रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, मर्यादाओं को भी तोड़ रहे हैं और इस तरह का आचरण करते जा रहे हैं जैसे एक एकतन्त्री सरकार हो जिसको कि न तो विधान सभा के सामने आना पड़ता है और न किसी के प्रति जिम्मेदार होती है, जिसको कि ईश्वर से अधिकार मिला हो और राज्य करने आगये हों। वह स्थिति तो आपकी है नहीं। आपकी स्थिति तो संविधान, मर्यादाओं और परम्पराओं से बन्धी हुई है इस हालत में जो कुछ अधिकार आप लेने जा रहे हो उन अधिकारों का दुरुपयोग ज्यादा होगा, सदुपयोग होगा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी चीज भी इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण यह रहता है कि राजस्व में वृद्धि हो, लेकिन सरकार के राजस्व की वृद्धि इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि टैक्स ज्यादा लगा दें, सरकार के राजस्व की वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कर्मचारी जनता के मन को जीतें। कर्मचारियों को लोग एक तरह से जैसा कि माननीय सतीशचन्द्रजी ने कहा डकैत न समझें। जनता यह समझे कि वह जो पैसा लिया जा रहा है उसका दुरुपयोग होगा। वह जो पैसा दे रहे हैं वह देश की योजनाओं में इन्वेस्ट किया जायगा और उसका रिटर्न चाहे ढाई पैसा हो, मिल जायगा। इस तरह की प्रवृत्ति इस मुल्क में पैदा करनी चाहिए। आपके सरकारी अधिकारियों का तो हाल यह है, मैं एक दो मिसाल इसलिए नहीं देना चाहता कि उक्त कर्मचारी से मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी हो, मैं अभी कुछ दिन पहले बीकानेर गया। बीकानेर में कोई एक सिंघवी साहब लगे हुए हैं, पी. सी. सिंघवी। इनकी हिस्ट्री बड़ी अजीब है। इसी सदन में कई बार यह सवाल उठा था। ये बीकानेर में मजिस्ट्रेट थे तो इनका सजा देने का तरीका भी अजीब था। जिन मामलों में जमानत का अधिकार था उसमें वारन्ट निकाल दिया। बार एसोसियेशन ने इनकी शिकायत की। वहां के जज ने इनके प्रति शिकायतों की जांच की और इनके बारे में रिमार्क लगाया कि इनको हटा देना चाहिए। इसके अलावा कई इस तरह के काम किये कि कई अपराधियों की मूंछें मुंडवा देते है, सिर मुंडवा देते हैं। इस तरह के काम

(श्री रामकिशन)

करने वाले ये अधिकारी हैं जो कि बीकानेर में बैठे हुए हैं। जो मजिस्ट्रेट की हैसियत से काम करेंगे वही सेल्स टैक्स ऑफिसर की हैसियत से कर रहे हैं। बीकानेर जाने पर दो-तीन मामले मुझे ऐसे मालूम हुए कि इन पर किसी खास सीमा के बाद सेल्स टैक्स नहीं है तो किसी व्यापारी पर एसेसमेंट करते वक्त उस पर ढाई हजार का टैक्स लगा दिया। उसके बाद अपील की गई और अपील में उसको रिमाण्ड कर दिया तो उन्हीं अधिकारी ने बाद में फैसला दिया, तो उसके ऊपर 20 हजार असेस कर दिया। रिमाण्ड इसलिए किया गया था कि असेसमेंट अनुचित है और कम होना चाहिए उसको दुबारा ठीक करें लेकिन उस पर 20 हजार का टैक्स एसेस किया गया और उस टैक्स के आधार पर पैनाल्टी दुगुनी लगाने का फैसला कर दिया। ये ऐसे महाशय हैं। इनके व्यक्तित्व से मुझे नाराजगी नहीं है और न मुझे जानकारी है। बीसों सवाल इनके बारे में इस सदन में उठाए गये हैं, कई बार इस तरह की जानकारी की गई ट्रान्सफर किया गया था मजिस्ट्रेट की हैसियत से और उसकी एन्क्वायरी होने लगी तो इनको हटा दिया और फलौदी भेज दिया। ये पांच साल रहे मजिस्ट्रेट बीकानेर में और वहां से जुडिशियरी से ट्रान्सफर करवा कर सेल्स टैक्स ऑफिसर बन गये। उनको अपने पुराने कर्मों का फल मिला और यहां उन्होंने फिर नये कर्म शुरू कर दिये। वह क्यों कर दिये? मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी से उनको जान-पहचान गहरी और गम्भीर हो गई है इस रूप में न कि दूसरे रूप में। मुझे जानकारी मिली है कि चन्दा इकट्ठा हो रहा है जोधपुर के एक कालेज के लिए जो कि बाबू मैमोरियल कालेज है। उसके लिए चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है। आप कहते हैं कि इस चन्दे में 100) रु० दो और जो व्यापारी नहीं देता है तो उसके बही-खाते और रजिस्टर मंगा लेते हैं और फिर उससे कहते हैं कि 500) रु० दो। कांग्रेस के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सरकार के अधिकारियों का इस तरह से दुरुपयोग न करें। अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो इस समय इस देश में भी लोग ऐसे बैठे हैं जो सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करना अपने आइडियल में समझते हैं। अगर वे आगये तो आपकी स्थिति खराब हो जायगी और आप रोने लगेंगे और आपकी सुनेगा कोई नहीं। तो जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार जिन अधिकारियों को दण्ड मिलना चाहिए जो कि इस तरह के आचरण करते हैं उसके बजाय उनको राजनैतिक कारणों से प्रोत्साहन मिलता है। इससे टैक्स की वसूली कैसे होगी, लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे? लोग कहते हैं कि मंत्री जी की जान-पहचान का है, कोई कहता है कि उप-मंत्रीजी से जान-पहचान है। सामाजिक लोग हैं जान-पहचान होना खराब बात नहीं है। मैं केवल उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि जान-पहचान मत रखो। सामाजिक व्यक्ति हैं उनको जान-पहचान भी होगी, उनके रिश्तेदार भी होंगे, दोस्त भी होंगे, दुश्मन भी होंगे, इन सब स्थितियों को हम स्वीकार करते हैं....

एक माननीय सदस्य : उत्तरप्रदेश में आपके होंगे।

श्री रामकिशन : हमारे हैं इसलिए सरकार छोड़ कर चले गये। हमारे मंत्रियों ने

(श्री रामकिशन)

मंत्री पद नहीं चाहा और छोड़ दिया। व्यक्तिगत दोस्ती और दुश्मनी के लिए राज्य की सीमाएं और मर्यादाएं रखनी होंगी। दुनियां में दूसरी जगह के राज्य हैं वहां भी मर्यादाएं रखी जाती हैं। जान-पहचान का मतलब यह नहीं कि सरकारी अधिकारी कितना ही गलत काम करे–किसी को मूछें मुंड़वा दे, किसी के बाल कटवा दे, जिसको सजा देना है उसको छोड़ दे, और जिसको छोड़ना हो उसको सजा करा दे। सारी शिकायतें हाई कोर्ट में गईं, बार कोन्सिल ने शिकायतें कीं लेकिन फिर भी उनको वहां इसलिए रखा है कि माननीय वित्त मंत्री जी से उनकी कोई जान-पहचान है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन इससे जनता में राज्य का प्रभाव कम होता है, कांग्रेस की निष्ठा कम हो इस बात की हमें चिन्ता नहीं है, लेकिन सरकार की निष्ठा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो हमेशा रहेगी। सरकार के बारे में इस तरह की मान्यता बन जाय, ऐसी स्थिति खराब हो जाय कि दण्ड के लिए कोई कानून नहीं, प्यार के लिए कोई सीमा नहीं, आचरण के लिए कोई मोहब्बत नहीं। आज जो यह हालत पैदा हो रही है यह इन सब 20 सालों के आचरणों का परिणाम है।

तो मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो अधिकार आप लेना चाहते हैं लें और जिन जौहरियों ने चोरियां की हैं भले ही उनसे ज्यादा लें और जितना खींच सकते हैं खींचें और चोरी करने वालों को राजदण्ड भी मिले और आर्थिक दण्ड भी मिले, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके आधार पर दूसरे लोगों को तंग करने का अधिकार दे रहे हैं. कर्मचारियों को उनके निराकरण के लिए जनता को आप क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? हर दिन नये-नये अधिकार लिये जाते हैं, लेकिन जैसे ही कानून पास हो गया उसके ऊपर आपके अधिकारी आचरण करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी किस पर? लोकतान्त्रिक व्यवस्था के कारण उसकी जिम्मेदारी हमारे पर है, आपके ऊपर है, सदन पर है। हर तरह से लोग शिकायतें करते हैं उनका निराकरण हो। जो असर वाले हैं, प्रभाव वाले हैं, वे बढ़िया जगहों पर रहेंगे। सेल्स टैक्स से हटायेंगे तो मजिस्ट्रेट बनेंगे और मजिस्ट्रेट से हटेंगे तो सेल्स टैक्स ऑफिसर बनायेंगे और जिसकी जान-पहचान नहीं है उसको जैसलमेर में किसी ब्लाक का विकास अधिकारी बना कर भेज दें, हालांकि ब्लाक ऑफिसर और इनकी तनख्वाह बराबर है।

जो कुछ कराया जा रहा है, जो कुछ अधिकार लिये जा रहे हैं इस अमेंडमेंट के द्वारा उन अधिकारों का इन्हीं मामलों में सरकारी अधिकारी दुरुपयोग करते हैं और उनका सदुपयोग बहुत कम हो पाता है। जिन जौहरियों को पकड़ने की बात आप कह रहे हैं, एक-दो आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की बात करने जा रहे हैं, यह हो सकता है कि आपने पकड़ने की कोशिश की हो सब को, लेकिन पकड़ में एक-दो ही आये। तो इस तरह की आशंका है, क्योंकि इस वक्त देश जिस संकट में से गुजर रहा है, राजस्थान जिस संकट में से गुजर रहा है, कोई भी देशभक्त टैक्स-विरोध, टैक्स की चोरी की बात नहीं करता है और न उसको सुनना पसन्द करेगा, लेकिन आपके आचरण इस तरह के हैं कि जनता टैक्स नहीं देना चाहती

(श्री रामकिशन)

है। सरकार लोगों का विश्वास तो प्राप्त करे। लोगों से कहते हैं कि त्याग करो, तपस्या करो, ईमानदारी से रहो भले और सज्जन आदमी बनो, गीता और भागवत में उपदेश हैं उस तरह के उपदेश मैंने मंत्रियों के मुंह से सुने हैं लेकिन उनके खुद के आचरण कैसे हैं यह देखने की बात है, वाणी और कर्म साथ साथ नहीं मिलेंगे तब तक वाणी की कीमत नहीं होगी आज भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आपने जो दो अमेन्डमेन्ट किये हैं उनमें से पेनल्टी नैतिक आधार पर नहीं है। किसी तरह से पेनल्टी इम्पोज कर नहीं सकते। जब आप पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते तो इस तरह का गलत काम क्यों करते हो, अपनी आत्मा को क्यों कलंकित करते हो? आप इन्सपेक्टर्स को इस तरह के अधिकार देना चाहते हैं उसका बेसिस क्या है? जिसके लिये बेसिस नहीं है वे अधिकार देना अन्याय है। इस प्रकार के सेल्स टैक्स अधिकारियों का पूरा ढांचा है। आप समझते हैं कि पहले जिस तरह से पुलिस बदनाम थी उससे भी बढ़ कर सेल्स टैक्स अधिकारी बदनाम हैं। आपको तो ऐसे बदनाम महकमों का काफी अनुभव है। पहले पुलिस विभाग भी आपके पास रह चुका है। दूसरा यह बदनाम महकमा भी आपके पास है। यह निकम्मे और अवसरवादियों का केन्द्र बन रहा है। आप यदि व्यापारियों से पैसा लेना चाहते है तो लीजिये, लेकिन सही ढंग से लेंगे तो मैं यहीं नहीं बल्कि सदन के बाहर भी आपका पक्ष लूंगा और जनमत को आपके पक्ष मे बनाऊंगा। लेकिन जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, केवल आरोप ही नहीं बल्कि संगीन आरोप है उनको आपको दंड देना चाहिये। वसे आप खुद खरीद फरोख्त के चतुर व्यापारी हैं लेकिन इस परंपरा से क्या राज्य चलते हैं? आप आज गर्व अनुभव करते हैं कि हम कांग्रेस सरकार चला रहे हैं। आगे बैठने वालों से तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन ऐसे भी हैं जो आपकी तरह के नहीं हैं। अपने ही क्षेत्र में भूतपूर्व मुख्य मंत्री, मत्स्य राज्य के वे भी आज आपको सहयोग दे रहे हैं, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि गलत आदमियों के साथ बैठना भी अपराध है। उदयपुर वालों पर मेरा जोर नहीं चलता, जोधपुर वालों पर भी मेरा जोर नहीं चलता लेकिन मत्स्य राज्य के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे तो मैं कह सकता हूं इसका तो मुझे कम से कम अधिकार है। ऐसे आदमियों के साथ बैठकर तो आप अपना स्वर्ग खराब करोगे। स्वर्ग या नर्क है या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जब मैं उधर की तरफ दौरे पर गया था तो लोग कह रहे थे कि पहले तो आप भले थे लेकिन अब धीरे धीरे बुरे हो रहे हैं। मत्स्य के लोगों के दिल में आपके प्रति एक तरह की धारणा थी कि आप लड़ाकू हैं लेकिन चरित्र के मामले में लोगों की अच्छी धारणा थी। वित्त मंत्रीजी ने तो 20 सालों में बड़े बड़े खेल खेले हैं लेकिन आप इनके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई राजनैतिक कारण नहीं है बल्कि अच्छी तरह से विवेचन करके देखें कि जो कठिनाइयां आने वाली हैं उनके लिये क्या व्यवस्था करने वाले हैं? जब तक आप दो चीजें नहीं करते तब तक इस तरह के 20 विधेयक पास करलें तो भी आमदनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि जिस तरह से चरित्र गिराया गया है उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब

(श्री रामकिशन)
तक काम नहीं चलेगा। वित्तमंत्रीजी खरीद फरोख्त में होशियार हैं लेकिन हैं डेमोक्रेटिक इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि जल्दबाजी नहीं करें; पहले लोगों की राय जानलें फिर शान्ति से चिन्तन और मनन करके इसको फिर से लावें। इसलिये मैं इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री नहीं बन सके......

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको क्या तकलीफ है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं आर्डिनेन्स के बाद में विधेयक के रूप में लाया गया है उसके बारे में कई तरह के एतराज आये और माननीय रामकिशनजी ने प्रस्ताव रखा कि इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। मेरी भी भावना यही है। यह जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है वह अपने आप में अपूर्ण है और इसमें कई बातें और एड की जायं जिससे हमारा यह विधेयक परिपूर्ण हो सके, इसमें कमियां नहीं रहें। जैसे आगे चल कर अधिकारियों के जुरिस्डिक्शन का अधिकार हैं काम करने के सम्बन्ध में तथा व्यापारियों को हैरेसमेन्ट होता है, या टैक्स इवेड करते हैं उनके बारे में प्रावधान का प्रश्न है जिसके संबंध में बातें विधेयक में आ जायं तो अच्छा है इसलिये मैंने भी प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जैसे जुरिस्डिक्शन का प्रश्न है, आपने अधिकार लिया कि 30 दिन के बाद जुरिस्डिक्शन के संबंध में प्रश्न नहीं उठा सकते, इस प्रकार की रोक किसी भी कानून में नहीं है। जुरिस्डिक्शन का प्रश्न किसी भी स्टेज पर उठाया जा सकता है, किसी भी स्टेज पर सुना जा सकता है। अमुक आदमी को या अधिकारी को सुनने का अधिकार है या नहीं यह प्रश्न किसी भी स्टेज पर उठाया जा सकता है। इस प्रकार की रोक कानून में लगाई जाय तो यह उचित नहीं होगा। मंत्रीजी इस सम्बन्ध में विशेष तौर से ध्यान करें और जुरिस्डिक्शन के प्रश्न पर रोक नहीं लगाई जाय, ताकि कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड है वह किसी स्टेज पर प्रश्न उठा कर फायदा प्राप्त कर सकता है।

दूसरा निवेदन यह है कि धारा 22 की तहत सेक्शन (4) में जो वेलिडेशन ऑफ एक्शन्स टेकन बाइ सरटेन कॉमर्शियल टैक्सेज ऑफिसर्स यह जो पोइन्ट लाया गया है, सन् 5 में यह एक्ट आया उस के बाद थोड़ी देर पहले ऑर्डिनेन्स के बारे में हुई बहस में बताया गया था कि ... से 67 तक जिस प्रकार की बातें यहां की गई हैं सेलिंग ऑफ दि प्रोपर्टी के संबंध में, अन अकाउन्टेड प्रोपर्टीज के संबंध में या एसेसमेन्ट ऑफ टैक्स के संबंध में जो बातें कही गई हैं, वेलिडिटी में शंका है तो इस कानून के द्वारा वेलिड करार दे दिया जाय इस प्रकार का वेलिडेशन का प्रावधान रखा गया है। मैं समझता हूं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
जो भी पुराने इल्लीगल एक्ट हैं उनको कानून के द्वारा लीगल करार दे दें इस प्रकार का प्रोविजन करके इल्लीगल अधिकारियों को इस प्रकार का अधिकार देकर वेलिड कराते हैं तो यह उपयुक्त नहीं होगा और जो कार्यवाही है लीगल या इल्लीगल है जिसके संबंध में कोई आदमी कानून के द्वारा स्वतंत्र होगा, वह किसी स्थान पर, किसी कोर्ट में चेलेन्ज कर सकता है तो इस प्रकार से ऐसे प्रावधान को रख कर उनको उनके अधिकारों से वंचित करना मेरे खयाल से कान्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा और उपयुक्त नहीं होगा।

इसके साथ साथ यह बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि टैक्सेज का इवेजन हो रहा है। जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि यहां के व्यापारियों को टैक्सेशन डिपार्टमेन्ट वाले बड़ा हैरेश करते है और उनसे किसी प्रकार का पैसा प्राप्त नहीं करते बल्कि उनके कागज पकड़ते है, सामान पकड़ते हैं और उसके बावजूद भी राज्य सरकार को आमदनी नहीं होती है, तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी प्रावधान एक्ट में बनाया जाय उससे ऐसा प्रावधान हो कि कोई भी आदमी टैक्स इवेज कर रहा है वह सिकंजे से बच नहीं सके। हो यह रहा है कि जितने व्यापारी हैं, रामकिशनजी व्यापारियों की हमदर्दी कर रहे थे, जो व्यापारी पैसे वाले बन गये, पैसे वाला ईमानदार हो नहीं सकता।

श्री मदनसिंह दांता: चाहे मंत्री ही हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास: कोई भी हो पैसा बिना बेईमानी के इकट्ठा हो नहीं सकता। जो व्यापारी धधा करके काफी पैसा कमाता है उसके बाद भी सेल्स टैक्स नहीं देता है तो वह गुनहगार है। और अगर जाते है तो इस प्रकार जाते हैं जैसे सप्ताह में एक दफा टूरिंग ड्यूटी हुई, इस प्रकार तमाम दुकानों पर जाते हैं मैंने देखा है कि सेल्स टैक्स ऑफिसर गांवों में दुकानों पर जाते हैं। और वहां से दस रुपये, पांच चार रुपये जो भी उनके बंधे हुए है, वह ले आते हैं और वहां पर चक्कर लगा आते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेल्स टैक्स की सीमा में आते नहीं है, जो कोई धन्धा नहीं करते और केवल खेती बाड़ी करते हैं, उनके घर पर कपास, मक्का, जौ, चना जो कुछ भी पड़ा हुआ होता है उसके लिए भी यह अधिकारी बराबर जाते हैं और धौंस धपट बतला कर उनसे पैसा वसूल कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे गांव में सुनार होता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सुनारों की खिलाफत तो छोड़ो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो सेल्स टैक्स की सीमा में आते है लेकिन उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगता है······

श्री रामकिशन : क्या अंगूठी बनवाई थी जिसका पैसा नहीं दिया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : और जो इस प्रकार के लोग हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं और व्यापार या कोई धन्धा करते नहीं उनके पास जाकर आपके सेल्स टैक्स अधिकारी और इन्सपेक्टर और दूसरे लोग उनको बराबर हैरेस करते है, उनको परेशान करते हैं। मैंने पिछली साल भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था कि हमारे यहां भीलवाड़ा के अन्दर एक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स ग्राफिसर था, वह छुट्टी में था, लेकिन उसके बावजूद उसने गांवों में ही हजारों रुपया इकट्ठा कर लिया। लेकिन उसके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई।

श्री रामकिशन : वह तो कर ले आये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब मैंने उसके बारे में मंत्री महोदय से कहा तो मंत्री महोदय ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे और उसको सजा दिलवायेंगे। लेकिन उस मामले में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। इससे लोगों का हौंसला बढ़ता है और इस कारण अधिकारी पैसा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जो सरकार के खजाने में जाना चाहिए, जो सरकार को आय होनी चाहिए वह पूरी नहीं हो पाती है। मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी ऐसे हैं, जिनको आप करप्ट पायें, जिनके खिलाफ करप्शन की शिकायत हो उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए और दोषी पाये जाने पर उनको सजा होनी चाहिए। इसके अलावा अभी जैसा मैंने आपको कहा कि एक सुनार की बहियां पकड़ी गई...

श्री रामकिशन : क्या अंगूठी का पैसा ले लिया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसमें सेल्स टैक्स की काफी रकम बकाया है। मैंने इस सम्बन्ध में पिछली बार भी कहा था और जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे और आपने यह कहा था कि मैं जांच कराऊंगा। जैसा आपने पिछली साल आश्वासन दिया उसी प्रकार का आज भी आश्वासन दे देंगे। मेरा निवेदन यह है कि इस आदमी की पूरी जांच पड़ताल हो और यदि वह टैक्स का इवेजन करता है तो वह सजा पायेगा और यदि जिस अधिकारी ने इसको पकड़ा है वह इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो दोनों के लिए निवेदन करना चाहता हूं, न तो मैं उसके खिलाफ हूं और न उसके खिलाफ हूं। यदि सरकार की आय खत्म होती है और जो पैसा सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए वह जमा नहीं होता है तो चाहे वह लखपति बनिया हो या कोई हो उसको सरकार को चैक करना चाहिए। मैं तो यहां तक निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स एक्ट में आप इस प्रकार का प्रावधान कर दीजिये, जिसके द्वारा आप एक इकट्ठी रकम व्यापारियों के लिए बांध दीजिए। जो एक लाख का धन्धा करता है उससे इतना पैसा लिया जाएगा और जो दो लाख का धन्धा करता है उससे इतना पैसा लिया जाएगा। इससे एक तो सेल्स टैक्स का इवेजन नहीं होगा और जो पैसा सरकार में जमा कराया जाना चाहिए वह जमा हो जायगा। आज होता क्या है कि सेल्स टैक्स के ऑफिसर लोगों को तरह तरह से तंग करते हैं और दूसरी तरह वह डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और फोटोकेट हिसाब रखते हैं, किताब रखते हैं और उनकी किताबों की सही जानकारी नहीं मिलती है, और सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी में परिवर्तित होकर जमीन में दब जाता है। इससे न तो नेशन को फायदा होता है और न ही जो पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये जिस प्रकार का विकास हम करना चाहते हैं उसके काम में आ पाता है। आज हमारे यहां जितना टैक्स लगाया जाता है, अगर आप दूसरे प्रान्तों के मुकाबले

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

में देखेंगे तो यहां के टैक्स का बोझा हल्का है, राजस्थान का दूसरे प्रांतों के स्तर से नीचे दर्जा आता है। फिर भी टैक्सेशन का पार्ट हम पे जो कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा ऊंचा है। उसके बावजूद जो इन्कम हो रही है वह थोड़ी है इसलिए उसकी तरफ तवज्जह देकर जो टैक्स इवेडर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर उनको टैक्स इवेड करने से रोकना चाहिए चाहे उनके लिए आपको फौज रखनी पड़े, चाहे पल्टन रखनी पड़े, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

आज जयपुर के जौहरियों के बारे में यहां पर लम्बी चौड़ी पैरवी की गई। मैं समझता हूं कि जवाहरात के सम्बन्ध में काम होता है उससे देश को आमदनी कम से कम होती है और बिना टैक्स दिए हुए, बिना टैक्स चुकाए हुए वह बाहर स्मगल हो जाता है। इसलिए इससे देश को फायदा नहीं है। इसलिए हमको ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे यहां का व्यापार बढ़े और उसके साथ साथ राज्य सरकार की आमदनी बढ़े ताकि उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा डेवेलपमेंट स्कीम में लगा कर इस देश का जल्दी से जल्दी डेवेलपमेंट कर सकें। इसलिए सैल्स टैक्स के जो अधिकारी हैं उनका यह मुख्य कर्त्तव्य हो जाता है। उनका बड़े बड़े से आदमी से ताल्लुक पड़ता है और गरीब से पड़ता नहीं है। उनको बड़े बड़े आदमी बड़े सहज तरीके से इन्फ्लूएन्स करते हैं, वह सोफिस्टिकेटेड तरीके से, अच्छे तरीके से मान मनुहार करके, राजी करके जो बड़ी बड़ी रकम निकलती है उनके खिलाफ उसको वह दबवा रखते हैं। इसलिए आपको इस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए कि जो राज्य सरकार की आय है उसको बिना नुकसान के और सहूलियत से प्राप्त कर लें। मेरा निवेदन है कि हमें इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए। इससे उनसे सारा का सारा पैसा वसूल होकर हमको मिल सकेगा।

इसके साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जो टैक्स की बकाया है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कुछ कहा है। यह टैक्स की बकाया है वह छोटे छोटे आदमियों के खिलाफ नहीं निकलती है, यह बड़े बड़े आदमियों के खिलाफ निकलती है जो हमारे अधिकारियों को इन्फ्लूएन्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लूएन्स कर सकते है और वह लोग अपनी बकाया को किसी तरह वसूल नहीं होने देते। मेरा निवेदन है, जो बकाया है उनको तेजी के साथ और तेज रफ्तार के साथ वसूल करना चाहिये और खास तौर से इस तरह की बकाया को, जैसे मोटर टैक्सेशन है, यह आपका पैसेन्जर टैक्स है। मैं आपको कहता हूं कि यह पैसेन्जर टैक्स है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स इवेजन हो रहा है। इसके लिए पहले भी निवेदन किया कि इसके सम्बन्ध में इस प्रकार के स्ट्रांग स्टेप लें तो इससे जो बहुत बड़ी आय हमको हो सकती है उससे हम वंचित नहीं रहेंगे और हमारा जो भी प्रोग्राम है टैक्सेशन के सम्बन्ध में वह कामयाब हो सकता है। यह लोगों को अखरे भी नहीं यदि जिनसे पैसा मिलना चाहिए उनसे मिले। इसमें किसी प्रकार की बात नहीं। चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे जयपुर का जौहरी हो, चाहे करोड़पति हो, बिड़ला, टाटा हो • •

श्री मदनसिंह दांता:—उदयपुर के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : उदयपुर में करोड़पति नहीं है इसलिए कह रहा हूं। जयपुर में हैं। वैसे जयपुर में हैं या जिस स्थान पर जहां भी हैं उनमें जो टैक्स का पैसा है वह सरकार को मिले उसको लेकर हम राष्ट्र की आमदनी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोत्तरी करें तो विकास के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–श्री रामानन्द अग्रवाल!

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत!

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर सिंह!

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांवों से ही आ रहा हूं और जिन गांवों से आ रहा हूं उनमें छोटे छोटे व्यापारी बहुत रहते हैं और दुर्भाग्य से वह लोग लिखे पढ़े नहीं हैं। उनको जब जाकर बहियां वगैरह पकड़ते हैं और फिर वहां जो कुछ होता है उसको देख कर मुझे बड़ी पीड़ा होती है···

श्री उपाध्यक्ष : पढ़े लिखे नहीं हैं तो बहियां कैसे रखते हैं?

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनके हिसाबात व्यवस्थित नहीं होते। वह अटकल पच्चू काम चलाते हैं, उनका हिसाब होता है वह व्यवस्थित हिसाब नहीं होता, हिसाब होता नहीं पूरी तरह से। इन्सपेक्टर वगैरह चाहे कहते हों कि यह चोरी है। लेकिन जो चोरियां कहते हैं और उनकी चोरियों को जो दबाते हैं या उनमें और कुछ करते हैं वह किस श्रेणी में आता है–यह उनको ही सोचना है।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उन पर जो लगाना है वह एक साथ लगा दीजिये। उनका तीन साल का, चार साल का औसत देख लीजिये, वह देख कर लगा दें तो न तो उन्हें वकील रखना पड़ेगा और न और दिक्कत होगी। इससे उनको सहूलियत हो जायगी। यह कर दीजिये कि इससे अधिक होगा तो टैक्स लिया जायगा फिर भले ही उसमें छोटे व्यापारी आते हों। आप निश्चित रूप से चोरियों को मत दबाइये। वास्तव में आज सरकार को पैसे की जरूरत है इसलिए बड़े बड़े व्यापारी जो टैक्स की चोरी करने के रास्ते निकालते हैं उनको ठीक तरह से दबाने की कोशिश करिये। चोरियां किसी प्रकार से प्रकट हों इसकी कोशिश करिये। यह आपका संकल्प हो जाय। इसके अलावा आपके जो इन्सपेक्टर और ऑफिसर जाते हैं–मैं नहीं कहता कि सब लोग ही गलत काम करते हैं लेकिन अधिकांश अधिकारी बहुत गलत काम करते हैं। इसकी वजह से गांवों में पीड़ा हो रही है। इस पीड़ा से किस तरह मुक्ति मिल सकती है इसके लिए आप रास्ता निकालें ताकि छोटे छोटे व्यापारी, जो सचमुच पीड़ा पा रहे हैं, को राहत मिल सके। आज जो भी वह चीज खरीदते हैं उसमें उन्हें टोटा हो रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। इधर से इन पर और मार पड़ती है क्योंकि वह व्यवस्थित हिसाब नहीं रख पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि छोटे व्यपारियों को किसी प्रकार राहत मिले–इसके लिए आप कोई न कोई रास्ता निकालें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री !

(4 म. प.)

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आर्डीनेन्स के सिलसिले में जो बहस हुई थी उस पर मैंने आर्डीनेन्स और बिल के क्लाजेज पर अपने विचार रखे थे। अभी बिल जो विचाराधीन है उस पर दो माननीय सदस्यों ने विचार रखे। मैं उन सब दलीलों को दोहराना मुनासिब नहीं समझता जो पहले मैं कह चुका हूँ। जहाँ तक इस बिल की धाराओं का सम्बन्ध है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो कानून पहले इस धारा सभा ने बनाया था और हाई कोर्ट ने जो क्लॉज 22 के सब-क्लॉज 6 के बारे में फैसला दिया, हाई कोर्ट ने इस बिना पर, टैक्स ड्यू होने के बाद में, फैसला दिया, वह आपने पढ़ा होगा इसमें क्लॉज 22 के सब-क्लाज 6 में कहा है :

"Such amount not exceeding four times the tax which would be due on such goods as may be determined by such authority or person"

तो उन्होंने कहा टैक्स विच विल बी ड्यू, सैल्स हुई नहीं, टैक्स हुआ नहीं तो उसका फोर टाइम कैसे। इस बात को लेकर यह धारा दर्ज की गई। अब जो वाकई मन्शा धारा सभा की थी जो पुराना कानून था इस मन्शा को लेकर कानून बनाया। उस वक्त असेसिंग ऑथोरिटी जो सैल्स टैक्स ड्यू है उसे तय करके फोर टाइम निकलता था। अब उस रकम को करना पड़ेगा जो टैक्स ड्यू बनने के बाद होता है। यहां इसका यूज किया गया है। कानून में यह कायदा है, एनी पर्सन लिखने का, लेकिन हाई कोर्ट में यह दलील दी गई कि एनी पर्सन में तो क्लास फोर भी कर सकता है। इसलिए एनी पर्सन की व्याख्या की गई. इन्सपेक्टर करता है, सी. टी. ओ. करता है, ए. सी. टी. ओ. करता है, जो बिल में मौजूद है। हमारे पास अधिकार है, सी. टी. ओ., कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर वह आर. ए. एस होता है, उसके बाद ए. सी. टी. ओ. है और उसके बाद इन्सपेक्टर है, इनसे काम करा सकते हैं और इसकी व्याख्या कर दी है इस बिल के अन्दर। इसलिए मैंने, उपाध्यक्ष जी, जो बिल में धारायें रखी हैं, यह वही धारायें हैं जो पुराने कानून में हैं जो इस सदन ने पास की हैं, उनको ही रखा है, उसमें घटाव बढ़ाव नहीं। इसलिए मैं यह सोचकर चलता हूं कि सदन इस बिल को पारित करेगा।

अब प्रश्न पैदा होता है, इसमें धारायें वही हैं जो पहले कानून में थीं, अब जो तब्दीली आई है, जो सुधार आया है इसको अमल में लाने के लिए तो जो दलील दी गई है बिल को विचारार्थ लेने के समय जो दलील दी गई है, वह यह कि ज्यादातर लोगों के साथ सख्ती होगी, लोगों पर, छोटे व्यापारियों पर तो हमने इस बात की कोशिश की है कि छोटे व्यापारी पर जिसका टर्न ओवर 20 हजार तक है, उस पर जब तक वह मैन्युफेक्चरर नहीं है यह लागू नहीं होता। इसलिए जो, देहातों में छोटे व्यापारी हैं, या पटरी पर बैठने वाले है, ठेले वाले हैं, फेरी वाले हैं- इनके लिए जो कहा जाता है और जो बात सुझाई जाती है- वह सब इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। अब जो व्यापार करते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं और छोटे भी हैं- लेकिन स ब

(श्री मथुरादास माथुर)
व्यापारियों के लिए धारणा कर लेना कि सब बदमाश ही होंगे, उचित नहीं होगा, और सब ठीक होंगे, यह धारणा कर लेना भी ठीक नहीं होगा। समाज का जो रिफ्लेक्शन है वह हम देखते हैं। राज्य सरकार की यह कोशिश रहती है कि कानून का मकसद पूरा हो। अब हमारे यहां पर जो बहुत बड़ा अमला है, करीब एक लाख असेसीज हैं, इन वर्षों में मेरे ख्याल से 5 हजार असेसीज हर साल बढ़ जाते हैं। कुल एक लाख असेसीज हैं। एक लाख असेसीज का काम करने वाले इन्सपेक्टर, ए. सी. टी. ओ., सी. टी. ओ.–करीब तीन सौ, साढ़े तीन सौ काम करते हैं अलग अलग सर्किल में। काम बड़ा पेचीदगी का है। व्यापारी की बहियों में से टैक्स के इवेजन को पकड़ लेना–यह अपने आप में, स्वयं में समझने की बात है। हमारे अधिकारी लोग काम करते हैं। इसमें कहीं कहीं पर इवेजन भी हो जाता होगा, कहीं सस्पेन्ड हो जाता होगा। अमूमन हम लोगों से टैक्स वसूल कर लेते हैं, टैक्स का इवेजन नहीं होने देते। इसलिए आप देखेंगे कि राजस्थान के टैक्स की इन्कम है वह दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में सेल्स टैक्स के ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं है और न कम है, मध्यम में आते हैं . . . .

श्री रामकिशन : तीन राज्यों को छोड़ कर।

श्री मथुरादास माथुर : मगर फिर भी हमारा जो टैक्स रेवेन्यू राजस्थान के बजट के टाइम पर आपके सामने रखते हैं, उसको बराबर तीन चार साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिये, हम करीब करीब हमारे एस्टीमेट तक पहुंच जाते हैं। अगर 20 करोड़ की आमदनी रखी है तो 19 करोड़, 20 करोड़ साढ़े 19 करोड़ की आमदनी हो जाती है। उससे कहने का हौसला होता है कि टैक्स इवेजन का जितना हल्ला करते हैं उतना नहीं है। अगर यह कहें कि टैक्स इवेजन नहीं है तो यह भी नहीं माना जा सकता। लेकिन एवरेज औसतन, जो काम करने वाले ऑफिसर हैं, वह जो रुपया टैक्स में रखते हैं, और जो मंजूर करते हैं वह वसूल कर लेते हैं।

अब रहा सवाल एरियर का यह कहा जाता है कि एरियर बड़े लोगों से लिया नहीं जाता है। जो डिपार्टमेंट है सेल्स टैक्स का वह 19 करोड़ सेल्स टैक्स में वसूल करता है और अभी पौने तीन करोड़ रुपया एरियर में है, यह पौने तीन करोड़ रुपया अगले साल का नहीं है, चार-पांच साल का है, कुछ केसेज में हाईकोर्ट से, रेवेन्यु बोर्ड से स्टे हो गया, कुछ केसेज में कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर के पास अपील वगैरह पैंडिंग हैं, इसलिए एरियर निकला हुआ है। कुछ मामलों में स्टे निकले हुए हैं। कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिनमें फिक्टीसिअस कम्पनी होती है, जिसका पता नहीं चलता है, तो यह दो करोड़, ढाई करोड़ है, सेल्स टैक्स में दो करोड़ है और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, पैसेन्जर्स टैक्स–यह सब मिला कर यह फिगर है जो मैंने बताया। मैं कह सकता हूं कि हमारा डिपार्टमेंट एरियर की वसूली काफी करता है। कई जगह से शिकायत आती है कि डिपार्टमेंट की वसूली नहीं करते हैं, कई जगह से और शिकायत आती है। हमने कोशिश की है। हमारा टर्न ओवर 20 करोड़ का होता है और टोटल एरियर दो करोड़ का है सेल्स टैक्स का, जो चार-पांच साल का ड्यू है। कई लोग तो मर गये हैं, कई

(श्री मथुरादास माथुर)
फर्मों का पता नहीं. कई में स्टे ग्रार्डर होगये हैं, इन सब बातों को देख कर, दो करोड़ की रकम को देख कर जो हमारा 20 करोड़ का ग्रसेसमेंट होता है तो ज्यादा रकम नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि दो करोड़ भी नहीं रहें। मैं कोशिश करूंगा, जो मामले पेंडिंग हैं, ऐसे मामलों में बराबर कोशिश करूंगा कि एरियर वसूल किया जाय। जो टैक्स ग्रसेस करते हैं उनमें इवेजन नहीं हो। ग्रगर शिकायत होती है तो ग्राफिसर की जांच करते हैं, इन्क्वायरी करते हैं ग्रौर सस्पेन्ड भी होते हैं ग्रौर कार्यवाही की जाती है। इसके बावजूद इन मामलों में लम्बा समय लगता है।

भीलवाड़ा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने न जाने किस केस का जिक्र किया। लास्ट सैसन में भी उन्होंने कहा था, यह उन्होंने बताया। लेकिन पूरे 12 महीने तक उन्होंने जिक्र नहीं किया। ...

श्री मनोहर सिंह मेहता : सुनार से पीड़ित हैं।

श्री मथुरा दास माथुर : उन्होंने यह भी कहा कि मैं जांच करके बताऊंगा कि क्या कार्यवाही की गई है। उन्होंने नाम बताया। लेकिन यहां नाम बता देने ग्रौर एक जनरल बात कह देने से इन्क्वायरी नहीं कर सकता। वह नाम ग्रौर पूरी डिटेल्स बता देंगे तो हम जांच करेंगे। इस सदन के सदस्य जानते हैं कि जब कभी कोई ऐसा मामला ग्राया है तो उसकी जांच करके सूचना दी है। ग्राप डिटेल्स दें कि इस मामले में हैरेसमेंट हो रहा है, तो वह चाहे बड़े व्यापारी पर हो या छोटे व्यापारी पर हो-उस पर कार्यवाही करेंगे।

एक बात ग्रौर कह दूं। यह कानून केवल जौहरियों से सम्बन्धित नहीं है। यह राजस्थान के व्यापारियों के लिए है। जौहरियों का एक काम्प्लेक्स बन गया है। इसको लेकर यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह जौहरियों के लिए है. यह राजस्थान भर के व्यापारियों के लिए है। मैं निवेदन करूंगा कि जो पहला कानून था, उसके बारे में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया एक टैक्निकल मामले को लेकर उसको ठीक कर दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा, यह केवल जौहरियों का सवाल नहीं है। मैं इस बात को पहले कह चुका हूं ग्रौर दुबारा नहीं कहना चाहता। राजस्थान में जो भी व्यापार करते हैं उन सबको राजस्थान में व्यापार करने का ग्रौर बसने का ग्रधिकार है। राजस्थान में यह ग्रधिकार सबको मिला हुग्रा है कि वह ईमानदारी के साथ ग्रपना धन्धा कर सकें। किन्तु इसमें सबके सहयोग की जरूरत है।

मैं ग्रन्त में कहूंगा कि जो बिल प्रस्तुत किया गया है, जो इसमें धाराएं हैं वह पहले के कानून की धाराग्रों को मिला कर बनाई हैं। इसका मकसद है कि जो सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, वह इस दृष्टि से कि सैल्स टैक्स का इवेजन नहीं हो, ग्रौर ग्रच्छी तरह से वह काम कर सके। एक छूट हमने रखी है 20 टाइम्स, 20 पर्सेन्ट की, वह मैक्जिमम है। किसी मुकदमें में ताजीरात हिन्द में सजा है वह सात साल की हो या पांच साल की हो लेकिन सबको सात या पांच साल की नहीं होती। किसी को दो साल की, किसी को 6 महीने की ग्रौर किसी को तीन महीने की होती है ग्रौर किसी में मैक्जिमम भी दी जाती है। तो हर कानून में कोई लिमिट तो रखनी पड़ती है।

(श्री मथुरादास माथुर)

मजिस्ट्रेट को भी डिस्क्रीशनरी पावस हैं, वह कर सकता है, अपील है, रेवेन्यू बोर्ड है, सब चीजें हैं तो इस मौके पर हैरेसमेन्ट की बात नहीं होगी। वरना वैसे हर एक कानून बनता है तो हर ट्रेडर मनमानी नहीं कर सके, उस पर बाधा डालता ही है। दरअसल यह कानून कोई नया नहीं बनाया गया है, पहले ही सदन ने पास किया है, कुछ डाइल्यूट ही किया है, बढ़ाया नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को जो विचारार्थ लिया जा रहा है, इस पर क्लाज बाई क्लाज विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: क्लाज बाई क्लाज तो है नहीं।

अगर कोई माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव वापिस लेना चाहें तो ले लें।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय रामकिशन और श्री गिरधारीलाल व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री रामकिशन : डागाजी ने हाथ क्यों उठाया, हाथ उठाने का क्या प्रोविजन है, यह विधान सभा है या कोई ग्राम सभा है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह विजय का चिन्ह है।

श्री रामकिशन : अब नया नहीं लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी संशोधन विधेयक, 1968 (संख्या 1, 1968) को जो दिनांक 25 जनवरी, 1968 को पुरःस्थापित किया गया था, वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) विधेयक 1968 (संख्या 8, 1968) को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामकिशन : जो संशोधन पहले रखे हैं, वे काम आ जायेंगे न ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे ख्याल से नये लाने पड़ेंगे।

श्री रामकिशन : इतना समय कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1968।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल :

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता : कल लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री मथुरादास माथुर : विचारार्थ पर बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सायं 4.15 पर सदन की कार्यवाही दिनांक 23-2-68 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 205 की सूची देखिये)

नागोर फार्म का विगत दस वर्षों का आयव्ययक विवरण

वर्ष	व्यय	आय	हानि	विशेष-विवरण
1958-59	85,960.67	40,404.32	45,556.35	
1959-60	1,65,834.64	35,912.80	1,29,922.64	
1960-61	1,42,874.24	49,220.45	93,653.79	
1961-62	1.30,287.15	64,891.16	65,395.99	वर्षा की अनिश्चितता के कारण एवं दाने चारे के भावों में उतार चढ़ाव के कारण ही फार्म के व्यय में बढ़ोतरी हुई है।
1962-63	1,07,462.73	68,509 10	38,953.63	
1963-64	1,27,286.73	89,509.08	37,777.65	
1964-65	1,13,246.07	60,12 .48	53,130 62	
1965-66	1,48,498.60	74,919.37	73,579.23	
1966-67	1,91,419,52	52,355.76	1,31,663.76	
1967-68 (माह दिसम्बर तक)	1,11,209.48	46,454.22	64,754.78	

नागोर फार्म पर विगत दस वर्षों में स्थापना मद एवं पशुओं के दाने चारे पर किये गये रुपये का विवरण

वर्ष	स्थापना मद	पशुओं के दाने चारे पर व्यय	विशेष विवरण
1958-59	12,544.73	64,640.00	इस विवरण से स्पष्ट विदित है कि स्थापना मद में अधिक व्यय नहीं हुआ है, बल्कि पशुओं के दाने चारे की व्यवस्था पर ही अधिक व्यय किया गया है।
1959-60	17,367.49	1,44,527.47	
1960-61	15,487.50	1,23,487.50	
1961-62	18,657.49	1,03750.05	
1962-63	17,312.04	84,986.50	
1963-64	22,550.63	87,998.68	
1964-65	20,929.65	79,942.76	
1965-66	27,130.20	99,997.83	
1966-67	29,743.95	1,39,917.53	
1967-68 (माह दिसम्बर तक)	28,320.32	73,633.58	

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न संख्या 216 की सूची देखिये)

निगम द्वारा स्थाई व अस्थाई परमिटों के लिये दिये हुए प्रार्थना-पत्रों की सूची

स्थाई परमिट

क्र. सं. 1	मार्ग का नाम 2	प्रार्थना-पत्र देने की तिथि 3
1.	झुंझुनू–अलवर	18–5–67
2.	भरतपुर–नदबई	30–10–67
3.	गंगानगर–अमोर	7–10–67
4.	आगरा-धोलपुर–ग्वालियर	14–11–67
5	सीकर–दिल्ली	29–12–67
6.	जयपुर–रोहतक	"
7.	उदयपुर–अहमदाबाद	10–12–67
8	उदयपुर–डूंगरपुर	30–6–67
9.	डूंगरपुर–रतनपुर	30–6–67
10.	उदयपुर–रतनपुर	6–7–67
11.	उदयपुर–रिखबदेव	22–8–67
12.	उदयपुर–जोधपुर	"
13.	उदयपुर–बूंदी	"
14.	उदयपुर–ब्यावर–जयपुर	"
15.	उदयपुर–भीलवाड़ा–जयपुर	"
16.	उदयपुर–सिरोही	18–10–67

अस्थाई परमिट

क्र. सं.	मार्ग का नाम	प्रार्थना-पत्र देने की तिथि
1.	बाड़ी–धौलपुर–राजाखेड़ा	24–9–66
2.	जयपुर–गंगापुर–करौली	31–10–66
3.	अलवर–मन्डाना	1–11–66
4	अलवर–भरतपुर	"
5.	अलवर–मथुरा	2–11–66
6.	जयपुर–सिकन्दरा–गोजगढ़	"
7.	जयपुर–दौसा–राजगढ़–अलवर	"
8.	जयपुर–खेतड़ी–कापर माइन्स	22–11–66
9.	जयपुर–टोंक–उनियारा–सवाईमाधोपुर–पाली	6–2–68
10.	जयपुर–सीकर–नवलगढ़	6–2–67
11.	जयपुर-शाहपुरा-नीमका थाना-चिरावा-झुंझुनू	6–2–67

Page No.102

1	2	3
12.	अलवर-शाहपुरा-कोटपुतली-बहरोड़	6-2-67
13.	भरतपुर-बयाना-वैर-भुसावर-महुवा-जयपुर	6-2-67
14.	अजमेर-ब्यावर-टाडगढ़-भीम	"
15.	बसेड़ी-बाड़ी-धौलपुर-राजाखेड़ा	"
16.	जयपुर-सीकर-सुजानगढ़-सरदारशहर	"
17.	जयपुर-खेतड़ी-वाया शाहपुरा, नीम का थाना	5-5-67
18.	जयपुर-कोटपुतली-दिल्ली	"
19.	अलवर-बहरोड़, सिंघाना-चिरावा-झुंझुनूं	2-6-67
20.	जयपुर-महुवा-हिण्डौन-करौली	8-6-67
21.	जयपुर-सांगानेर-फागी-डिग्गी-मालपुरा-टोडारायसिंह-देवली	3-6-67
22.	अजमेर-उदयपुर	6-2-67
23.	उदयपुर-चित्तौड़ (टूरिस्ट मेल सर्विस)	"
24.	उदयपुर-जयसमन्द-सलुम्बर	"
25.	उदयपुर-कांकरोली-चारभुजा-रानी-पाली-जोधपुर	"
26.	उदयपुर-कोटा	14-5-67
27.	उदयपुर-ब्यावर-जयपुर	"
28.	उदयपुर-भीलवाड़ा-जयपुर	"
29.	उदयपुर-सांडेराव-भालाना-जोधपुर	"
30.	उदयपुर-रतनपुर-अहमदाबाद	30-9-67
31.	जोधपुर-नागौर-बीकानेर	2-67
32.	आबूरोड-रेवदार-मनादरा-सरदार शहर-रावतसर	28-4-67
33.	इकलेरा-झालावाड़-झालावाड़ रोड़	27-9-66
34.	बूंदी-केशोराय पाटन	6-12-66
35.	कोटा-नैनवा	"
36.	झालावाड़-मनोहर थाना	"
37.	कोटा-बारां-सालपुरा-इकलेरा	2-67

Page No.103

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची देखिये)

सूची

नगरपालिका नीमकाथाना को भूमि विक्रय से जो आय प्राप्त हुई है उसके व्यय का ब्योरा

1	दी बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर नीमकाथाना में फिक्स डिपोजिट में जमा	1,90,000-00
2.	ऋण पत्र खरीद में लगाये	4,500-00
3.	सेविंग बैंक खाते में जमा	11,000-00
4.	जल विभाग कुंओं पर पम्पिंग सेट फिट करवा कर जनता के पेय जल में खर्चा	20,390-83
5.	तहारत निर्माण में खर्चा	22,914-08
6.	मुआवजा जमीन	9,125-40
7.	नेहरू पार्क में व्यय	7,508-80
8.	ट्रैक्टर का क्रय	20,210-88
9.	ट्रोलियां एवं हाथ गाड़ियों का सामान खरीद	8,871-89
10.	सड़क निर्माण एवं मिट्टी उठाना	1,507-18
11.	कुआं निर्माण व्यय	731-54
12	जीप गाड़ी खरीद	22,111-83
13.	होल सेल भण्डार को ब्याज उपार्जित हेतु कर्ज 9 प्रतिशत ब्याज पर	46,000-00

परिशिष्ट (4)

(समयाभाव के कारण समय म न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

नगरपालिका फलोदी के सदस्य द्वारा अनधिकृत निर्माण

120. श्री दीपचंद लूंगाणी (फलोदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगरपालिका फलोदी के वार्ड नं. 14 से निर्वाचित हरिजन सदस्य श्री दीपाराम मेगवाल ने बिना पट्टे के विना इजाजत के स्वर्गीय सेठ परमसुखदास जो राठी के कुए के पीछे की तरफ से निकलने वाली मलाररोड के बिलकुल पास इमारत बनवाकर अपने पद का बेजा लाभ उठाया है ? अगर हां, तो उसके विरुद्ध व बोर्ड द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण बोर्ड के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

खानपुर-तारज-अरणिया सड़क निर्माण कार्य

221. श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खानपुर-तारज-अरणिया सड़क पर अब तक कितना काम हो चुका है और कितना होना बाकी है ? कृपया रोड माइलेज मय नंबरों के बताने की कृपा करें।

(2) योजनानुसार यह सड़क कब पूरी हो जानी चाहिये थी और अब कब तक पूरी करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) खानपुर की ओर से मील 1 से 8 13 से 24 का कार्य पूरा हो चुका है शेष 4 मीलों में कार्य प्रगति पर है।

(2) 11-9-66 तक पूरा होने की थी आशा हैं, धनराशि प्राप्त हुई तो कार्य 1968-69 में पूरा हो जावेगा।

ग्राम झोटवाड़ा में सी श्रेणी का औषधालय

222. श्री लादूराम बुलानिया (फागी): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 19 जुलाई, 1966 को ग्राम झोटवाड़ा (जयपुर) में तत्कालीन मंत्री महोदय ने ग्राम झोटवाड़ा में एक "सी" श्रेणी का औषधालय खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां तो क्या वहां औषधालय खुल चुका है ? यदि औषधालय खुल चुका है तो किस तिथि को ?

(2) यदि औषधालय नहीं खोला गया है तो क्यों और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(3) क्या निकट भविष्य में सरकार ग्राम झोटवाड़ा में उक्त श्रेणी का औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसी घोषणा की सूचना विभाग को नहीं है। अभी वहां औषधालय नहीं खुला है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) चालू वर्ष में बजट में प्रावधान नहीं है।

कृषि प्रसार अधिकारियों के वेतन में अन्तर

223. श्री जयनारायण सातोदिया (निवाई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने कृषि प्रसार अधिकारी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, और कितने नान-ग्रेजुएट हैं, और उनकी ड्यूटीज में क्या अन्तर है ?

(2) इनको क्या क्या ग्रेड दी जाती है ? क्या यह सही है कि इनके वेतन में अंतर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सच है कि नान-ग्रेजुएट कृषि प्रसार अधिकारियों को पहले स्पेशल पे के 25) रु० माहवार दिये जाते थे और अब नहीं दिये जाते ? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस समय 315 कृषि प्रसार अधिकारी हैं जिनमें से 303 एग्रीकल्चर ग्रेज्यूएट है। अन्य 11 नान-ग्रेज्यूएट हैं और एक केवल ग्रेज्यूएट है। उनकी ड्यूटीज में कोई अन्तर नहीं है।

(2) मोजूदा स्थिति में निम्न दो प्रकार की वेतन शृंखलाएं हैं:--

(शृंखला नम्बर 20) कृषि स्नातकों के लिए 155-10-285-15-435-25-485 न्यूनतम वेतन 175) रु०

(शृंखला नम्बर 14) जो कृषि स्नातक नहीं है उनके लिए 130-5-155-10-205-225-10-275-एस. बी.-295-12½-320।

ग्रेड में अन्तर योग्यता के आधार पर रखा गया है।

(3) यह सही है कि पहिले स्पेशल पे के 25) रु० माहवार दिए जाते थे लेकिन ग्रेड रिवाईज होने के पश्चात् 20) रु० स्पेशल पे बन्द कर दी गई।

ग्राम बडू जिला नागौर को वाटर सप्लाई स्कीम

224. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ग्राम बडू, जिला नागौर में वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर हुई थी और क्या जन सहयोग के रुपये भी जमा करवाये गये थे ? यदि हां, तो यह कार्य अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया है, और कब तक यह कार्य चालू हो जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं, योजना बनाई जा रही है, जी हाँ, उपयुक्त जल स्त्रोत के अभाव में योजना नहीं बनाई जा सकी। कार्य चालू करने के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अभी तक उपयुक्त जल स्त्रोत के अभाव में स्कीम नहीं बनाई जा सकी।

जोधपुर शहर के नागरिकों का हवाई हमलों से नुकसान

225 श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) पाकिस्तान के हवाई हमलों से जोधपुर शहर के नागरिकों का कितना जान

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)
व माल का नुकसान हुआ और सरकार द्वारा इसकी पूर्ति के लिये अब तक क्या क्या किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि क्षतिपूर्ति में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) हवाई हमलों से सरकारी इमारतें कितनी ढह गई थी और क्या वे वापिस ठीक करा दी गई हैं ?

(4) सरकारी नुकसान का क्या अनुमान है ?

(5) नगरवासियों के नुकसान का क्या अनुमान है ?

(सरकार द्वारा स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

सहकारी बैंक झुंझनूं में गबन का मामला

226. श्री देवदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही कि झुंझुनूं सहकारी बैंक में करीब दो तीन लाख रुपया का गबन जो कुछ वर्ष पूर्व हुआ था उसकी जांच पुलिस विभाग व संबंधित विभाग द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो दोनों विभागों की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस जांच रिपोर्ट मे बैंक से संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति अपराधी पाए गए है ? यदि हां, तो कौन कौन व्यक्ति गबन के अपराधी साबित हुए और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने के लिए प्रार्थना की गई)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों का नियुक्तियों में निर्धारित कोटा

227. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार के सभी विभागों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिये निर्धारित 12-1/2 प्रतिशत नियुक्तियों का कोटा पूरा कर लिया गया है ?

(2) यदि नहीं तो किस किस विभाग में नहीं हुआ है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रोमोशन में कोई कोटा निर्धारित नहीं है ?

उत्तर

(1) राज्य की अधीनस्थ (सबोर्डीनेट) मंत्रालयिक (मिनिस्ट्रीयल) एवं चतुर्थ श्रेणी (क्लास IV) वर्ग में रिक्त पदों के आधार पर निर्धारित कोटा पूरा कर लिया है। यद्यपि कतिपय विभागो मे यह कोटा नहीं हुआ है। राज्य सेवा (स्टेट सर्विस मे यह कोटा पूरा नहीं हुआ है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। सरकार द्वारा समय 2 पर इस

(मुख्य मंत्री)
विषय में आदेश प्रसारित किये गये हैं और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि निर्धारित कोटे के अनुसार नियुक्तियां की जांय ।

(3) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(विस्तृत सूचि होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

कृषि फार्म झालावाड़ में केटिल फार्म के निर्माण की रकम

228. श्री लक्ष्मण ताम्बोल (डग-सु.) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिला कृषि विभाग के अंतर्गत चलने वाले कृषि फार्म में एक केटिल फार्म का निर्माण प्रस्तावित था और जब फार्म प्रारंभिक अवस्था में ही था, 29 मार्च, 6 को इसकी पूरी पूरी रकम फुल वाउचर कन्टिजेंट बिल बनाकर ले ली गई ?

(2) क्या यह सही है कि एक अखबार के संवाददाता ने इसकी शिकायत जिलाधीश महोदय से की तथा जिलाधीश महोदय ने इसको जांच का आदेश डी डी.ओ. श्री बिसारिया को दिया जिसमें इससे संबन्धित सारे कागजात जब्त कर लिये गये ? यदि हां तो उस जांच का क्या निर्णय हुआ ।

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि झाला-वाड़ में कृषि विभाग के अन्तर्गत चलाये जा रहे फार्म पर केटिल शेड निर्माण के सम्बन्ध में 30-3-67 को रकम उठाली गयी है ।

(2) जी हां । यह सही है कि जिला-धीश महोदय ने इस संबंध में जांच करने को श्री बिसारिया, उप जिला विकास अधिकारी को दिये थे । श्री बिसारिया ने सम्बन्धित सारे कागजात जब्त कर जांच की और जिलाधीश महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत की । जिस पर जिलाधीश महोदय ने उचित कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को लिखा । चूंकि यह मामला एक अरा-जपत्रित कर्मचारी से सम्बन्ध रखता था, राज्य सरकार ने कृषि निदेशक को मामले में उचित कार्यवाही करने हेतु उचित आदेश दे दिये और कृषि निदेशक ने उप संचालक कोटा को आवश्यक कार्यवाही करने की आज्ञा दे दी है ।

खेतड़ी कस्बे की जल प्रदाय योजना

229. श्री रघुवीरसिंह (खेतड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 2(-1-67 को मुख्य मंत्री जी ने खेतड़ी कस्बे की जल प्रदाय योजना के लिये शिलान्यास किया था ?

(2) क्या यह योजना पहले से बनाई गई थी ? यदि हां, तो कौन कौन से कुओं से जल प्रदाय के लिए पानी निकाले जाने की योजना बनाई गई है ?

(3) इसका कार्य कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

(श्री रघुवीरसिंह)

(4) क्या विभाग द्वारा खेतड़ी कस्बे में कोई पाइप भेजे गये थे ?

(5) क्या यह सही है कि यह पाइप चुनाव खत्म होते ही वापिस उठा लिये गये हैं ?

(6) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने 26 जनवरी सन् 1967 को मौखिक आश्वासन दिया था कि इस जल प्रदाय योजना में नगरपालिका से कोई कान्ट्रिब्यूशन नहीं लिया जावेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश नगरपालिका में भेजा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) योजना बनाई जा चुकी है। योजना के लिये जल स्रोत सिघाना नदी में नल कूप को खोद कर चुना गया है।

(3) योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धी पर कार्य हाथ में लिया जावेगा।

(4) जी नहीं।

( ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) विदित नहीं।

जैसलमेर जिले की सहकारी समितियों की हिस्सा राशि तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना

280. श्री बालसिंह संढा (जैसलमेर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले की अनेक सहकारी समितियों को हिस्सा राशि जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि: में जमा पड़ी है ? यदि हां, तो उन राशियों को राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. की जैसलमेर शाखा में हस्तान्तरित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. के संचालक मंडल ने जैसलमेर जिले की सहकारी समितियों की लेनदारियां देनदारियां का जोधपुर बैंक से दिनांक 30-6-67 के इन्द्राजों के अनुसार प्रस्ताव पास कर हस्तान्तरित करना स्वीकार कर लिया था किन्तु अभी तक हस्तान्तरित नहीं हुआ है ? अगर हां तो क्या कारण है और हस्तान्तरण कब तक होगा ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में केवल जैसलमेर ही एक ऐसा जिला है जहां केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? कृपया यह भी स्पष्ट करायें कि निकट भविष्य में जैसलमेर में सहकारी बैंक कब तक खोला जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, यह सही है कि राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. के संचालक मण्डल ने जैसलमेर जिले की सहकारी समिति की लेन दारियां व देनदारियां को जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. से दिनांक 30-6-67 के इन्द्राजों के अनुसार प्रस्ताव पास कर हस्तान्तरण करना स्वीकार कर लिया था।

(सहकारी मंत्री)

किन्तु यह सही नहीं है कि अभी तक हस्तान्तरण नहीं हुआ है । हस्तान्तरण सितम्बर (7 को पूर्ण हो चुका है ।

(3) जी हां, जैसलमेर जिले में अब तक केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना न होने का कारण यह है कि जिले में सहकारी समिति की संख्या उनकी सदस्यता, हिस्सा पूंजी, अमानतें और उनके द्वारा ऋण वितरण इतना कम है कि स्वतन्त्र केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित करना उचित नहीं है । जैसलमेर मे सहकारी बैंक की शाखा मौजूद ही है किन्तु स्वतन्त्र रूप से सहकारी बैंक खोलने के बारे में कोई समय निश्चित करना कठिन है क्योंकि इस जिले में सहकारिता की प्रगति ऐसी अच्छी नहीं है कि स्वतन्त्र बैंक ठीक प्रकार कार्य कर सके ।

किशनगढ़ में रोडवेज का बस स्टेण्ड

231. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) :

क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(1) किशनगढ़ जनता की तरफ से राजस्थान रोडवेज के बस स्टेण्ड को वर्तमान स्थान से हटाये जाने के लिये पिछले वर्ष में कितने प्रार्थना-पत्र पेश किये ?

(2) क्या यह सही है कि मौजूदा बस स्टेण्ड ग्राम रोड पर है जिसके कारण से अधिक एक्सीडेन्ट होते हैं ?

(3) क्या नया बस स्टेण्ड पुराने पावर हाउस के पास बनाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

उत्तर

(1) 1967 में किशनगढ़ बस स्टेण्ड को हटाये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रार्थनाएं प्राप्त हुई:—

(1) अध्यक्ष किशनगढ़ क्षेत्रिय जन सभा, किशनगढ़-11-9-67

(2) श्री सुमेरसिंह, विधायक किशनगढ़ 21-9-67.

(3) अध्यक्ष नगर पालिका, किशनगढ़ 11-11-67

(4) सैक्रेटरी, किशनगढ़ क्षेत्रिक जन सभा किशनगढ़ 13-11-67

(2) जी हां, मौजूदा बस स्टेण्ड ग्राम रोड़ पर है और एक्सीडेन्ट भी हुए है ।

(3) यह मामला निगम के विचाराधीन है ।

स्थगित प्रश्न

(25-1-68)

घुमक्कड़ पशु पालन योजना के अन्तर्गत पानी की व्यवस्था

132. श्री नूरीलाल इन्दलिया (नोखा-सु.): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

घुमक्कड़ पशुपालन योजना के अन्तर्गत पानी की समस्याओं को हल करने के लिए किस किस गांवों में कुन्ड बनाने के लिये धनराशि दी गई है ? और किस किस गांवों में कुन्ड बनकर कार्य सम्पूर्ण हो चुके हैं ?

Page No.110

(श्री चुन्नीलाल)
और किन किन गांवों में अभी तक कार्य पूरा नहीं किया गया? जहां पूरा नहीं हुआ है उनके लिये कारण क्या हैं?

उत्तर

बीकानेर जिले की लूणकरणसर पंचायत समिति के कुछ गांवों में पीने के पानी की समस्या के निराकरण करने हेतु कुण्ड बनवाने तथा कुओं की मरम्मत करवाने के लिए धनराशियां दी गई थी। जहां जहां कार्य पूरा हो चुका है या जहां जहां कार्य अपूर्ण रहा है, उसका विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध है।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्र. सं. 206 की सूची)

(सूची अ) तारांकित प्रश्न संख्या 11 ग्रा. नि. मं.

नाम कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति	व्यय प्रथम योजना	व्यय द्वितीय योजना	व्यय तृतीय योजना
1 प्रतापगढ़-धरीयावद-देवगढ़ रोड	640000	153597		20219
2 उदयपुर-सलूम्बर-धरियावद प्रतापगढ़ रोड	429000	167000	247058	71844
3 सलूम्बर से धरियावद का सुधार	180000		„	1 5193
4 सलूम्बर-धरियावद रोड पर पुल तथा पुलियों का कार्य	50000	"	49262	„
5 प्रबल रोड भटेवर से धरियावद वाया कमोड मोल्कर	341000	141000	193154	16516
6 मंगल रोड मटेवा धरियावद	488000		449150	158662
7 उदयपुर-प्रतापगढ़ रोड पर पुल तथा पुलियों का कार्य	101000		15883	89942
8 भटेवर-धरियावद रोड के बाकी माइल्स को पक्का करने।	100000		25640	85904

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक 22 फरवरी, 1968)

स्कम्भ सं. 1	पंक्ति सं. 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
2	6	ह	यह
„	16	जी न भर	जीवन भर
3	अन्तिम से 11	आ मा	आत्माएं
10	9	उपा यायजी	उपाध्यायजी
„	19	ज नता	जानता
„	25	उप ध्यायजी	उपाध्यायजी
„	27	ठ ा ा	व्यास
13	2	श्री रामसिंह कुड़ी	205. श्री रामसिंह कुड़ी
14	शीर्षक	प्रश्नोर	प्रश्नोत्तर
26	12	नहरू	नेहरू
27	13	घारे में	बारे में
39	13	लि	लिए
50	1	केण्द्रीय	केन्द्रीय
52	7	[illegible]	की
54	अन्तिम से 11	अठ क्ष	अध्यक्ष
56	शीर्षक	1965	1968
57	अन्तिम से 7	कार	सरकार
60	शीर्षक	1998	1968
61	5	नबर	नम्बर
65	10	श्री ामप्रसाद	श्री रामप्रसाद
69	17	देव ढारियावाद	देवगढ़-धरियावाद
74	शीर्षक	यतारांकित	अतारांकित
„	अन्तिम से 12	ईस	इस
„	अन्तिम	वष	वर्ष
75	10	सालेदिया	सालोदिया
79	3	च ि	चर्म
84	अन्तिम से 10	भुलाया	बुलाया
86	11	कहना	करना
92	अन्तिम से 12	की	—
„	अन्तिम से 5	सकते	सका
96	अन्तिम से 11	—संख्या	की संख्या
„	अन्तिम से 10	जपदेश	उपदेश
100	अन्तिम से 14	मसू ा	मसूदा
101	8	उ ा ठ क्ष	उपाध्यक्ष
107	4	हाते	होते
149	6	अकाउन्टेड	अनअकाउन्टेड
„	17	को	की

1	2	3	4
149	अन्तिम से 2	धिकार	अधिकारी
151	अन्तिम	ऑफ	फार
152	5	"	"
155	1	श्री मथरादास	श्री मथुरादास
156	अन्तिम	क	कर
158	22	हीं	हों
"	अन्तिम से 4	रख	रखा
"	"	ओर	और
159	19	क्या	—
"	अन्तिम से 5	जा	जो
160	15	किसा	किसी
"	अन्तिम से 11	डिपुटेशन्स	डेपूटेशन्स
161	शीर्षक	बिक्र	बिक्री
162	18	करवाएगी	करवाएगी ?
"	19	श्री म।ुरादास	श्री मथुरादास
164	16	करती	करता
"	अन्तिम से 3	जाऐंगे	जायेंगे
165	अन्तिम से 5	(बिक्री कर	बिक्री कर
"	" 4	68)	68
166	" 8	बचाना	बचना
167	स्तम्भ	16]	167]
"	2	लग तार	लगातार
"	7	ओर	और
170	अन्तिम से 11	अधिकारा	अधिकारी
172	14	दुरुपयोग	सदुपयोग
173	16	पेनाल्टी	पेनल्टी
178	1	वसे	वैसे
181	अन्तिम से 4	ठास	व्यास
185	" 8	बड़े बड़े से	बड़े से बड़े
"	" 7	बढ़े	बड़े
192	" 10	जा	जो
195	1	पावस	पावर्स
203	2	म	में
206	अन्तिम से 3	झलावाड़	झालावाड़
207	19	केन्द्री	केन्द्रीय
208	अन्तिम से 8	श्री चनीलाल	श्री चुन्नीलाल
210	3	तापांकित	तारांकित
"	10	घरिशावद	घरियावद
"	15	ग्रबल	ग्रेबल